रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15—जुलाई 21, 2006 (आषाढ़ 24, 1928)
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15—JULY 21, 2006 (ASADHA 24, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के और मंत्रालयों उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	523
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	609
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	9
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	829
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1769
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	313
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2867
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	503
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	523
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	609
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	9
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	829
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1769
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	313
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2867
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	503
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2006

सं. 40-प्रेज/2006--राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. नसरुल्लाह सिद्दिकी,
   उप-निरीक्षक
2. ब्रजेश तिवारी,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

4 मार्च, 2005 को श्री नसरुल्लाह सिद्दिकी, स्टेशन अधिकारी, शंकरगढ़ पुलिस, जिला बलरामपुर को सूचना मिली कि 40-50 सशस्त्र नक्सली, ग्राम जोकपट, शंकरगढ़ पुलिस स्टेशन के जंगल और पहाड़ियों के निकट घूम रहे हैं। सूचना के अनुसार, नक्सली, स्वचालित हथियारों, हथगोलों और बारुदी सुरंगों से लैस थे इन्होंने तुरंत कार्रवाई की और सात अन्य सशस्त्र पुलिस कर्मियों अर्थात् विशेष कार्यबल पहली बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के हैड कांस्टेबल 365 उदयबीर चौहान, सी/747 जोधन लाल, सी/197 कोमल सिंह, 10वीं बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के सी/198 अनिल चौहान, 8वीं बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के सी/271 अनरुद्ध मिश्रा, छठी बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के सी/623 ब्रजेश तिवारी और शंकरगढ़ पुलिस स्टेशन के सी/120 जय सिंह धुर्वे के साथ उस स्थान की ओर कूच किया। इन्होंने प्रतिकूल और जोखिमपूर्ण भू-भाग तथा शत्रुओं की ओर से खतरे की आशंका के बारे में स्पष्ट रूप से ब्रीफ किया। बारुदी सुरंगों में विस्फोट की आशंका को ध्यान में रखते हुए पूरी टुकड़ी जोकपट और लशुनपट की ओर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए पैदल ही चल पड़ीं नक्सलियों की खोज करने के बाद यह टुकड़ी रात को जोकपट में ही ठहर गई। अगले दिन 05.03.2004 को इन्होंने अपनी टुकड़ी के सदस्यों के साथ ग्राम समुद्री की ओर प्रस्थान किया और ग्राम कोठली पहुंचे जहां इन्हें नक्सली दस्ते, जिसमें 18-20 सक्रिय सशस्त्र नक्सली थे तथा जो ग्राम लकड़ी कोना की ओर बढ़ रहे थे, के बारे में सूचना मिली। इस सही सूचना के आधार पर साहसी श्री नसरुल्लाह सिद्दिकी के नेतृत्व में पुलिस की टुकड़ी घने वन से होकर खोज करती हुई ग्राम लकड़ा कोना की ओर बढ़ी। दल के नेता ने अत्यंत बुद्धिमानी से टुकड़ी को दो भागों में बांटा और फिर उन्हें अभियान के बारे में बताया। फिर ये दोनों टुकड़ियां, एक-दूसरे से उचित दूरी बनाए रखते हुए और समुचित आड़ लेते हुए आगे बढ़ी। जंगल पार करने के बाद श्री नसरुल्लाह सिद्दिकी के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने नक्सली गिरोह के एक सशस्त्र संतरी को तुरंत देख लिया। इस टुकड़ी ने मोर्चा संभाला और श्री ब्रजेश तिवारी के नेतृत्व वाली दूसरी टुकड़ी की प्रतीक्षा करनी आरंभ की। संतरी ने दूसरी टुकड़ी को देख लिया और चेतावनी दिए बगैर गोलीबारी शुरू कर दी। दूसरी टुकड़ी ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। इस नाजुक क्षण में श्री सिद्दिकी ने नक्सली ग्रुप को पुलिस के सम्मुख हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने को कहा। नक्सलियों ने दोनों टुकड़ियों पर अचानक गोलीबारी कर दी। पुलिस टुकड़ी ने भी अपनी रक्षा के लिए गोलीबारी की। पुलिस की टुकड़ी उस नक्सली ग्रुप की ओर बढ़ी जिसकी संख्या 18 से 20 थी जब कि पुलिस टुकड़ी में दो ग्रुपों में विभाजित केवल 8 सदस्य थे। आगे बढ़ कर की गई कार्रवाई के दौरान बहादुर टुकड़ी के श्री नसरुल्लाह सिद्दिकी और श्री ब्रजेश तिवारी के नेतृत्व ने न केवल टुकड़ी के सदस्यों के नैतिक बल को ऊंचा रखा बल्कि उसे बढ़ाया भी। मुठभेड़ के बाद क्षेत्र की तलाशी ली गई। पांडे उरांव के खेत में पांच नक्सलियों के शव इधर-उधर पड़े हुए थे। बाद में शवों की पहचान अर्जुनजी, उप-कमांडर, पीपुल्स वार, शिव प्रसाद, सदस्य, पीपुल्स वार और गिरधर उरांव, पीपुल्स वार के रूप में हुई। दो शवों की पहचान नहीं हो सकी। ये दुर्दांत नक्सली, पीपुल्स वार झारखंड के थे। पुलिस ने एक एस एल आर राइफल, दो दो-नाली बंदूकें, एक रिवाल्वर, गोलीबारूद, एक टिफन बम (जीवित), डिटोनेटर, एक मोटोरोला वायरलेस सेट और अन्य सामान बरामद किया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री नसरुल्लाह सिद्दिकी, उप-निरीक्षक और ब्रजेश तिवारी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ते भी दिनांक 5 मार्च, 2004 से दिये जाएंगे।

सं० 41-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. सबल सिंह
कांस्टेबल

2. अशोक कुमार,
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

7.6.2005 को यह सूचना मिली कि सुनील कुमार अपने साथियों के साथ जघन्य अपराध करने के लिए गोहाना आयेगा। सुनील पुत्र श्री राम भज, निवासी ग्राम खंदराई, पुलिस स्टेशन सिटी गोहाना का दुर्दान्त अपराधी, हिस्ट्री शीटर, अत्यंत वांछित घोषित अपराधी है। वह हत्या, लूटपाट, डकैती, जबरन वसूली, पुलिस कर्मियों सहित लोक सेवकों पर हमला करने, हरियाणा के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में पुलिस अभिरक्षा से भागने सहित डेढ़ दर्जन मामलों में वांछित था और हरियाणा पुलिस ने उस पर 2,500/- रुपए के एक नकद पुरस्कार की घोषणा की थी। यह सूचना मिलने पर इस दुर्दान्त अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए चार पुलिस टुकड़ियां गठित की गईं। चार पुलिस टुकड़ियों को निजी मोटरसाइकिलों पर सादे कपड़ों में गश्त लगाने और गोहाना से होकर गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर दुर्दान्त अपराधी सुनील को गिरफ्तार करने हेतु क्षेत्र का घेराव करने के लिए तैनात किया गया। इन्होने यह नोटिस किया कि तीन युवक रेलवे ट्रैक के साथ-साथ स्कूटर पर आ रहे हैं। स्कूटर पर सवार लोगों को रुकने का संकेत दिया गया लेकिन स्कूटर रोकने के बजाय सभी तीनों युवक स्कूटर से उतरे और भागने की कोशिश करने लगे। हैड कांस्टेबल अशोक कुमार, संख्या 50/आई आर बी और कांस्टेबल सबल सिंह , संख्या 158 / एस पी टी से युक्त पुलिस टुकड़ी इन अपराधियों के सामने आ गई। कांस्टेबल सबल सिंह संख्या 158 /एस पी टी ने तीन अपराधियों में से दो की पहचान सुनील और संजय के रुप में की। पहले संजय और तीसरे अज्ञात युवक ने हैड कांस्टेबल अशोक कुमार संख्या 50/आई आर बी पर गोलीबारी शुरु कर दी और कांस्टेबल सबल सिंह संख्या 158 /एस पी टी, सुनील के नजदीक पहुंच गए और उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन सुनील ने इन दोनों पुलिस कार्मिकों पर गोलीबारी कर दी, दुर्दान्त अपराधियों और दो साहसी पुलिस कार्मिकों के बीच हाथापाई हुई और इस हाथापाई के दौरान सुनील ने कांस्टेबल सबल सिंह, सं. 158/ एस पी टी पर गोली चला दी जो उनके दांये पैर पर लगी । घायल होने के बावजूद कांस्टेबल सबल सिंह सं. 158/एस पी टी ने आत्म रक्षा में उस दुर्दान्त अपराधी सुनील पर गोलीबारी कर दी और हैड कांस्टेबल अशोक कुमार संख्या 50/आई आर बी ने सुनील को दबोच लिया और उस पर गोली भी चला दी । इस भयंकर मुठभेड़ में दुर्दान्त अपराधी घटना स्थल पर ही मारा गया। निम्नलिखित बरामदगी की गई:

(i) एक रिवाल्वर .32 बोर

(ii) एक देशी रिवाल्वर.15 बोर

(iii) एक स्कूटर बजाज संख्या डी एल- 3 एस 4-8252

(iv) दो मोबाइल फोन

इस मुठभेड़ में श्री सर्वश्री सबल सिंह, कांस्टेबल और अशोक कुमार, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ते भी दिनांक 7 जून, 2005 से दिये जाएंगे।

बरूण मित्रा
सं निदेशक

सं० 42-पेज/2006-राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. रणधीर सिंह,
अपग्रेड कांस्टेबल (मरणोपरांत)

2. राम किशन
एग्जेम्पटेड हैड कांस्टेबल (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

20.4.2005 को दो पुलिस पदाधिकारियों नामत: यू जी सी रणधीर सिंह संख्या 918/एस पी टी और ई एच सी राम किशन संख्या 835/एस पी टी को बीट -राइडर संख्या 41 पर गश्त ड्यूटी पर तैनात किया गया था और इन्हें पुलिस स्टेशन बरोदा के क्षेत्राधिकार में अकस्मात अज्ञात अपराधियों ने मार दिया था। अपराह्न लगभग 10.45 बजे ई एच सी राम किशन संख्या 835/एस पी टी से टेलीफोन पर मुठभेड़ के संबंध में उक्त सूचना प्राप्त हुई कि स्कूटर संख्या पी बी--25-8592 पर सवार अज्ञात अपराधियों ने धनाना मोड़ के निकट मेहम रोड पर उन पर गोली चलाई है। अपने सैल फोन पर यह सूचना देने के बाद ई एच सी रामकिशन की बंदूक की गोलियां लगने से घायलावस्था में घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना प्राप्त होने के बाद उप-निरीक्षक सतपाल सिंह, एस एच ओ, पुलिस स्टेशन बरोदा, पुलिस टुकड़ी के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और यह पाया कि ई एच सी राम किशन संख्या 835/एस पी टी और यू जी सी रणधीर सिंह, संख्या

918/एस पी टी, सड़क के निकट मृत पड़े हैं। घटना स्थल से उप-निरीक्षक सतपाल सिंह, एस एच ओ पुलिस स्टेशन बरोदा ने एक बजाज-चेतक, स्कूटर संख्या पी बी -25-8592 ड्राइविंग लाइसेंस संख्या 17387/डब्ल्यू, दिनांक 19.9.2000, जिस पर धरमराज, निवासी बघरुखुर्द , तहसील सफीदों जिला जिंद का नाम तथा दो खाली कारतूस बरामद किए । इस संबंध में पुलिस स्टेशन बरोदा में 21.4.2005 को भारतीय दंड संहिता की धारा 353/333/392/307/302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के अधीन एफ आई आर संख्या 43 के तहत मामला दायर किया गया। इस मामले की जांच-पड़ताल के दौरान यह पता चला कि सशस्त्र अभियुक्त (जो संख्या में तीन थे, दो सड़क के किनारे खड़े थे और तीसरा खाई के पीछे अंधेरे में छिपा हुआ था) चार पहियों के एक वाहन को लूटने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि बाद में अगले दिन सफीदों में दिन में सरकारी खजाने को लूटने का दुस्साहस किया जा सके। जब पुलिस पदाधिकारियों को इन दो अभियुक्तों पर संदेह हुआ और वे इन्हें जांच के लिए सड़क के किनारे ले जा रहे थे तब उन्हें इनके हथियारों के बारे में मालूम हो गया और वे इन पर काबू पाने ही वाले थे कि तीसरा अभियुक्त अंधेरे से बाहर आया और उन्हें सकते में डाल कर उन पर गोली चला दी। तथापि, दोनों पुलिस कार्मिकों द्वारा प्रदर्शित साहस के कारण अभियुक्तों को हड़बड़ी में भागना पड़ा जिसके परिणामस्वरुप वे ऊपर बताए अनुसार घटना स्थल पर महत्वपूर्ण सुराग/सामग्री छोड़ गए, जिससे बाद में निम्नलिखित अभियुक्तों की पहचान करने, गिरफ्तार करने , उन्हें मारने में सहायता मिली:

1. मुकेश, पुत्र कृष्ण कुमार, निवासी जुलाना, जिला-जिंद-24.4.2005 को गिरफ्तार किया गया।
2. सतीश उर्फ मोंटू पुत्र रुप सिंह, निवासी जाखोली, जिला-सोनीपत-19.05.2005 को गिरफ्तार किया गया।
3. धरमराज, पुत्र रामफल, निवासी भगरु खुर्द, जिला- जिंद-23.4.2005 को गिरफ्तार किया गया।
4. संदीप पुत्र कृष्ण कुमार, निवासी गोरड़, जिला-सोनीपत- 27.4.2005 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री दिवंगत रणधीर सिंह, अपग्रेड कांस्टेबल और दिवंगत राम किशन, एग्जेम्पटेड हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ते भी दिनांक 20 अप्रैल, 2005 से दिये जाएंगे ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 43-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री उमेश नाग,
उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

भद्रवाह (जिला डोडा) के गंगथ क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधि/उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर 04.04.2004 को पुलिस/आरआर टुकड़ियों द्वारा क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान चलाया गया और लगभग 1600 बजे लक्ष्य क्षेत्र पर हमला किया गया। पी एस आई उमेश नाग संख्या 7215 /एन जी ओ ने साहसपूर्ण कदम उठाया और छिपे हुए आतंकवादी से समर्पण करने के लिए कहा। इस पर आतंकवादी ने हवा में हाथ इस प्रकार उठा दिए मानो वह समर्पण करने वाला हो। लेकिन जब पी एस आई, आतंकवादी से मुश्किल से 25 मीटर दूर रहे होंगे, स्थिति एकदम पलट गई और आतंकवादी ने पी एस आई की तरफ दो ग्रेनेड फेंक दिए। जैसे ही ग्रेनेडों में विस्फोट हुआ वैसे ही पी एस आई ने तेजी से नजदीक की चट्टान के पीछे मोर्चा संभाल लिया, 02 मीटर की दूरी से आतंकवादी पर गोलियां बरसाईं और तत्काल ही उसे मार गिराया। आतंकवादी की पहचान फारुख डार कोड एफ डी, निवासी शोवा गंगथ के रुप में की गई। उसे "क" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था और वह उस क्षेत्र का सबसे पुराना आतंकवादी था। 2 मैग्जीनों और 7 सक्रिय राउंदों के साथ एक पिस्तौल (चीनी), 2 ग्रेनेड (घटनास्थल पर नष्ट किए गए), एक वायरलैस (क्षतिग्रस्त स्थिति में) और एक परेयर बीट घटना स्थल से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री उमेश नाग, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 अप्रैल, 2004 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 44-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. विनय परिहार,
उप-निरीक्षक

2. गुलाम मोहम्मद,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

31.12.2004 को नाका मंझारी, पुंछ में एक आतंकवादी ग्रुप की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर यह सूचना एन सी ए को भी दी गई और एक अभियान चलाया गया। जब पुलिस दल, लक्ष्य स्थान से लगभग 50 गज दूर था तो इसे दो टुकड़ियों में बांटा गया। एक टुकड़ी का नेतृत्व उप-निरीक्षक विनय परिहार संख्या 5910/ एन जी ओ ने किया और उनके एकदम पीछे कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद संख्या 521/पी चल रहे थे। दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व इशियाक अहमद संख्या 942/एस पी ओ कर रहे थे। यह भू-भाग ऊबड़-खाबड़ होने के अतिरिक्त पाले के कारण फिसलन भरा होने के साथ ही घनी कंटीली झाड़ियों से भरा था। इन प्राकृतिक रुकावटों के बावजूद, पुलिस दल आगे बढ़ता रहा। उप-निरीक्षक विनय परिहार, जो पहले ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे, पर एक नाले के अंदर भारी चट्टान के पीछे छिपे आतंकवादी ने भारी गोलीबारी कर दी। उप-निरीक्षक विनय परिहार, कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद के साथ रेंगते हुए गए और उस स्थान के बहुत निकट मोर्चा संभाल लिया और उन चट्टानों के पीछे एक ग्रेनेड फेंका जहां आतंकवादी छिपा हुआ था। ग्रेनेड फटते ही वह आतंकवादी वहां से बाहर कूदा और इन दोनों पर भारी मात्रा में गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी से विचलित हुए बिना उप-निरीक्षक विनय परिहार और कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद ने पलट कर गोलीबारी कर दी जिसमें आतंकवादी अबू कतल मारा गया। पूरे अभियान में उप-निरीक्षक विनय परिहार और कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद ने आसन्न मृत्यु के सामने डयूटी के प्रति विलक्षण बहादुरी और प्रतिबद्धता का परिचय दिया। इस अभियान में निम्नलिखित बरामदगियां की गईं:

(i) राइफल एक के -47	: 2 नग
(ii) मैग्जीन एक के - 47	: 3 नग
(iii) राउंद ए के - 47	: 70 नग
(iv) मैट्रिन शीट-	: 20 नग

इस मुठभेड़ में सर्वश्री विनय परिहार, उप-निरीक्षक और गुलाम मोहम्मद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ते भी दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 से दिये जाएंगे।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 45-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियो के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. लाल हुसैन,
सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल

2. नूर हुसैन,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

07.01.2005 को कनाती बनोला, मेंधर, पुंछ में कट्टर आतंकवादी की मौजूदगी के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा 16 आर आर और 39 आर आर की टुकड़ियों के साथ एक अभियान चलाया गया। इससे पहले कि बल, छिपे हुए आतंकवादियों को लक्षित मकान से बाहर आने और आत्म समर्पण करने के लिए कहता, मकान के अंदर से आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी कर दी। इस शुरुआती गोलीबारी के दौरान, 39 आर आर के एक जवान की बांह में बंदूक की गोली लग गई। इस मकान से बाहर निकलने के लिए आतंकवादियों के पास दो रास्ते थे, एक दरवाजे से होकर और दूसरा खिड़की से । कांस्टेबल नूर हुसैन संख्या 1071/पी ने विलक्षण साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए अपने-आप मुख्य दरवाजे के निकट जाने की पहल की, जबकि एस जी कांस्टेबल लाल हुसैन संख्या 1070/पी, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना खिड़की के निकट पहुंच गए। अंदर से हो रही भारी गोलीबारी के बावजूद दोनो ही रेंगते हुए दरवाजे और खिड़की तक पहुंचे और वहां पर चुपचाप बैठ गए। अचानक ही दो आतंकवादी भारी गोलीबारी के बीच एक साथ दरवाजे और खिड़की से बाहर कूदे। उचित मौके की प्रतीक्षा में छिपे बैठे कांस्टेबलों ने इन दोनों ही आतंकवादियों को गोलियों से भून डाला। मारे गए आतंकवादियों की पहचान अकरम दिलावर, जिला कमांडर के रुप में और अन्य की एल ई टी गुट के तल्हा के रुप में हुई। अकरम दिलावर एक दुर्दान्त आतंकवादी था जो कई सिविलियनों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। वह सेना और पुलिस दलों पर घात लगा कर हमले करने में भी संलिप्त था जिनमें कई जवानों की जानें गई थी। मारे गए आतंकवादियों से 2 ए के 47 राइफलें, 6 ए के मैग्जीनें और एक रेडियो सेट बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री लाल हुसैन, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल और नूर हुसैन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ते भी दिनांक 7 जनवरी, 2005 से दिये जाएंगे।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 46-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री कुलवंत सिंह जसरोतिया,
पुलिस उप-अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

4.4.2005 को श्री कुलवंत सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, राजौरी मुख्यालय को थानमंडी थानांतर्गत ग्राम पंगई में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली। मुख्यालय, पुलिस उप-अधीक्षक ने पुलिस स्टेशन नफरी के साथ क्षेत्र में अभियान चलाया। क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एन सी प्राधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया ताकि वे मदद कर सकें। संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया और जब क्षेत्र में छिपे हुए आतंकवादियों को टुकड़ियों की हलचल का पता चला तो उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। यहां पर इस बात की आशंका थी कि छिपे हुए आतंकवादी, टुकड़ियों को और क्षेत्र के सिविलयनों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं / इन्हें हताहत कर सकते हैं। पुलिस उप-अधीक्षक, मुख्यालय, अपने अथक प्रयासों से आतंकवादियों के बहुत करीब पहुंच गए और फिर एक आतंकवादी को मार गिराया। मकान के अंदर छिपे दूसरे आतंकवादी को भी टुकड़ियों ने मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान निम्नानुसार की गई :

(i) हबीब-उल-रहमान, कोड नाम सुल्तान हैदर, निवासी पंगई, एचएम गुट और श्रेणी "क" का सूचीबद्ध उग्रवादी।

(ii) मोहम्मद रियाज पुत्र चिरिया निवासी संकरी, एल ई टी गुट, श्रेणी "ख" के रुप में सूचीबद्ध।

की गई बरामदगियां:-

(i) राइफल ए के 56 /47	: 2 नग
(ii) मैगजीन ए के	: 06 नग
(iii)गोलीबारुद ए के	: 80 नग
(iv) हथगोले	: 2 नग (घटनास्थल पर नष्ट किए गए)
(v) रेडियो सेट	:02 नग क्षतिग्रस्त
(vi) पाउच	: 02 नग
(vii) पेंसिल सैल	:14 नग

दोनों ही आतंकवादी पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय थे और जिले में कई नरसंहारों में संलिप्त थे। इन आतंकवादियों के मारे जाने से क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी गुटों को भारी धक्का पहुंचा।

इस मुठभेड़ में श्री कुलवंत सिंह जसरोतिया, पुलिस उप-अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 अप्रैल, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 47-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जावेद इकबाल,
पुलिस उप-अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

12 अप्रैल, 2005 को एक विशिष्ट सूचना के आधार पर ग्राम तकिया फरक शाह में जम्मू और कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान ग्रुप और 35 आर आर की टुकड़ियों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान एल ई टी की दो महिला आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे बरामदगियां की गईं। पूछ-ताछ के दौरान लड़कियों ने बताया कि वे ये जब्त की गई वस्तुएँ उन उग्रवादियों के लिए ले जा रही हैं जो बहु-दीन शाह, पुत्र यासीन शाह, निवासी ग्राम तकिया फरक शाह के मकान में छिपे हुए हैं। उस घर के चारों ओर अन्दरुनी घेरे को और मजबूत कर दिया गया। अंधेरा होने के कारण तलाशी अभियान रोक दिया गया। तलाशी अभियान 13 अप्रैल, 2005 की भोर में शुरु किया गया। उस मकान में कम से कम 7 सिविलियनों को रोक कर रखा गया था जिसमें एक आतंकवादी ने कब्जा किया हुआ था और उसने अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी । आतंकवादी द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद जावेद इकबाल, पुलिस उप-अधीक्षक (आप्स) के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने उक्त मकान की ओर बढ़नी शुरु किया। अनुकरणीय साहस, कर्तव्यपराणता का परिचय देते हुए जावेद इकबाल, मकान के पिछवाड़े से उस मकान की खिड़की तोड़ने में सफल हो गए और इन्होंने मकान के अंदर रोक कर रखे गए सिविलियनों को बचा लिया। पुलिस उप-अधीक्षक जावेद इकबाल, अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना फिर मकान की ओर बढ़े और मकान के अंदर गोलीबारी शुरु कर दी तथा ग्रेनेड फेंके। गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद भी अधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादी पर गोलीबारी की और उसे मार गिराया। इसके बाद इस अधिकारी को सेना के हेलीकाप्टर से 92 बेस अस्पताल पहुंचाया गया जहां इनकी शल्य चिकित्सा की गई। मारे गए उग्रवादी की पहचान बाद में एल ई टी के मोहम्मद इमरान उर्फ अबूबकर स्लफी उर्फ वाई-1 पुत्र अब रहमान निवासी लाहौर (पाकिस्तान) के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में श्री जावेद इकबाल, पुलिस उप-अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 अप्रैल, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 48-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. **उत्तम चंद,**
   सहायक पुलिस अधीक्षक
2. **गौहर अहमद वानी, (मरणोपरांत)**
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

26 मार्च, 2005 को ग्राम यमराच (पुलिस स्टेशन यारीपोड़ा, जिला कुलगांव, अनंतनाग) में एक गुप्त स्थान में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए एस डी पी ओ शोपियां, श्री उत्तम चंद, आई पी एस ने पुलिस कैम्प, गग्रेन (शोपियां) से एक पुलिस दल और 17 जे ए के आर आई एफ (सेना) के एक दल के साथ उक्त गांव की ओर कूच किया और शीघ्र ही उस क्षेत्र का घेराव कर दिया। जब सेना ने बाहरी घेरा डाला, एस डी पी ओ शोपियां, सूचना देने वाला व्यक्ति और कांस्टेबल गौहर अहमद वानी, एक छोटे से पुलिस दल के साथ संदिग्ध गुप्त स्थान की ओर बढ़े । संदिग्ध मकान के किचन गार्डन में गुप्त स्थान का पता लगाने के बाद एस डी पी ओ शोपियां ने चतुराई से संदिग्ध मकान और गुप्त स्थान के चारों ओर पुलिस दल को मोर्चे पर लगा दिया। श्री उत्तम चंद के साथ कांस्टेबल गौहर अहमद वानी, रेंगते हुए संदिग्ध गुप्त स्थान में प्रवेश करने की जगह की ओर बढ़े। जैसे ही वे गुप्त स्थान के प्रवेश की जगह के निकट पहुंचे, कांस्टेबल गौहर अहमद वानी ने गुप्त स्थान के प्रवेश की जगह, जिसे मिट्टी से ढका गया था, के ऊपर से मिट्टी हटानी शुरु कर दी। जैसे ही इन्होंने गुप्त स्थान में ऊपर से कवर को हटाया वैसे ही अंदर छिपे आतंकवादी ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी जिससे श्री उत्तम चंद बाल-बाल बचे क्योंकि गोली इन्हें छूती हुई निकल गई लेकिन कांस्टेबल गौहर अहमद वानी के पैर गोलियां लगने से घायल हो गए। श्री उत्तम चंद और कांस्टेबल गौहर अहमद वानी की जवाबी कार्रवाई के कारण आतंकवादी दुबारा उस गुप्त स्थान में घुस गए। इस कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल गौहर अहमद वानी अपना संतुलन खो बैठे और गुप्त स्थान में प्रवेश करने की जगह के अंदर गिर पड़े। श्री उत्तम चंद ने अपने जीवन की परवाह किए बिना असाधारण सूझ-बूझ और साहस का परिचय दिया और घायल कांस्टेबल

की बांह पकड़ ली और इन्हें गुप्त स्थान के और अंदर गिरने से बचा लिया। गुप्त स्थान के अंदर छिपे आतंकवादी ने थोड़ी -थोड़ी देर बाद गोलीबारी जारी रखी। तथापि, श्री उत्तम चंद, घायल कांस्टेबल को बाहर खींचने में सफल हो गए और इन्हें एक सुरक्षित स्थान तक ले गए। इसके बाद घायल कांस्टेबल को अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही घायलावस्था में इन्होंने दम तोड़ दिया। अनुकरणीय साहस और कर्तव्यपराणता का परिचय देते हुए श्री उत्तम चंद, एक छोटे से पुलिस दल के साथ फिर रेंगते हुए गुप्त स्थान की ओर गए और उसके अंदर एक हथ गोला फेंक दिया। इसी बीच, सेना कार्मिकों का घेरा डालनेवाला दल भी गुप्त स्थान, जिसे बाद में उड़ा दिया गया, के निकट पहुंच गए और वहां से मृत आतंकवादी का शव बरामद किया गया जिसकी पहचान बाद में जहांगीर अहमद मीर उर्फ इलियास उर्फ सज्जाद पुत्र गुलाम रसूल मीर निवासी हाथीपुरा नैद गुंड, जिला अनंतनाग, हिजबुल मुजाहिदीन के रुप में की गई। उड़ाए गए गुप्त स्थान से निम्नलिखित हथियार/गोलीबारुद बरामद किया गया:

1. 2 मैग्जीन और 25 राउंदों के साथ एक ए के 47 राइफल
2. एक यू बी जी एल
3. छः यू बी जी एल ग्रेनेड
4. एक आई. कॉम वायरलेस सेट
5. एक मोबाइल फोन आदि

इस मुठभेड़ में सर्वश्री उत्तम चंद, सहायक पुलिस अधीक्षक और (दिवंगत) गौहर अहमद वानी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ते भी दिनांक 26 मार्च, 2005 से दिये जाएंगे।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 49-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

मोहम्मद अल्ताफ,
सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

03.05.2005 को पट्टम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद रमजान मियां जब पट्टम बाजार से गुजर रहे थे तो आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष और उनके दो पी एस ओ, एस पी ओ जहूर अहमद संख्या 1072 और एस पी ओ रियाज अहमद संख्या 1509

मारे गए और आतंकवादी, मारे गए पी एस ओ के हथियार छीनने में भी सफल हो गए। यह सूचना प्राप्त होने पर, पट्टन पुलिस स्टेशन की नफरी ने तत्काल घटना स्थल की ओर कूच किया। हत्याकांड के बाद हड़बड़ी में एस जी कांस्टेबल मोहम्मद अल्ताफ संख्या 1122/बी ने वह नोट किया कि एक आतंकवादी, भीड़ और हड़बड़ी का फायदा उठाते हुए छीने हुए हथियार के साथ बच निकलने की कोशिश कर रहा है। अपनी जान की परवाह न करते हुए एस जी कांस्टेबल मोहम्मद अल्ताफ संख्या 1122 /बी ने भाग रहे आतंकवादी का पीछा किया और उसे पकड़ने की कोशिश की। आतंकवादी के साथ हाथापाई करते हुए उसे नीचे गिराने की कोशिश के दौरान आतंकवादी, गोली चलाने में सफल हो गया। कांस्टेबल के हृदय में गोली लगी जिससे इनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। खतरे के सामने पुलिस कर्मी का कृत्य और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और सेवा का निर्वहन करते समय अपने जीवन का बलिदान देना निश्चित ही प्रशंसनीय और श्लाघनीय कार्य है।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) मोहम्मद अल्ताफ, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 मई, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 50-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. एस. मुरुगन,
पुलिस अधीक्षक

2. के.सी अशोकन,
पुलिस निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

16.11.2003 को लगभग 1100 बजे अपराह्न श्री अशोकन को टेलीफोन पर सूचना मिली कि शस्त्रों से पूरी तरह से लैस पांच नक्सली बोल्लोट्टु नामक एक छोटे से गांव के मकान में ठहरे हुए हैं और ये कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क से वन में रहने वाले लोगों को वहां से हटाने के विरुद्ध प्रचार करने में लगे हुए हैं। पुलिस निरीक्षक, डी सी आई बी ने यह सूचना तत्काल ही टेलीफोन पर श्री मुरुगन , पुलिस अधीक्षक को

दी। श्रीयुत एस. मुरुगन और अशोकन तथा नक्सल-विरोधी एक टीम तब दो वाहनों में बोल्लोट्टु की ओर रवाना हुई। यह टीम बोल्लोट्टू से 6 से 7 कि.मी. की दूरी पर वाहनों से उतर गई। पुलिस अधीक्षक ने टीम को अभियान के बारे में संक्षिप्त रुप में बताया और यह भी अनुदेश दिया कि दोषियों को पकड़ने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में निर्दोष लोगों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। टीम ने लम्बी दूरी रात में वन के रास्ते से पैदल ही तय की और प्रात: लगभग 0300 बजे उडुपि जिले के बोल्लोट्टु पहुंचे। टीम उस मकान के निकट पहुंची जहां नक्सली ठहरे हुए थे और मोर्चा संभाल लिया। अग्नेयास्त्र से लैस एक सशस्त्र संतरी मकान के निकट चौकसी पर था। जब श्री अशोकन ने नक्सली को पकड़ने की कोशिश की तो एक कुत्ता भौंकने लगा जिससे नक्सली सतर्क हो गए । यह सुनकर संतरी ने टॉर्च से रोशनी की और टीम पर गोलीबारी कर दी। श्री मनोहर, पुलिस बल के ड्राइवर, जो टीम के पीछे-पीछे आ रहे थे, गोलीबारी में फंस गए और इनके सिर में चोट लग गयी। अपनी जान को अत्यधिक जोखिम में डाल कर श्री मुरुगन, घायल श्री मनोहर की ओर लपके और इन्हें गोलीबारी से बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले गए। श्रीयुत मुरुगन और अशोकन एक ओर से निकट की गोशाला से बाहर आए और आड़ लेने के बाद संतरी को समर्पण करने की चेतावनी दी। बार-बार चेतावनी दोहराए जाने के बावजूद, संतरी ने टीम पर गोली चलानी जारी रखी। इस पर श्रीयुत मुरुगन, अशोकन और अन्यों ने अपनी रक्षा में जवाबी गोलीबारी की। इस गोलीबारी में संतरी को गोली लगी और वह चिल्लाता हुआ मकान की ओर दौड़ा । मकान के अंदर के नक्सली तत्काल सतर्क हो गए और उन्होंने टीम पर गोलियों की बौछार शुरु कर दी। इस गोलीबारी में श्री अशोक पटकर (पुलिस अधीक्षक के पी सी गनमैन) घायल हो गए । तत्काल ही श्री मुरुगन और श्री अशोकन ने स्टाफ के अन्य सदस्यों के साथ जवाबी गोलीबारी कर दी और आड़ तक पहुंचने में कांस्टेबल की मदद की। इन्हें इसका लाभ भी मिला और इन्होने नक्सलियों की गोलीबारी को भी निष्क्रिय कर दिया। इसके कुछ समय बाद, दो नक्सलियों ने टीम के सदस्यों पर गोलीबारी करते हुए मकान के दो दरवाजे खोले और अंधेरे में भाग गए। टीम तत्काल मकान के अंदर गई और वहां गंभीर रुप से घायल दो महिला नक्सलियों को पाया। बाद में, घायलावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पहचान पार्वती उर्फ सुमति और हाजिमा उर्फ उषा के रुप में हुई। मकान की और तलाशी लेने पर अटारी के पीछे छिपी यशोदा उर्फ सुजाता नामक एक और नक्सली पाई गई। विष्णु और आनंद नामक दो नक्सली बच कर भाग गए थे। यह ग्रुप पीपुल्स वार ग्रुप का एक हिस्सा था जो रायचूर, चिकमगलूर, शिमोगा आदि में नक्सली गतिविधियों में संलिप्त था और उनके विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एस. मुरुगन, पुलिस अधीक्षक और के. सी अशोकन, पुलिस निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ते भी दिनांक 17 नवम्बर, 2003 से दिये जाएंगे ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 51-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, मिजोरम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. डी. एन. पौड्याल,
प्रभारी अधिकारी (अब निरीक्षक)

2. लालरिंथांगा सैलो,
सहायक उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

26.2.2004 को डी. एन. पौड्याल, प्रभारी अधिकारी, पुलिस स्टेशन, कोलासिब को सूचना मिली कि उनके पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में तुइथा वेंग में एक वृद्ध महिला की नृशंस हत्या की गई है और उपराधी अपने हाथ में एक दाव (तेज धार वाला एक हथियार) पकड़े हुए भाग गया है तथा उसने धमकी दी है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वह उसे मार देगा। उक्त निरीक्षक ने ए एस आई लालरिंथांगा सैलो के साथ घटना स्थल की ओर कूच किया। घटनास्थल पर 41 वर्षीय लालनीह्चावंगी नामक महिला, पत्नी हंखोलम, बारबीकिरफेलेन, चुरचांदपुर, मणिपुर की निवासी खून से लथपथ पड़ी थी और उसके शरीर पर तेज धार वाले हथियार से कई घाव किए गए थे। मामले के तथ्यों का पता लगाने और कानूनी औपचारिकतायें शुरु करने के बाद अधिकारी, भगोड़े अपराधी की खोज में निकल पड़े । इन्हें यह भी पता चला कि अपराधी, मृतका के पति की तलाश कर रहा था ताकि वह उसे भी मार सके, वह क्रोधोन्मत और अत्यधिक हिंसक हो गया था तथा जो भी उसके सामने आता वह उसे गंभीर रुप से घायल कर देता। अभियुक्त से तत्काल हथियार छीनना और उसे गिरफ्तार करना अत्यावश्यक हो गया था ताकि वह किसी और की हत्या न कर सके । इस घटना से क्षेत्र में भय का वातावरण छा गया था। एक राजमार्ग पर उसका पता चला और वह कीचम की ओर भाग रहा था । निरीक्षक ने अभियुक्त श्यामलला उर्फ वनलालसियामा को चुनौती दी और उसे पुलिस के सामने समर्पण करने को कहा जिससे उसने इंकार कर दिया। एक भी गलत कदम दोनों अधिकारियों के लिए खतरनाक हो सकता था। इनके लिए यह आवश्यक था कि ये शांत रहें और अपराधी को धर-दबोचने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करें। यह अवसर शीघ्र ही आ गया। सहायक उप-निरीक्षक लालरिंथांगा सैलो इस दृष्टि से अभियुक्त के सामने से ओझल हो गए और जंगल में रणनीतिक मोर्चा संभाल लिया कि श्यामलला जब जंगल में बेफ्रिक हो जाएगा तो उसे पकड़ा जा सकता है। जब सहायक उप-निरीक्षक को अवसर मिला तो इन्होंने अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं की और विलक्षण गति और मुस्तैदी का परिचय देते हुए अभियुक्त पर झपट पड़े और उसे पीछे से पकड़ लिया। अपराधी ने मुक्त होने की भरसक कोशिश की लेकिन सहायक उप-निरीक्षक ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वह बांई ओर मुड़ा और उसने अपना दाव, सहायक उप -निरीक्षक की ओर घुमाया । सौभाग्य से सहायक उप-निरीक्षक दाव के वार से बाल -बाल बचे। निरीक्षक डी.एन. पौड्याल, जो निकट ही थे, आगे बढ़े और अभियुक्त को उसकी कमर से पकड़ लिया। अंतत: दोनों अधिकारी उस अभियुक्त को नीचे गिराने में सफल हुए। वह अभियुक्त शारीरिक रुप से हृष्ट -पुष्ट था और दो अधिकारियों द्वारा भी उसे काबू करना आसान नहीं था ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री डी. एन. पौड्याल, प्रभारी अधिकारी और लालरिंथांगा सैलो, सहायक उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ते भी दिनांक 26 फरवरी, 2004 से दिये जाएंगे ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 52-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. **टीएच. राधेश्याम,**
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. **आई. खाबा सिंह,**
   जमादार (कमांडो)
3. **एस. रोहितकांता मैतेई,**
   कमांडो

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

4 फरवरी, 2005 को पूर्वाह्न लगभग 1030 बजे एक विश्वस्त सूचना मिली कि अधुनातन हथियारों से लैस कुछ सशस्त्र उग्रवादी, उचित अवसर पर सुरक्षा बलों पर घात लगाने के लिए सिरेम्खुल और तैरंपोकपी गांवों के सामान्य क्षेत्र में इधर-उधर घूम रहे हैं। इस विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक टीएच. राधेश्याम, निरीक्षक एन. लोखों सिंह, उप निरीक्षक वाई किशोरचंद , उप-निरीक्षक एम. जेम्स थंगल और जमादार आई. खाबा सिंह के नेतृत्व में उक्त क्षेत्र में विद्रोह -विरोधी अभियान चलाने के लिए इंफाल वेस्ट कमांडो की पांच टीमें तैनात की गईं। सिरेम्खुल गांव पहुंचने पर कमांडो को अलग-अलग दिशाओं में बांटा गया और अभियान चलाया गया। इस प्रकार, अपर पुलिस अधीक्षक टीएच. राधेश्याम और जमादार आई. खाबा सिंह ने गांव के दक्षिण-पश्चिम भाग से घर-घर अभियान चलाया। जैसे ही टीमों ने गांव के कोने को छूते हुए छोटे से नाले को पार किया, जहां ऊंचे पठारी क्षेत्र पर झुम खेती के धान के विशाल खेत फैले हुए थे, वैसे ही अपर पुलिस अधीक्षक टीएच राधेश्याम ने भारी मात्रा में हथियारों से लैस पांच से छः युवकों को देखा जो 100 गज की दूरी पर अभियान क्षेत्र से बच निकलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही यह सूचना आगे भेजी गई वैसे ही भारी मात्रा में हथियारों से लैस युवकों ने कमांडो की ओर गोलियों की बौछार कर दी । इन्होंने भी मोर्चा संभालने के बाद जवाबी गोलीबारी कर दी। सबसे आगे अपर पुलिस अधीक्षक टीएच. राधेश्याम सिंह थे, इनके बिल्कुल पीछे जे सी संख्या 490 जमादार आई. खाबा सिंह और कांस्टेबल संख्या 9802005 , एस. रोहितकांत मैतेई नामक कमांडो थे। ये सभी भारी गोलीबारी के बीच , टीम के अन्य सदस्यों के साथ आगे बढ़े । कमांडो के दृढ़ विश्वास का अंदाजा लगा कर इन युवकों ने पीछे हटते हुए भारी गोलीबारी जारी रखी और निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में भागने की

कोशिश की। इस नाजुक मौके पर, अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम ने कमांडो को इन युवकों का पुरजोर पीछा करने का आदेश दिया ताकि वे भाग कर बच न पायें। इस कार्रवाई में अपर पुलिस अधीक्षक टीएच राधेश्याम मध्य में थे और जे सी सख्या 490 जमादार आई. खाबा सिंह और कांस्टेबल एस. रोहितकांत मैतेई उनके दोनों तरफ थे। ये तीनों रेंगते हुए, विस्तारित लाइन फार्मेशन में रणनीतिक रुप से आगे बढ़े और उन्हें भयंकर मुठभेड़ में उलझाए रखा जब कि टीम के अन्य सदस्य अर्थात् राइफलमैन एम. अकातों , राइफलमैन वाई. प्रियनंद और राइफलमैन एम. अथौबा कवरिंग फाइरिंग दे रहे थे। मुठभेड़ के दौरान एक युवक, जिसने झाड़ियों के पीछे मोर्चा लिया हुआ था और बार-बार गोलीबारी कर रहा था, को लगभग 35 गज की दूरी से अपर पुलिस अधीक्षक/आई. डब्ल्यू, टीएच. राधेश्याम सिंह, जमादार आई. खाबा सिंह और पुलिस कांस्टेबल एस. रोहितकांत मैतेई द्वारा चलाई गई गोलियां लगीं । उनमें से कुछ कमांडो के दृढ़ निश्चय को देख कर पेड़ों का सहारा लेकर पहाड़ी की ओर भाग खड़े हुए। उस युवक की घायलावस्था में मृत्यु हो गई और उसके शव के निकट 12 सक्रिय राउंदों से भरी ए के -56 एसॉल्ट राइफल संख्या 56116800 160 बरामद हुई। वहां की और तलाशी लेने पर, शव से लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक और ए के -56 एसॉल्ट राइफल संख्या 00503 बरामद हुई जो 5 सक्रिय राउंदों से भरी थी। जो युवक मुठभेड़ में मारा गया था, बाद में उसकी पहचान कोठौजाम इबोम्चा सिंह उर्फ माम्टोन , 23 वर्ष, पुत्र के. मनिहर सिंह, निवासी हावोरंग सबल मम्ग लीकई के रुप में की गई जो कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी) नामक प्रतिबंधित संगठन का एक कट्टर स्वयं-भू लांस कार्पोरल था।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री टीएच. राधेश्याम, अपर पुलिस अधीक्षक, आई. खाबा सिंह, जमादार (कमांडो) और एस. रोहितकांता मैतेई, कमांडो ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ते भी दिनांक 4 फरवरी, 2005 से दिये जाएंगे।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 53-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/राष्ट्रपति के पुलिस का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. क्ले खोंगसाई,
   पुलिस अधीक्षक (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)

2. टीएच. कृष्णमतोंम्बी सिंह,
   निरीक्षक (वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक का प्रथम बार)

3. के. बॉबी,
सहायक उप-निरीक्षक (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
4. एल. दिनेश सिंह,
कांस्टेबल (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
5. एस. नाओबी सिंह,
कांस्टेबल (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

16 अप्रैल, 2005 को अपराह्न लगभग 6.00 बजे एक विशिष्ट सूचना मिली कि प्रतिबंधित गैर - कानूनी के वाई के एल (कांग्लेई याओल कन्ना लुप), जिन्होंने पहले असम राइफल्स (ए. आर.) के 10 कार्मिकों पर घात लगाई थी और 16.02.2005 को कुम्बी में कैप्टेन रुपिंदर दीप सिंह और पांच जवानों की हत्या की थी, का सात सदस्यों का एक ग्रुप फिर कईबुल लामजाओ क्षेत्र में सेना के कार्मिकों और पुलिस कमांडो पर हमला करने/घात लगाने की योजना बना रहा है। इस सूचना के आधार पर, श्री क्ले खोंगसाई, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, बिष्णुपुर की कमान में विष्णुपुर कमांडो की एक चुनी हुई टीम, कईबुल लामजाओ में तैनात की गई। सायं लगभग 7.20 बजे कईबुल लामजाओ के सामान्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद टीम को दो उप-ग्रुपों में विभाजित किया गया। स्टॉपों पर थंगा की ओर जाने वाली कईबुल सग्राम सड़क पर दो कार्मिकों के साथ एक ग्रुप का नेतृत्व उप-निरीक्षक आनंद सिंह ने और दूसरे का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक खोगेंद्रो पंगबम ने किया। श्री क्ले खोंगसाई, पुलिस अधीक्षक, विष्णुपुर, निरीक्षक टीएच. कृष्णातोम्बी, प्रभारी अधिकारी, कमांडो और सहायक उप-निरीक्षक के. बॉबी के नेतृत्व वाली अन्य टीम चार कार्मिकों के साथ कईबुल सग्राम के दक्षिण की ओर लगभग आधा किलोमीटर और आगे बढ़ी। उसी समय दो मोटरसाइकलें, जिन पर, प्रत्येक पर तीन-तीन सवार थे, पुलिस टीम की ओर आते दिखाई दीं। तत्काल ही श्री क्ले खोंगसाई, पुलिस अधीक्षक, विष्णुपुर, निरीक्षक कृष्णातोंबी और सहायक उप-निरीक्षक के. बॉबी के नेतृत्व वाली टीम ने उन्हें सत्यांपन के लिए रुकने का संकेत किया। लेकिन अचानक ही अज्ञात युवकों ने, जो अधुनातन हथियारों से पूरी तरह सज्जित थे, घातक बमों सहित गोलीबारी कर दी और उसी के साथ मोटरसाइकलों से कूद पड़े। पुलिस टीम ने भी तत्काल आड़ ले ली और फुर्ती से जवाबी गोलीबारी की तथा भयानक मुठभेड़ शुरु हो गई। उग्रवादियों ने सड़क के पूर्वी नाली की तरफ दो स्थानों पर मोर्चा संभाला और भारी गोलीबारी करते रहे। सहायक उप-निरीक्षक के. बॉबी और कांस्टेबल संख्या 9401112 एस. नाओबी सिंह, जो अत्यंत सुभेद्य और जोखिम वाले स्थान पर थे और जिनके लिए कोई आड़ भी नहीं थी, ने उत्तर की ओर से भयंकर जवाबी गोलीबारी कर दी। इसी बीच श्री क्ले खोंगसाई, पुलिस अधीक्षक ने फुर्ती के साथ निरीक्षक टीएच. कृष्णातोंबी और कांस्टेबल संख्या 9802010 एल. दिनेश सिंह, जो सड़क के किनारे बिना कवर के खुले में थे, को धक्का दे कर एक तरफ कर दिया और लुढकते हुए सड़क के पश्चिम किनारे पर पहुंच गए । इन्होंने अपनी ए के -47 राइफल से उग्रवादियों की ओर तेजी से गोलीबारी शुरु कर दी। हालांकि इनके बिल्कुल निकट से गोलियां सनसनाती हुई निकल रही थी। उग्रवादियों द्वारा फेंके गए कई घातक बम पुलिस टीम के बीच फटे। भाग्य बहादुरों का साथ देता है और इसीलिए उग्रवादियों की चुनौती का बहादुरी से जवाब देने के कारण पुलिस टीम मृत्यु के जबड़े से बच निकली। 15/20 मिनट तक बंदूकी लड़ाई और बम विस्फोटों के बाद पूर्ण शांति छा गई और गोलीबारी थम गई। सहायक उप-निरीक्षक के. बॉबी और कांस्टेबल एस. नाओबी अपने प्राणों को जोखिम में डाल

कर रेंगते हुए अविलम्ब उस स्थान की ओर गए जहां इन्होंने गोलीबारी की थी। इन्होंने सूचित किया कि गोलियों से घायल होने के कारण एक उग्रवादी मारा गया है और उसके शव के पास एक ए के -47 राइफल , तीन ए के मैग्जीन और एक आर.टी.सेट बरामद हुआ है, अन्य उग्रवादी अंधेरे का लाभ उठा कर कईबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क की ओर बच निकलने में सफल हो गए। श्री क्ले खोंगसाई और टीएच. कृष्णातोंबी ने एक साथ एक दूसरे की ओर संकेत किया और एक-एक इंच रेंगते हुए उस दिशा की ओर बढ़ने लगे जिस दिशा में इन्होंने गोलीबारी की थी और गोली लगने से घायल होने के कारण मृत एक उग्रवादी के निकट एक ए-4 यू बी जी एल (अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर), जिसे एम-18 भी कहा जाता है तथा कई घातक बम पड़े मिले। बाकी उग्रवादी अंधेरे का लाभ उठा कर दल-दल भरे राष्ट्रीय पार्क की ओर बच निकलने में सफल हो गए। श्री क्ले खोंगसाई ने 11 गढ़वाल राइफल्स की एक टीम, जिसे थंगा स्टॉप के निकट तैनात किया गया था, के साथ संपर्क किया और वे उस क्षेत्र की और तलाशी लेने में और सहायता करने के लिए 15 मिनट बाद पुलिस टीम के साथ पहुंच गए।

मारे गए दो उग्रवादियों की पहचान बाद में निम्नानुसार की गई:

(1) स्वयंभू सार्जेंट खुमंथम बसंत उर्फ रोमी (26) वर्ष, पुत्र केएच. भुबन, वांगू ममंग सबल लेईकाई, के वाई के एल लड़ाकू ग्रुप, एस/एस उप कमांडर, एस ओ सी

(2) लांस कारपोरल लोइतोंगबम बिमो उर्फ सुनील उर्फ अल्बाज (28) वर्ष, पुत्र (स्व.) एल.मुनल, सेकमैजिन खुनोउ लितन मखोंग, के वाई के एल लड़ाकू ग्रुप। एस ओ सी की टीम (स्पेशल आपेरशन कमांड)

इस मुठभेड़ में मारे गए दो उग्रवादियों से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारुद बरामद हुआ:

(1) एक ए-4 यू बी जी एल (अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर) /एम-18 राइफल संख्या बी-3457, जिस पर मैग्जीन फिट की हुई थी, जिसके चैम्बर में एम -16 का एक सक्रिय राउंद था और मैग्जीन में दो राउंद थे।

(2) ए-4 का एक खाली मैग्जीन,

(3) सक्रिय घातक बम -चार (4) नग,

(4) एम-16 गोली-बारुद का एक पाउच जिसमें सतासी (87) सक्रिय राउंद थे।

(5) एक ए के -47 राइफल संख्या 6083, जिस पर मैग्जीन फिट किया हुआ था जिसके चैंबर में एक सक्रिय राउंद था और मैग्जीन में तीन (3) सक्रिय राउंद थे।

(6) एक मैग्जीन पाउच जिसमें 30 राउंदों के साथ एक ए के-मैग्जीन थी ।

(7) ए के गोली बारुद के तिरसठ (63) सक्रिय राउंद

(8) खाली ए के मैगजीन -दो (2) नग

(9) सिंगापुर में निर्मित एक केनवुड आर. टी. वायरलेस सेट , 144 मेगाहार्ट्ज एफ एम ट्रांसीवर संख्या 50300037

इस मुठभेड़ में सर्वश्री क्ले खोंगसाई, पुलिस अधीक्षक, टीएच. कृष्णातोंबी सिंह, निरीक्षक, के. बॉबी, सहायक उप-निरीक्षक, एल. दिनेश सिंह, कांस्टेबल और एस. नाओबी सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक/राष्ट्रपति के पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ते भी दिनांक 16 अप्रैल, 2005 से दिये जाएंगे ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 54-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एन. तिकेन्द्र मैतेई,
   सहायक उप निरीक्षक

2. एल. माणिक सिंह,
   सहायक उप निरीक्षक

3. मो. हुसैन,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

29.11.2003 को पूर्वाह्न लगभग 7.45 बजे थाऊबल जिला नियंत्रण कक्ष को, आई ई डी लगाने और सुरक्षा बलों पर घात लगाने के इरादे से सालुंगफम और लांगमैथेट गांवों में उनकी लड़ाकू डिवीजन से संबंधित निर्धारित पी एल ए के कुछ सशस्त्र सदस्यों की आवाजाही के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। इसके तत्काल बाद, एस पी/थाऊबल की देख-रेख में थाऊबल जिला पुलिस के संयुक्त बल ने उस क्षेत्र की तरफ प्रस्थान किया। पुलिस टीम ने तीन ग्रुपों में कार्रवाई की, प्रत्येक दल का नेतृत्व एक अधिकारी ने किया। भागने के सभी सम्भावित रास्तों को सील करने के उद्देश्य से सहायक उप निरीक्षक एन. तिकेन्द्र मैतेई (ए के असाल्ट राइफल के साथ) के नेतृत्व में टीम को और सी डी ओ/थाऊबल के कांस्टेबल सं. 984004 मो. हुसैन (एस एल आर के साथ) को सालुंगफम क्षेत्र में तैनात किया गया, सहायक उप निरीक्षक एल. माणिक सिंह (ए के असाल्ट राइफल के साथ) के नेतृत्व में दूसरी टीम को लांगमैथेट में तैनात किया गया और निरीक्षक (एल) एन. राजेन सिंह के नेतृत्व में तीसरी टीम को सरम लांग मैथेट जंक्शन में तैनात किया गया। पूर्वाह्न लगभग 8:05 बजे कमान्डो ने अपना-अपना मोर्चा संभाला तथा तलाशी और जांच शुरु की। पूर्वाह्न लगभग 8:15 बजे सहायक उप निरीक्षक एन. तिकेन्द्र मैतेई के नेतृत्व वाली टीम, जोकि सालुंगफम क्षेत्र में थी, ने धान के खेतों में अत्याधुनिक हथियारों के साथ लगभग 8/9 युवकों को देखा। सहायक उप निरीक्षक एन. तिकेन्द्र मैतेई और उनकी टीम ने अपनी ज़ान को जोखिम में डालते हुए सशस्त्र आतंकवादियों का तुरन्त पीछा किया। टीम ने शस्त्रों से पूरी तरह लैस आतंकवादियों को चेतावनी दी और अपनी पहचान बताने और हथियार डाल देने के लिए कहा। इसके बावजूद आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाना शुरु कर दिया। कमान्डो ने भी

बदले में गोली चलाई और भीषण मुठभेड़ शुरु हो गई। सशस्त्र व्यक्ति खाई/नालों और पेड़ों का लाभ उठाते हुए, कमान्डो को उलझाने के लिए 3/4 ग्रुपों में बंट गए और लगातार गोली चलाते रहे। सहायक उप निरीक्षक एन. तिकेन्द्र मैतेई और इनकी टीम रेंगते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ी। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता किए बिना, सहायक उप निरीक्षक एल. माणिक सिंह और सहायक उप निरीक्षक एन. तिकेन्द्र मैतेई और कांस्टेबल सं. 984004 मो. हुसैन ने निरीक्षक (एल) राजेन सिंह, हैड कांस्टेबल वाई. सरत चन्द्र सिंह और अन्य द्वारा की गई कवरिंग गोलीबारी की आड़ में आतंकवादियों का पीछा करना शुरु किया। सहायक उप निरीक्षक एल. माणिक सिंह, सहायक उप निरीक्षक एन. तिकेन्द्र मैतेई और कांस्टेबल मो. हुसैन अन्ततः उस खाई के निकट पहुंचने में सफल हो गए जहां आतंकवादी छुपे हुए थे। सहायक उप निरीक्षक एन. तिकेन्द्र मैतेई आगे रेंग रहे थे और इन्होंने दो सशस्त्र आतंकवादियों को ए के असाल्ट राइफलों से इन पर गोली चलाते हुए देखा। इन्होंने तत्काल जवाबी गोलीबारी भी की और उस एक आतंकवादी को मार गिराया जिसने खाई में आड़ ली हुई थी। उसकी पहचान बाद में असीम चन्द्र उर्फ पी के साना पुत्र ए. विद्याचन्द, लामलई, प्रतिबंधित पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी एल ए) के सदस्य के रुप में की गई। मृतक के सीने में गोली लगी थी। सहायक उप निरीक्षक एल. माणिक और कांस्टेबल मो. हुसैन, जोकि बांयी तरफ रेंग रहे थे, ने भी दूसरे आतंकवादी को इनकी तरफ गोली चलाते हुए देखा। इन्होंने जवाब में गोली चलाई जिससे एक आतंकवादी मारा गया जिसकी पहचान बाद में एस/एस एल/कारपोरल सीराम इनाओ, सबुनगखोक के एस. सत्यवान के पुत्र, प्रतिबंधित पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी एल ए) के कट्टर आतंकवादी के रुप में की गई। मृत आतंकवादी के कंधे और गर्दन पर गोली लगी थी। बाकी आतंकवादी नाले के साथ-साथ पहाड़ी की तरफ भागने में सफल हो गए।

घटनास्थल से निम्नलिखित अभिशंसी मदें बरामद की गईं:-

1. चैम्बर में एक जीवित राउन्द के साथ चीन निर्मित (नॉरिनको) "एम ओ डी" 21 जे बी 9 एम एम पैरा लोडिड मैगजीन के साथ एक 9 एम एम पिस्तौल
2. एक एच ई हथगोला
3. ए.के. गोलाबारुद का एक जीवित राउन्द
4. .38 का एक जीवित राउन्द
5. बिना चिन्ह और बिना मेक के एक विदेश निर्मित हथगोला
6. एक वायरलैस सैट (कैनवुड)
7. 4(चार) खुले कागज, जिनमें उनके नाम, रैंक और संबंधित पुकारने का (काल) संकेत लिखा हुआ था।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एन. तिकेन्द्र मैतेई, सहायक उप निरीक्षक, एल. माणिक सिंह, सहायक उप निरीक्षक और मो. हुसैन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29.11.2003 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 55-प्रेज़/2006-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/पुलिस का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. आई. खाबा सिंह, जमादार (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2. एस. बबलू सिंह, कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

10.05.05 को पूर्वाह्न लगभग 9.30 बजे एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि एक लडके नामत: कायेनपाईबम चिंगलेम्बा सिंह (16 वर्ष) साईरेम खुल के के. बोबो सिंह के पुत्र, जिसका लगभग 10 दिनों पहले एक आतंकवादी ग्रुप, जिसका कंगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी) होने का संदेह है, द्वारा अपहरण किया गया था, को हाओरंग सबल मायाई लेईकाई, लामसंग स्थित घर में रखा गया है। उक्त क्षेत्र में और उसके आस-पास आतंकवादियों को पकड़ने हेतु अभियान चलाने के लिए ओ सी/कमान्डो यूनिट, इम्फाल पश्चिम जिला के निर्देशानुसार तत्काल जमादार आई.खाबा सिंह और उप निरीक्षक पी. जॉन सिंह के नेतृत्व में एक कमान्डो टीम को उक्त क्षेत्र में भेजा गया। जब यह पार्टी उस गांव में पहुंची तो इन्होंने अपने वाहन को सुरक्षित स्थान में खडा किया और रणनीतिक रुप से पैदल ही आगे बढ़े। कमांडो टीम को दो ग्रुपों में विभाजित कर दिया गया और वे संदिग्ध घर की प्रभावपूर्ण तरीके से घेराबंदी करने के लिए विभिन्न दिशाओं से संदिग्ध स्थान की तरफ आगे बढ़े। इस तरह जमादार खाबा सिंह के नेतृत्व में कमान्डो का एक छोटा सा ग्रुप जब गांव के दक्षिणी-पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ रहा था, तो दो युवकों को, कोन्थौजाम नन्दो सिंह (30 वर्ष), पुत्र के. इबोहन्बी सिंह, हाओरंग सबल मायाई लेईकाई, लामसंग के घर से, भागते हुए देखा गया। दोनों युवकों की सन्देहास्पद हरकत को देख कर जमादार खाबा ने उन्हें अपनी पहचान कराने के लिए रुकने के लिए कहा। तथापि, दोनों युवकों ने चेतावनी की तरफ ध्यान नहीं दिया, और इसके बजाय विभिन्न दिशाओं में दौड़ने लगे और इसी क्रम में, उन्होंने उनका पीछा करने वाले कमान्डो की तरफ गोलियां भी चलाई। जमादार आई.खाबा सिंह और उप निरीक्षक पी.जान ने कांस्टेबल बबलू सिंह के साथ फुर्ती के साथ जवाब में गोलियां चलाई और भीषण मुठभेड़ शुरु हो गई। दोनों युवक जो घर से बाहर भाग रहे थे, पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़े जहां नाला था। कोई विकल्प न रहने पर सी डी ओ आड़ लेने के लिए गोशाला की तरफ दौड़े और जवाबी गोलीबारी की। जमादार आई.खाबा सिंह और कांस्टेबल बबलू जिनके पास ए के-47 राइफल थी, उस युवक पर टूट पड़े जो अपनी रिवाल्वर से गोली चला रहा था। सशस्त्र युवक गोलीबारी से बचते हुए नाले में कूद पडा और बार-बार चेतावनी के बावजूद, अंतिम उपाय के रुप में गोलीबारी करता रहा। जब सशस्त्र युवक ने नाले में से कांस्टेबल एस.बबलू सिंह को मार गिराने का प्रयास किया तो जमादार आई.खाबा सिंह ने फुर्ती से कांस्टेबल बबलू को पीछे हटाया जो बिना किसी आड के खुले में खडे थे। वे जमीन पर लेट गए और अपनी ए के-47 राइफल से तेजी से गोली चलाई। इस तरह युवक को गोली लगी और वह गिर पडा तथा नाले में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पहचान बाद में थांगजाम रतन सिंह उर्फ सुनील (22 वर्ष), हेई बोंगपोकपी मामांग लेईकाई के टी एच. सेलुंग्बा के पुत्र के सी पी के सक्रिय कार्यकर्ता के रुप में की गई है। शव के पास से एक .38 रिवालवर (एन फील्ड) एल 5300, 3 (तीन) जिन्दा कारतूसों के साथ बरामद की गई। उसी क्षण, उप निरीक्षक पी.जॉन जो अपनी 9 एम एम पिस्तौल से गोलीबारी में सहायता कर रहे थे, अकस्मात एक अन्य युवक को देखा जो पुलिस के चक्रव्यूह से बचने के लिए नाले की तरफ भागने का प्रयास कर रहा था। इन्होंने तत्काल भागते हुए युवक का पीछा किया और उसे घर के दक्षिणी हिस्से में मार गिराया। बाद में उसकी पहचान कबुनगम बोमचा मैतेई उर्फ वांगबा (19 वर्ष) पुत्र सी. लोकेन्द्रो सिंह, हेईबोंगपोकपी ममांग लेईकाई, यू जी गुट के सी पी के लडाकू ग्रुप के सक्रिय कार्यकर्ता के रुप में की गई, शव के पास से के सी पी के 3 (तीन) मांग पत्र बरामद किए गए। मुठभेड़ के पश्चात कमान्डो ने उस घर में तलाशी अभियान चलाया जहां युवकों ने शरण ली हुई थी। यू जी गुट द्वारा अपहृत लडका घर के अन्दर पाया गया और इस तरह उसे सुरक्षित बचा लिया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री आई खाबा सिंह, जमादार और एस.बबलू सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 मई, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 56-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. वाई. ओकेन मैतेई,
   उप निरीक्षक
2. एन. गिंजालियन,
   कांस्टेबल
3. ए. मोधू सिंह,
   कांस्टेबल
4. टी एच. सुरेश सिंह,
   कांस्टेबल
5. टी. ओपेन्द्रो सिंह,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

15.01.2005 को अपराह्न लगभग 7.45 बजे एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ सशस्त्र आतंकवादी, जिन पर पीपल यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट (संक्षेप में पी यू एल एफ) के सदस्य होने का संदेह है, विनाशकारी और नापाक कृत्य करने की दृष्टि से इधर-उधर घूम रहे हैं और उन्होंने केईराव माक्तिंग मेजर इंग्खोल माथाई लेइकाई में शरण ली हुई है। आगे यह भी पता चला कि इन आतंकवादियों के मो. अब्दुल हेलिम शेख उर्फ निंगथेम (43), कियामगेई ओईनम लाऊकोन के माजिद अली के पुत्र की 12.12.2004 को हुई हत्या में शामिल होने का भी संदेह है। सूचना के आधार पर, इम्फाल पूर्वी जिला पुलिस के कमान्डो की टीमें उप निरीक्षक वाई. ओकेन मैतेई के नेतृत्व में दो हल्के वाहनों में रणनीतिक रुप से उक्त क्षेत्र में पहुंची। कमान्डो टीमें अपराह्न लगभग 8.00 बजे

कियामगेई पुल पर पहुंची। कियामगेई पुल से,कमान्डो टीमों को दो ग्रुपों में विभाजित किया गया, एक ग्रुप को, कांस्टेबल 9801163ए. मोधू सिंह, कांस्टेबल 0101248 टी एच. सुरेश सिंह और कांस्टेबल 0101253 टी. ओपेन्द्रो सिंह के नेतृत्व में गांव के दक्षिणी हिस्से की तरफ बढने और उसके पश्चात पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैनात किया गया। दूसरी टीम, उप निरीक्षक वाई. ओकेन मैतेई के नेतृत्व में कांस्टेबल सं. 9801144 बी. गिंजालियन और अन्य को साथ लेकर धान के खेत में से होते हुए संदिग्ध आतंकवादियों के स्थल/शरण स्थान केईराव मार्क्तिंग मेजर इंग्खोल मायाई लेईकाई के आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ पैदल ही आगे बढ़े। चार कांस्टेबलों को, कमान्डो वाहनों को सुरक्षित करने और गांव की गलियों के पास मुख्य सड़क पर उनके बच कर भागने के रास्ते को रोकने के लिए पीछे छोड़ दिया गया। धान के खेत को पार करने के पश्चात, इनकी अवस्थिति से लगभग 20/25 मीटर की दूरी पर लगभग 7/8 युवकों को संदिग्धावस्था में नदी के पूर्वी हिस्से से एक पंक्ति में केईराव मार्क्तिंग मेजर इंग्खोल मायाई लेईकाई की तरफ आते हुए देखा गया। उप निरीक्षक वाई ओकेन मैतेई, के नेतृत्व में कमान्डो टीम ने तत्काल संदिग्ध युवकों को रुकने के लिए कहा। रुकने के बजाय, उन्होंने अत्याधुनिक हथियारों से कमान्डो की तरफ गोली चलाना शुरु कर दिया। कमान्डो ने तत्काल डाईव लगाई और उथले नाले में मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादियों की भारी गोलीबारी में, उप निरीक्षक वाई ओकेन मैतेई और कांस्टेबल गिंजालियन ने आतंकवादियों की तरफ गोलीबारी करके तत्काल जवाबी कार्रवाई की। आतंकवादियों की अचानक गोलीबारी से आश्चर्यचकित होने के बावजूद, उप-निरीक्षक वाई. ओकेन मैतेई जोकि सी. आई ओप्स में अनुभवी अधिकारी हैं, के नेतृत्व में कमान्डो टीम ने स्थिति का मुकाबला किया और उसे नियंत्रित किया। इन्होंने अपने साथियों को विभिन्न दिशाओं में फैला दिया। स्वयं उप निरीक्षक वाई. ओकेन मैतेई और कांस्टेबल सं. 9801144 एन. गिंजालियन आतंकवादियों की तरफ आगे बढ़े और जमीन पर लेट कर रेंगते हुए अपनी एके-47 राइफलों से आतंकवादियों पर गोलीबारी करके सीधे हमला किया। अपनी राइफलों के साथ अन्य कांस्टेबलों (1) कांस्टेबल 9801163 ए. मोधू सिंह (2) कांस्टेबल सं. 0101248 टी एच. सुरेश सिंह और (3) कांस्टेबल सं. 01011253 टी. ओपेन्द्रो सिंह, जिन्हें दक्षिणी दिशा की तरफ तैनात किया गया था, को नदी से लगे गांव की दक्षिणी-पश्चिमी दिशा में बच कर भाग निकलने के रास्तों को रोकने के लिए पुन: निर्देश दिया गया। टीमें दक्षिणी-पश्चिमी दिशा पर आतंकवादियों के भागने के रास्ते को रोकने में सफल रही। मुठभेड़ शुरु होने के लगभग 15/20 मिनट के पश्चात आतंकवादियों की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं हुई और कमान्डो उस स्थान में घुस गए जहां आतंकवादियों ने मोर्चा संभाला हुआ था और उसकी गहन तलाशी ली, तलाशी के दौरान गोलियों के घावों के साथ एक शव, एके-56 राइफल जिसकी पजोकरण संख्या 2802845 थी और 10 (दस) जीवित राउन्द से भरी हुई एक मैगजीन बरामद की गई। बाद में, उसकी पहचान केईराव मार्क्तिंग मैजर इंग्खोल मायाईलेईकाई के मो. अमीर (25) प्रतिबंधित पीपल यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट के स्वयं कप्तान के रूप में की गई। आगे तलाशी लेने के परिणामस्वरुप एक ओर शव के साथ एक .38 रिवाल्वर (इंग्लैण्ड में निर्मित), .38 गोलाबारुद के 4(चार) जीवित राउन्द और 10(दस) जीवित राउन्द से भरी एक मैगजीन बरामद की

गई। उसकी पहचान बाद में केईराव माक्तिंग मेजर इंग्खोल, के मो. कियामुद्दीन (28), पी यू एल एफ के कट्टर सदस्य के रुप में की गई। घटनास्थल से निम्नलिखित हथियार और गोलीबारुद बरामद किया गया:

1. पंजीकरण सं. 2802845 वाली एक एके-56 राइफल।
2. 10(दस) जीवित राउन्द से भरी एक मैगजीन और चैम्बर में भरा एक राउन्द।
3. इंग्लैण्ड में निर्मित एक .38 रिवाल्वर।
4. .38 गोलीबारुद के 4(चार) जीवित राउन्द।
5. ए के राइफल गौलीबारुद के 50(पचॉस) खाली खोल

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री वाई. ओकेन मैतेई, उप निरीक्षक, एन. गिंजालियन, कांस्टेबल, ए. मोधू सिंह, कांस्टेबल, टीएच. सुरेश सिंह, कांस्टेबल और टी. ओपेन्द्रो सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 जनवरी, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 57-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री एल. सानातोम्बा सिंह,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

04.02.2005 को अपराह्न लगभग 4.00 बजे, एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर कि सशस्त्र भूमिगत आतंकवादी लाफूपट पर टेरा क्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं, निरीक्षक एन. लोखोन सिंह, ओ/सी कमान्डो, इम्फाल पश्चिम, की कमान में आठ कमान्डो टीमों वाले एक सशक्त ग्रुप ने उस क्षेत्र की तरफ प्रस्थान किया। राज्य की राजधानी से लगभग 50 कि.मी. दूरी पर स्थित गांव, (जहां इम्फाल पश्चिम जिला मुख्यालय स्थित है) अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण आस-पास के गांवों में फैले विभिन्न आतंकवादियों के छुपने के स्थान के रुप में जाना जाता है। सेकमाईजिन नदी के साथ-साथ घुमावदार कच्ची सड़क पर लगभग एक घंटे तक उस क्षेत्र की तरफ सावधानीपूर्वक बढ़ने के पश्चात निरीक्षक एन. लोखोन सिंह के नेतृत्व में कमान्डो लाफूपट टेरा के साथ अरोंग नोंगमाईखोंग गांव को जोड़ने वाले बैली पुल के पास पहुंचने ही वाले थे। निरीक्षक लोखोन ने अपनी दूरबीन के जरिए देखते हुए, कुछ दूरी पर यू जी

तत्वों की संदिग्ध हरकतों को देखा। निरीक्षक एन. लोखोन सिंह के संकेत पर कमान्डो तत्काल वाहनों से उतर पडे और अपने बुलैट प्रुफ वाहनों के पीछे रणनीतिक ढंग से संदिग्ध स्थान की तरफ आगे बढ़े। जब निरीक्षक लोखोन और उप निरीक्षक खोगेन सिंह की टीमें लगभग 200 गज की दूरी पर स्थित छोटी सी झोंपडी तक जाने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, तब कुछ सशस्त्र युवक झोंपड़ी से बाहर आ गए और ए के राइफलों जैसे अधुनातन हथियारों से कमान्डो पर गोली चलाने लगे। निरीक्षक लोखोन और उनकी पार्टी ने तत्काल अपने बुलैट प्रुफ वाहनों के पीछे कवर लेते हुए जवाबी गोलीबारी की। कार्य बल के अन्य सदस्य काफी पीछे थे और वे निकटवर्ती क्षेत्र और झोंपडी के पास से आतंकवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के कारण उस स्थान के निकट नहीं आ सके। श्री लोखोन और उनकी टीम के सदस्यों को भारी गोलीबारी में अपना बचाव करना पडा। अचम्भे में पड़ जाने और शुरु में ही आसन्न खतरे के सामने पड़ जाने पर भी श्री लोखोन ने अपना धैर्य नहीं खोया। इन्होंने तत्काल स्थिति को संभाल लिया और मुकाबला करने के लिए जवाबी हमले के उपाय करने का आदेश दिया। ये यह निष्कर्ष निकालने में सफल रहे कि झोंपड़ी की तरफ से लगभग 10/12 व्यक्तियों द्वारा गोलीबारी की जा रही है। झोंपड़ी में से गोलीबारी करने वाले सशस्त्र युवकों के अलावा सड़क के साथ निकटवर्ती क्षेत्र में फैले अन्य आतंकवादी भी मुठभेड़ में शामिल हो गए। इस तरह उनकी संख्या मुठभेड़ में, वास्तव में लगे कमान्डो से अधिक हो गई। शुरुआत में ही कमान्डो द्वारा विपरीत और कठिन परिस्थिति का सामना करने के बावजूद निरीक्षक लोखोन और सहायक उप निरीक्षक (अब उप निरीक्षक) खोगेन ने अपनी टीम के सदस्यों की नियंत्रित और सूझ-बूझ के साथ कमान की। विपरीत दिशा से भारी गोलीबारी जारी रहने के कारण निरीक्षक लोखोन को लोकटकपट (लोकटक झील) के किनारे स्थित तालाब में कूदने के लिए विवश होना पडा, जहां इन्होंने छोटे से टीले के पीछे मोर्चा संभाल लिया और तेजी से अपनी एके-47 राइफल से गोलीबारी की। इस तरह वे झोंपडी के दक्षिणी हिस्से में छुपे एक आतंकवादी को मार गिराने में सफल हो गए। आतंकवादी की पहचान बाद में एस/एस लांस कोरपोरल मयांगलम्बम चोबा सिंह, काकचिंग खुनोऊ के (स्वर्गीय) एम. पीतम सिंह के पुत्र, प्रतिबंधित संगठन यू एन एल एफ के कट्टर आतंकवादी के रुप में की गई। दूसरी तरफ सहायक उप निरीक्षक खोगेन (अब उप निरीक्षक के रुप में पदोन्नत) जिनके पास एल एम जी थी ने अपने दो बहादुर कमान्डो नामत: सी/सं. 94011 37 एल. सानातोम्बा और कांस्टेबल सं. 9801122 एल.धनबीर (जिनके पास भी एके-47 राइफलें थीं) के साथ अन्य आतंकवादियों से मुकाबला किया, जबकि उप निरीक्षक खोगेन और कांस्टेबल एल.धनबीर ने कवरिंग गोलीबारी की। सी/सं.9401137 एल.सानातोम्बा ने गन्धसफेदा पेड़ के पीछे आड़ ले ली और तत्काल गोलीबारी की तथा एक उग्रवादी को मार गिराया जिसकी पहचान बाद में एस/एस कोरपोरल सानासम इबोपीसक सिंह, वाई खोंग ममांग लेईकोई के (स्वर्गीय) एस.बोबा सिंह के पुत्र, प्रतिबंधित यू एन एल एफ संगठन से संबंधित के रुप में की गई। कांस्टेबल सानातोम्बा ने कुछ सेकन्डों के पश्चात, झोंपड़ी के दक्षिणी हिस्से की तरफ ध्यान दिया और निरीक्षक लोखोन को गोलीबारी करके कवरिंग फायर प्रदान किया जिन्होंने एक उग्रवादी को मार गिराने में सफलता प्राप्त की।

इस मुठभेड़ में, श्री एल. सानातोम्बा सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य बीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 फरवरी, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 58-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री प्रणब सेन गुप्ता,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

31.07.2003 को उप निरीक्षक (यू बी) प्रणब सेन गुप्ता को अपने सूत्र से गुप्त सूचना मिली कि एन एल एफ टी (बी एम) ग्रुप के 10/12 सशस्त्र आतंकवादी इलाके में जघन्य अपराध करने के उद्देश्य से पुलिस स्टेशन से उत्तर-पूर्व की तरफ लगभग 5 कि.मी. की दूरी पर टकरजाला पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत आमतली पाड़ा में घूम रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर, उप निरीक्षक (यू बी) प्रणव सेन गुप्ता, सी आई टी के जे, 3 उप निरीक्षकों, 1सहायक उप निरीक्षक, 6 पुलिस स्टेशन कांस्टेबलों और 7वीं बटालियन टी एस आर के 10 राइफलमैनों के साथ दो ग्रुपों में बंट गए और सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन से आमतली पाड़ा के लिए निकल पड़े। लगभग 1930 बजे अभियान पार्टी पदचिन्हों का पीछा करते हुए आमतली पाड़ा स्थित गांव पहुंची। उप निरीक्षक (यू बी) प्रणव सेन गुप्ता ने गांव में स्टाफ को ब्रीफ करना शुरु कर दिया। अचानक कुछ अनजान आतंकवादी उस स्थान पर आ गए और पुलिस की मौजूदगी को भांप कर उन्होंने अभियान पार्टी पर गोलियां चलाना शुरु कर दिया। उप निरीक्षक (यू बी) प्रणब सेनगुप्ता ने तत्काल नजदीक से अपने व्यक्तिगत हथियार से गोलीबारी करके जवाबी कार्रवाई की। बिना समय गंवाए इन्होंने स्टाफ को गोली चलाने के आदेश दिए। उप निरीक्षक सेनगुप्ता ने बहुत ही नजदीक से अपनी 9 एम एम सर्विस पिस्तौल से 14 राउन्ड गोली चलाई। इन्होंने बहुत ही बहादुरी से कार्रवाई की और बुद्धिमानी का परिचय दिया जिसके कारण इनके साथ गए कार्मिकों के जीवन की रक्षा हो सकी। मुठभेड़ के दौरान, सी/988 बीद्दी देबबर्मा, सी आई टी के जे के पी जी को दांयी टांग पर गोली लगी। लगभग आधे घंटे तक गोलीबारी होती रही। जब गोलीबारी रुकी तो उप निरीक्षक (यू बी) प्रणब सेनगुप्ता ओ/सी टकरजाला पुलिस स्टेशन ने उस क्षेत्र की घेराबंदी की और तलाशी का नेतृत्व किया। तलाशी के दौरान कोमबेट ड्रेस में लगभग 22 वर्ष आयु के आतंकवादी का शव, गोला बारुद पाउच आदि बरामद हुआ। एक एके-56 राइफल, एक चीनी ग्रेनेड, 101 राउन्ड जीवित ए के गोला बारुद और अभिशंसी दस्तावेज शव के पास से बरामद किए गए। शव के पास से बरामद डायरी से आतंकवादी की पहचान दयाल हरिजमातिया उर्फ दल सुखिया, गांव कृष्ण भक्त पाडा उदयपुर, दक्षिणी त्रिपुरा के रुप में हुई। बाकी आतंकवादी ग्रुप, परस्पर गोलीबारी के दौरान पेड़-पौधों और उबड़-खाबड़ भूभाग का लाभ उठाते हुए भागने में सफल रहे।

इस मुठभेड़ में, श्री प्रणब सेन गुप्ता, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31 जुलाई, 2003 से दिया जाएगा ।

वरूण मित्रा
निदेशक

सं० 59-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री इन्द्रेन्द्र देब वर्मा,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

13.12. 2003 को निरीक्षक बी. देब वर्मा सी आई टकरजाला को अपने सूत्र जरमनी पाडा, गंगा चरन पाडा 100 परीवार कालोनी, हरिदेव्रा पारा के क्षेत्र में आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई। तदनुसार इन्होंने जम्पुईजाला ए/आर कैम्प में सम्पर्क किया और उस क्षेत्र में अभियान की योजना बनाई। 14.12.2003 को लगभग 0200 बजे निरीक्षक बी. देब वर्मा, कमान्डेंट, अन्य अधिकारियों और 6 ठीं बटालियन (ए आर) का स्टाफ तथा टी के जे पुलिस स्टेशन का स्टाफ पांच ग्रुपों में बंट गया और घात लगाई । निरीक्षक बी. देब वर्मा, सहायक उप निरीक्षक एन. के. चकमा, बी. देब वर्मा के एक पी जी, एस डी पी ओ तथा 6 ए आर के 5 जवानों ने जरमनी पाडा में घात लगाई। कमांडेंट 6 ए आर के नेतृत्व में दूसरी पार्टी ने जरमनी पाडा से लगभग आधा कि. मी. पश्चिम में स्थित हरिदेव्रा पाडा में घात लगाई, कैप्टन बी. कटारिया के नेतृत्व में तीसरी पार्टी ने जरमनी पाडा से लगभग 3.5 किमी पश्चिम में स्थित गंगा चरन पाडा में घात लगाई, मेजर अमर सिंह के नेतृत्व में चौथी पार्टी ने जरमनी पाडा से लगभग 5 कि. मी. पश्चिम में स्थित में 100 परीवार कालोनी में घात लगाई । मेजर के. एस. सिंह के नेतृत्व में पांचवी पार्टी ने जरमनी पाडा से लगभग 2.5 कि.मी. दक्षिण में स्थित नारायण पाडा में घात लगाई। लगभग 0745 बजे निरीक्षक बी. देब वर्मा ने 100 परिवार कालोनी की दिशा से भारी गोलीबारी की आवाज सुनी। इन्होंने हरि देव्रा पाडा स्थित निकटतम असम राइफल्स पार्टी से सम्पर्क किया और उन्हें पता चला कि 100 परिवार कालोनी स्थित ए आर पार्टी की आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है जिसमें एक आतंकवादी मारा गया है। तदनुसार निरीक्षक बी देब वर्मा ने घात हटा ली और 100 परिवार कालोनी की तरफ बढ़ना शुरु किया। रास्ते में इन्होंने जरमनी पाडा स्थित 2/3 घरों की तलाशी ली और पश्चिम की तरफ पगडंडी पर आगे बढ़ गए। तीखे मोड़ को पार करने के पश्चात, अचानक निरीक्षक बी. देब वर्मा ने अपने सामने पगडंडी पर 6/7 आतंकवादियों को देखा। निरीक्षक बी. देब वर्मा की पार्टी को देखते ही आतंकवादियों ने अभियान पार्टी को निशाना बना कर गोलीबारी शुरु कर दी। निरीक्षक बी. देब वर्मा ने तत्काल पगडंडी के एक तरफ छलांग लगाई और स्वयं गोली चलाना शुरु कर दिया और अपनी पार्टी को गोलीबारी करने का आदेश

दिया। इन्होंने अपनी जान और व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल चिन्ता किए बिना आतंकवादियों की तरफ बढ़ते हुए अपनी ए के 47 राइफल से नजदीक से 14 राउन्ड गोली चलाई । लगभग दस मिनटों तक गोलीबारी होती रही। इसी बीच आतंकवादी आस पास के घने जंगलों का लाभ उठाते हुए घटना स्थल से भाग खड़े हुए। गोलीबारी रुकने के पश्चात इन्होंने क्षेत्र की गहन तलाशी ली । तलाशी के दौरान, लगभग 0830 बजे दो अज्ञात आतंकवादियों के शवों के साथ एक मैगजीन और 5 राउन्ड सहित एक जी-3 राइफल बरामद की गई। स्थानीय साक्षियों ने आतंकवादियों के शवों की पहचान गैर कानूनी प्रतिबन्धित एन एल एफ टी (बी एम) ग्रुप के कट्टर सदस्यों नामत: (1) टायडु पी. एस. दक्षिणी त्रिपुरा के टायडु के अमृत जमातिया (ग्रुप का क्षेत्रीय कमान्डर) (2) लतिया चेरा, विशालगढ़ पी एस, पश्चिम त्रिपुरा के विधु देब वर्मा के रुप में की गई। पी.ओ से कुछ अभिशंषी दस्तावेज आदि बरामद किए गए। तलाशी के दौरान, एन एल एफ टी आतंकवादी ग्रुप के 3 (तीन) सहयोगियों नामत: (1) हरिदेबरा पाडा के बिधान देब वर्मा (2) कला चौधरी पाडा के कमल देब बर्मा और (3) परिबार कालोनी, टकरजाला पी. एस. पश्चिम त्रिपुरा जिला के बिसवा लक्ष्मी देब बर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। टी के जे पी एस क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित यह एक सबसे अधिक सफल अभियान था जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे और अत्याधुनिक हथियारों और गोलाबारुद की बरामदगी के साथ 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था । यह अभियान निरीक्षक बी. देब बर्मा की सूचना के कारण सफल हुआ जिसमें इन्होंने व्यक्तिगत अनूठी वीरता और साहसी कार्रवाई, कर्त्तव्य का पालन करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला।

इस मुठभेड़ में, श्री ब्रजेन्द्र देब बर्मा, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 दिसम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 60-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

	अधिकारियों के नाम और रैंक	
सर्व/श्री		
1.	दलजीत सिंह चौधरी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	कृष्ण बहादुर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक
3.	संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक
4.	हरि ओम सिंह, उप निरीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक
5.	नागेश कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक
6.	रहीम खान, कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक
7.	राजेन्द्र सिंह कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम वार)
8.	हरदेव बहादुर, कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

15.5.2005 को श्री दलजीत सिंह चौधरी, एस एस पी इटावा को एक सूचना प्राप्त हुई कि सलीम गिरोह हथियारों के साथ उसके भाई राजा सिंह के नेतृत्व में पी एस बिठोली, जिला इटावा के अधिकार क्षेत्र में गाव बिहार की तंगघाटी में छुपा हुआ है। भाग निकलने के रास्तों में अवरोधक पार्टियों को तैनात करने के पश्चात, एस एस पी ने एक हमला पार्टी और एक कवर पार्टी का गठन किया। हमला पार्टी की कमान एस एस पी ने स्वयं संभाली जिसमें श्री के.बी. सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, इटावा, श्री हरिओम सिंह, उप निरीक्षक, श्री संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक, श्री नागेश मिश्रा, उप निरीक्षक, श्री राजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल, श्री रहीम खान, कांस्टेबल और श्री हरदेव बहादुर, कांस्टेबल शामिल थे। लगभग 1100 बजे तंगघाटी के काफी अंदर, पहाड़ी पर चढ़ते समय तथापि गिरोह के पहरेदार ने एस एस पी को देख लिया और पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी और साथ ही गिरोह को भी सतर्क कर दिया। सिंह ने भी अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरु कर दिया। एस एस पी ने गिरोह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा परन्तु

इसके बजाय उन्होंने पुलिस पार्टी को मारने की इच्छा से उस पर अंधाधुंध गोलीबारी और बढ़ा दी। एस एस पी की कमान के अन्तर्गत पुलिस ने भी सुविचारित हमला कर दिया। पहाड़ी पर सामरिक मोर्चे का इस्तेमाल करते हुए, गिरोह ने हमला पार्टी को लक्ष्य बनाकर भीषण जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी, जो एस एस पी, श्री संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक और श्री हरि ओम सिंह, उप निरीक्षक की बुलेट प्रुफ जैकटों पर लगी। अब तक लगभग 15-20 आततायियों ने पहाड़ी पर मोर्चा संभाल लिया था और गोलीबारी जारी रखे हुए थे। गिरोह के नेता राजा सिंह ने सामरिक लाभ उठाते हुए मोर्चा बदल-बदल कर एस एस पी पर गोलीबारी जारी रखी। एस एस पी ने स्वंय धैर्य रखा और अदम्य वीरता के साथ गोलीबारी की लाइन में आ गए और आमने-सामने की लड़ाई में अपनी ए के-47 से गोली चलाई और उस बदमाश को मार गिराया। एस एस पी ने टीम में आत्मविश्वास और साहस पैदा कर दिया ओर पास में ही अपर पुलिस अधीक्षक श्री के.बी. सिंह, उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक हरि ओम सिंह, उप निरीक्षक नागेश कुमार मिश्रा, कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह, रहीम खान और हरदेव बहादुर सिंह ने अत्यधिक धैर्य का परिचय दिया और अपनी जान को आसन्न खतरे में उत्कृष्ट साहस और वीरता का परिचय देते हुए बदमाशों को मार गिराया जो उन्हें मारने के इरादे से हमला पार्टी पर अंधाधुंध गोली चला रहे थे। उनकी पहचान वीर सिंह, अमर सिंह फौजी, भीमा मल्लाह, आरती जाटव, सपना डांगी और इमामन के रुप में की गई। इस तरह दुर्दान्त गिरोह, जो कि भारी सशस्त्रों से लैस था, के साथ आमने-सामने की मुठभेड़ में एस एस पी की कमान में पुलिस पार्टी ने अत्यधिक खतरे में उच्च कोटि के साहस और अदम्य वीरता का परिचय दिया और जोखिम भरी तंग घाटियों वाले प्रतिकूल भू-भाग में अनुठी मुठभेड़ में 07 दुर्दान्त अपराधियों को मार गिराया।

इस वीरतापूर्ण कार्रवाई के पश्चात निम्नलिखित बरामदगियां की गईं :-

* .303 राइफल्स मार्क 3 (बडापेस्ट में निर्मित) , 10 जीवित राउन्ड और 20 खाली राउन्ड
* एस बी बी एल बंदूक, 14 जीवित राउन्ड और 20 खाली राउन्द
* सेमी राइफल .30 बोर, 135 जीवित राउन्ड और 40 खाली राउन्ड
* सेमी राइफल .306 बोर, 168 जीवित राउन्ड और 20 खाली राउन्ड
* रिवाल्वर, वैबले स्कॉट (इग्लैण्ड में निर्मित) 7 जीवित कारतूस और 10 खाली राउन्ड
* .315 बोर राइफल, 5 जीवित राउन्ड और 5 खाली राउन्ड
* दो मैगजीनों के साथ स्टेनगन, 12 जीवित राउन्ड और 10 खाली राउन्ड

अनेक स्वर्ण आभूषण, लैटर पैड और दैनिक इस्तेमाल की सामग्री बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री दलजीत सिंह चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कृष्ण बहादुर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक, हरिओम सिंह, उप निरीक्षक, नागेश कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक, रहीम खान, कांस्टेबल, राजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल और हरदेव बहादुर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 मई, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 81-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, असम राइफल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री सुलेमान

राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

सामान्य क्षेत्र में जंगथांग हौकीप उर्फ राजू जो कुकी नेशनल फ्रंट का स्वयंभू मेजर और आर्म्स कमांडर था, की फालबंग सामान्य क्षेत्र में आवा-जाही के संबंध में एक विशिष्ट सूचना के आधार पर आर जी 3512 बटालियन ने 25 जून, 2005 को 2130 बजे देखो और नष्ट करो अभियान शुरु किया। एक टुकड़ी ने मेजर शिव शंकर सिंह हजारी के नेतृत्व में, आतंकवादियों के बचकर निकल भागने के रास्ते को बंद करने के लिए जंगल के रास्तों में घात लगा ली जबकि दूसरी टुकड़ी पुलिस प्रतिनिधि के साथ मेजर राकेश कुमार भारद्वाज के अधीन संदिग्ध मकान की ओर गई जो फालबंग गांव के किनारे स्थित था। लगभग 2305 बजे संदिग्ध आतंकवादी ने बच निकलने का प्रयास किया लेकिन राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) सुलेमान, जो घात पार्टी का सदस्य था, ने उसे रोक लिया। आतंकवादी ने घात पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी जिसके जवाब में अत्यंत संयम के साथ गोलीबारी की गई ताकि अपनी ओर कोई क्षति न हो। राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) सुलेमान ने भागते आतंकवादी का पीछा करते हुए उच्चकोटि के साहस और बहादुरी का परिचय दिया और आतंकवादी को नजदीकी लडाई में मार गिराया। इस कट्टर आतंकवादी के मारे जाने से आतंकवादी गुट का विघटन हो गया। एक 9 एम एम ब्रोवनिंग पिस्तौल, छः जीवित राउंद, दो फायर केस, एक रेडियो सेट आइकोम (आई सी ओ एम) और अभिशंषी दस्तावेज बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, श्री सुलेमान, राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 जून, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 62-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, असम राइफल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. टी. कुमारजीत सिंह,
   राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी
2. लालरेमरौता,
   राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पश्चिमी त्रिपुरा जिले के टिंगुरिया सामान्य क्षेत्र में कट्टर ए टी टी एफ आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में बड़े परिश्रम से तैयार की गई सूचना के आधार पर, एक अफसर, दो जूनियर कमिशन अफसरों और 24 अन्य रैंकों के साथ कर्नल अनिल चौधरी, कमांडेंट के अधीन 21 अगस्त, 2005 को 2300 बजे एक विशेष अभियान चलाया गया। घने जंगलों वाली पहाड़ी के ऊपर संदिग्ध झूम-झौपंडी पहुंचने पर, कमांडेंट ने मेजर ऋषि शर्मा और संख्या जी/11520 एच राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी टी कुमारजीत सिंह और संख्या जी/115390 ए राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी लालरेमरौता के साथ स्थिति का आंकलन करने के उद्देश्य से लक्षित झूम-झौपंडी की तरफ सोच-समझकर बढ़ना शुरु किया। जैसे ही वे झूम-झौपडी के नजदीक पहुंचे, आराम कर रहे दो आतंकवादियों में से एक सतर्क हो गया। कमांडेंट और मेजर ऋषि शर्मा दोनों आसन्न खतरे को भांपते हुए, दोनों आतंकवादियों पर झपट पड़े, जो तब तक पिस्तौल और हथगोला निकाल चुके थे। राइफलमैन सामान्य ड्यूटी टी कुमारजीत सिंह और राइफलमैन सामान्य ड्यूटी लालरेमरौता ने पोजिशन ले ली परन्तु आतंकवादियों और अधिकारियों के बीच दूरी कम होने के कारण गोली नहीं चला सके। इन्होंने आतंकवादियों के समक्ष उत्कृष्ट फायर अनुशासन, धैर्य और सूझ-बूझ का परिचय दिया। आतंकवादी ने पिस्तौल से गोली चलाई परन्तु जल्दी ही दल ने उसे निष्क्रिय कर दिया। दूसरा आतंकवादी, जिसकी मेजर ऋषि शर्मा के साथ हाथापाई हो रही थी, हथगोला फेंकने में सफल हो गया परन्तु मेजर ऋषि शर्मा ने आतंकवादी को लात मार कर एक तरफ कर दिया और हथगोले को फेंक दिया। आतंकवादी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए दूसरा हथगोला फेंका और बच निकलने का प्रयास किया। तथापि, दोनों, संख्या जी/11520ए एच राइफलमैन सामान्य ड्यूटी टी कुमारजीत सिंह और संख्या जी/115390 ए राइफलमैन सामान्य ड्यूटी लालरेमरौता आतंकवादी पर झपट पड़े. उस पर गोलीबारी की और इससे पहले की वह दूसरा हथगोला फेंकता उसे निष्क्रिय कर दिया। इस साहसिक अभियान के कारण पदम देबबर्मा उर्फ नापांग, स्वम्भू एरिया कमांडर और मंगल देबबर्मा सहित दो कट्टर ए टी टी एफ आतंकवादी मारे गए। बरामदगी में सात राउंद के साथ 9 एम एम चीन निर्मित पिस्तौल, दो राउंद के साथ 9 एम एम पिस्तौल, चीन निर्मित हथगोला, यू एस निर्मित रेडियो सेट एलिनको, कॉम्बेट ड्रेस, अभिशंसी दस्तावेज और विविध सामग्री शामिल है।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री टी. कुमारजीत सिंह, राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी और लालरेमरौता, राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21 अगस्त, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं 63-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बिरेन्द्र सिंह, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में चटपोरा और बोगुंड गांव के बीच के क्षेत्र में उग्रवादियों की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए 9 जून, 2004 को सीमा सुरक्षा बल की 52वीं बटालियन की टुकड़ियों द्वारा एक घेराबंदी और तलाशी अभियान की योजना बनाई और उसे शुरु किया। अभियान दल तेजी से लक्षित क्षेत्र की ओर रवाना हुआ। जब वहां घेराबंदी की जा रही थी, तभी यह संदेह हुआ कि उग्रवादी मस्जिद के अंदर छिपे हुए हैं। तद्नुसार मस्जिद के भूतल और प्रथम तल की तलाशी ली गई परन्तु दल को कोई भी उग्रवादी वहां नहीं मिला। उसी समय, कांस्टेबल बिरेन्दर सिंह ने कांस्टेबल ओमपाल सिंह के साथ लकड़ी की सीढ़ी की सहायता से मस्जिद की नकली छत में प्रवेश किया। अचानक वे, छिपे हुए उग्रवादियों की भारी गोलीबारी की जद में आ गए और उसके बाद उन पर हथगोले फैंके गए, जिसके परिणामस्वरुप कांस्टेबल बिरेन्दर सिंह गोली लगने से घायल हो गए। खतरे को भांपते हुए, कांस्टेबल ओमपाल सिंह नकली छत से कूद पडे और कांस्टेबल बिरेन्दर सिंह को जल्दी से बाहर आने के लिए कहा। साहसी कांस्टेबल ने गम्भीर रुप से घायल होने के बावजूद बाहर आने से मना कर दिया और उग्रवादियों से भिड़ने का निर्णय लिया। कांस्टेबल बिरेन्दर सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी की और उनमें से एक को गम्भीर रुप से घायल कर दिया। इन्होंने गोलीबारी जारी रखी और उग्रवादियों को बचने का मौका नहीं दिया। गोलीबारी के दौरान नकली छत क्षतिग्रस्त हो गई जिसके परिणामस्वरुप कांस्टेबल बिरेन्दर सिंह और घायल उग्रवादी नीचे गिर गए। तथापि, घायल उग्रवादी प्रथम तल पर पोजीशन लेने में सफल हो गया और उसने दल पर दोबारा गोलीबारी शुरु कर दी। इसी बीच जवानों द्वारा कांस्टेबल बिरेन्दर सिंह को मस्जिद से बाहर निकाल लिया गया। मस्जिद के अन्दर छिपे उग्रवादी रात भर अभियान दल पर गोलीबारी करते रहे और हथगोले फैंकेते रहे। उग्रवादियों द्वारा फैंके गए कुछ हथगोले मस्जिद के अंदर फटे जिसके कारण मस्जिद के ऊपर वाले लकड़ी के भाग में आग लग गई। मलबे की तलाशी लेने पर, एक ए के श्रृंखला की राइफल, दो हथगोले, एक वायरलेस सैट और गोले बारुद के साथ एक उग्रवादी का जला हुआ शव बरामद हुआ। मृत उग्रवादी की पहचान नहीं हो सकी। कांस्टेबल बिरेन्दर सिंह ने घावों के कारण उस समय दम तोड़ दिया जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत श्री बिरेन्दर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 जून, 2004 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 64-ग्रेज/2006-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री डी डी बोरो,
लांस नायक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गनाई मोहल्ला, गांव सांझीवोतुर, जिला पुलवामा, जम्मू और कश्मीर के मंजूर अहमद के घर में उग्रवादियों की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीमा सुरक्षा बल की 71वीं और 8वीं बटालियन के जवानों द्वारा 27 अगस्त, 2004 को उक्त गांव में घेराबंदी की योजना बनाई गई और तलाशी अभियान चलाया गया। योजनानुसार अभियान दल ने स्वयं को तीन ग्रुपों में बांट लिया और लक्षित घर की तरफ प्रस्थान किया। मकान की घेराबंदी करने के बाद छापामार दल लक्षित मकान के अंदर घुसा और मकान के संवासियों से उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में पूछताछ की। अचानक छिपे हुए उग्रवादियों द्वारा दल पर भारी गोलीबारी की गई जिसके परिणामस्वरूप लांस नायक डी डी बोरो दांये कन्धे पर गोली लगने से घायल हो गए। जवाबी गोलीबारी की गई परन्तु वह कारगर सिद्ध नहीं हुई क्योंकि उग्रवादी ने मजबूत मोर्चाबंदी की हुई थी। इसी बीच, लांस नायक डी डी बोरो ने उग्रवादी की पोजीशन का पता लगा लिया। इस बात को भांपते हुए कि उग्रवादी अपनी पोजीशन से और अधिक नुकसान कर सकता है, लांस नायक डी डी बोरो ने गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद अपनी पोजीशन बदल ली जिससे उस उग्रवादी को अपनी गोलीबारी लांस नायक डी डी बोरो पर केन्द्रित करनी पड़ी। तथापि, लांस नायक डी डी बोरो ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना और खुले में आकर सटीक गोलीबारी करके उस उग्रवादी को गंभीर रुप से घायल कर दिया। लांस नायक डी डी बोरो की वीरतापूर्ण कार्रवाई के कारण जख्मी उग्रवादी को बचने के प्रयास में मकान के पीछे की तरफ भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। परन्तु बहादुर लांस नायक ने अपनी घावों की परवाह न करते हुए उग्रवादी का पीछा किया और उसे उसी स्थान पर मार गिराया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर एक एके श्रृंखला की राइफल, तीन हथगोले और गोलाबारुद सहित मृत उग्रवादी का शव बरामद हुआ। मृत उग्रवादी की पहचान अब्दुल रहमान गनई, पुत्र मोहम्मद रमजान गनई, निवासी अलोचीबाग, सम्बूरा, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में, श्री डी.डी. बोरो, लांस नायक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 अगस्त, 2004 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 65-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री संतोष कुमार सिंह,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

20 फरवरी, 2005 को उत्तरी त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल चौकी बिलाशचेरा के जवानों को बोगईचेरा गांव के दो सिविलियनों ने सूचित किया कि यू एन एल एक गुट के उग्रवादियों ने बालीगांव गांव के श्री रानादत्ता का अपहरण कर लिया और उन्हें घसीट कर बांग्लादेश सीमा की ओर ले जा रहे थे। चौकी कमांडर ने तत्काल एक अभियान दल को संगठित किया और बोगईचेरा गांव की ओर रवाना हुए। इस दल ने उग्रवादियों का पैदल पीछा किया और बांग्लादेश की तरफ 3 कि.मी. तक पुरजोर पीछा करने के बाद, कांस्टेबल संतोष कुमार सिंह, जो पार्टी का स्काउट था, ने अपहृत व्यक्ति के साथ उग्रवादियों को खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने का प्रयास करते हुए देखा। सही मौका देखते हुए, कांस्टेबल संतोष कुमार सिंह अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए, भाग कर उग्रवादियों के नजदीक पहुंच गए और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। ललकारने पर, उग्रवादियों ने कांस्टेबल पर गोलीबारी शुरु कर दी और आगे चलते रहे। उग्रवादियों की गोलीबारी से न डरते हुए, कांस्टेबल संतोष कुमार सिंह और उग्रवादी आमने-सामने हो गए और इन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए नजदीकी हाथापाई में तीन उग्रवादियों को घटनास्थल पर ही मार गिराया। जब आपस में गोलीबारी हो रही थी, तब अपहृत व्यक्ति ने बचने का प्रयास किया परन्तु उग्रवादियों ने गोली चला कर उसे घायल कर दिया। सीमा सुरक्षा बल के जवान उसे नजदीक के अस्ताल में ले गए परन्तु घावों के कारण उसने दम तोड़ दिया। बाद के अभियान में, जवानों ने दूसरा उग्रवादी पकड़ लिया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर एक ए के श्रृंखला की राइफल, एक चीन निर्मित पिस्तौल, गोलाबारुद और अन्य मदों के साथ-साथ मृत उग्रवादियों के शव बरामद किए गए। मृत उग्रवादियों की पहचान लाम्बा (स्वंभू केप्टन) कुला सिंह (सेंकड लेफ्टिनेंट) और यांगबा (प्राइवेट) के रुप में की गई। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान इंगोचा सिंह पुत्र एम. गोजेन सिंह, निवासी वेस्ट थंगाई बांध, पुलिस स्टेशन लाम्फेल, इम्फाल, मणिपुर के रुप में की गई। उससे 14,83,200/-रुपये भारतीय मुद्रा बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में, श्री संतोष कुमार सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 फरवरी, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 66-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. **एन. कानन,**
   कांस्टेबल
2. **एस. जयप्रकाश,**
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गांव अराबल, जिला पुलवामा, जम्मू और कश्मीर में एक उग्रवादी की मौजूदगी के सबंध में विशिष्ट सूचना के आधार पर, 71 वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों ने एक योजना बनाई और 23 मई , 2005 को गांव में घेराबंदी कर तलाशी शुरु कर दी। योजना के अनुसार, टुकड़ियां लक्षित गांव की ओर तेजी से रवाना हुई तथा स्वयं को दो दलों में बांट लिया। जबकि एक ग्रुप ने, पूर्वोत्तर और दक्षिणी दिशा में घेराबंदी की तो दूसरे ग्रुप ने दक्षिणपश्चिम दिशा में घेराबंदी कर दी। लक्षित गांव की घेराबंदी करने और बच कर भाग निकलने के सभी मार्गों को बंद करने के पश्चात, तलाशी अभियान शुरु किया गया। जब तलाशी अभियान चल रहा था तभी घरों में से एक घर में छिपे हुए आतंकवादी ने तलाशी पार्टी पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। पार्टी ने जवाबी गोलीबारी की लेकिन वह कारगर नहीं थी चूंकि आतंकवादी ने घर के अंदर मजबूत मोर्चाबंदी की हुई थी। तब भी, तलाशी पार्टी चतुराईपूर्ण ढंग से घर की तरफ आगे बढ़ी। निर्भीक और आगे बढ़ती टुकड़ियों को देखकर, उग्रवादी उत्तर पश्चिम दिशा से बचने के प्रयास में घेराबंदी पार्टी पर भारी गोलीबारी करते हुए अचानक घर के पिछली तरफ से कूद गया। कांस्टेबल एन. कानन और कांस्टेबल जय प्रकाश, जो बाहरी घेराबंदी का एक हिस्सा थे, ने अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए गोलियों की बौछार के बीच भाग रहे उग्रवादी का पीछा किया और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर, एक ए के श्रेणी की राइफल, एक प्लास्टिक हैंड ग्रेनेड, एक चीन निर्मित हैंड ग्रेनेड, एक वायरलैस, गोलाबारुद और अन्य सामान के साथ-साथ मारे गए उग्रवादी का शव बरामद हुआ। मारे गए उग्रवादी की पहचान खतरनाक एच एम गुट के फारुक अहमद शेख, पुत्र सोनुअल्ला, निवासी केल्लार, पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री एन. कानन, कांस्टेबल और एस. जयप्रकाश, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 मई, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 67/प्रेज/2006-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1) हीरा लाल, उप निरीक्षक

(2) राम कुमार, उप निरीक्षक

(3) नारायण प्रसाद, कांस्टेबल

(4) जय प्रकाश पासवान, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

उग्रवादियों से प्रभावित होने के कारण जिला प्राधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन बाराछत्ती, जिला गया, बिहार को सबसे अधिक अतिसंवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बिहार राज्य विधान सभा चुनाव, 2005 सुचारु रुप से चलाने के लिए एस एच जी -III तदर्थ बटालियन के भाग के रुप में 56 वीं बटालियन और 50 वीं बटालियन की टुकड़ियों को इस क्षेत्र में तैनात किया गया था। 26 फरवरी, 2005 को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केन्द्र संख्या 41 पी एस बाराछत्ती में पुनः मतदान शुरु हुआ। मतदान बूथ के ऊपर तैनात कांस्टेबल नारायण प्रसाद, संतरी ने लगभग 1300 बजे हरे रंग की वर्दी पहने कुछ व्यक्तियों की संदेहास्पद आवाजाही देखी। वे मतदान केन्द्र से लगभग 300 गज की दूरी पर थे। कांस्टेबल नारायण प्रसाद ने तत्काल पार्टी कमांडर को सूचित किया, इस पर उप निरीक्षक राम कुमार और उप निरीक्षक हीरा लाल ने किसी भी संभावित घटना से निपटने हेतु अपनी टुकड़ियों को रणनीतिक रुप से पुनर्गठित किया। अतिवादियों द्वारा मतदान केन्द्र पर हमला करने की उनकी मंशा इस तथ्य से प्रकट होती थी कि महिलाओं सहित लगभग 70-80 व्यक्तियों की बड़ी भीड़ स्वचालित और अन्य खतरनाक देश निर्मित हथियारों को घुमाते हुए मतदान केन्द्र की ओर बढ़ती देखी गई। उप निरीक्षक राम कुमार ने कांस्टेबल नारायण प्रसाद को अतिवादियों पर गोलीबारी करने का आदेश दिया, कांस्टेबल नारायण प्रसाद ने अपनी एल एम जी से अतिवादियों पर अचूक गोलीबारी शुरु कर दी, एक दम अचानक गोलीबारी से अतिवादी हैरान रह गए और इससे उनका योजनाबद्ध हमला नाकाम हो गया और वे आड़ लेने के लिए भागे। उप निरीक्षक हीरा लाल और उप -निरीक्षक राम कुमार ने उच्च कोटि की रणनीतिक सूझ-बूझ और नेतृत्व का परिचय दिया और अपनी पार्टी की सही तैनाती सुनिश्चित की। वे अतिवादियों की गोलीबारी का सफलतापूर्वक जवाब देने में कामयाब हुए । इसके बाद हुई गोलीबारी में कांस्टेबल जय

प्रकाश पासवान द्वारा की गई अचूक गोलीबारी से एक अतिवादी मारा गया। अपने कामरेड के शव को देख कर अतिवादियों का मनोबल टूट गया और इसके अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल पार्टियों द्वारा की जा रही निरंतर गोलीबारी से अतिवादियों में आतंक फैल गया और उन्होंने हड़बड़ी में इधर-उधर भागना शुरु कर दिया। वहां से पीछे हटते हुए अतिवादी कुछेक अतिवादियों के शव घसीट कर ले जाने का प्रयास करते हुए देखे गए। उप-निरीक्षक हीरा लाल और कांस्टेबल जय प्रकाश पासवान ने अपनी सुरक्षा की जरा सी भी परवाह नहीं की और अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए एम सी सी के तीन अतिवादियों के शव अपने कब्जे में कर लिए। उप-निरीक्षक राम कुमार ने मतदान अधिकारियों और ई वी एम की सुरक्षा हेतु मतदान केन्द्र के अंदर और बाहर अपनी पार्टी को सुदृढ़ किया। चतुराई के साथ तैनाती करके और नियंत्रित गोलीबारी के कारण वे मतदान केन्द्र पर अतिवादियों के हमले को नाकाम करने में सफल हुए। निरंतर और नियंत्रित गोलीबारी, जो 1600 बजे तक जारी रही, उप निरीक्षक राम कुमार ने उच्च कोटि के नेतृत्व गुण का परिचय दिया। इसके अलावा, क्षेत्र की तलाशी के दौरान तीन शव, 03 राइफलें, जीवित गोलाबारुद और ग्रेनेड बरामद किए गए। बी एस एफ पार्टियों द्वारा प्रदर्शित उच्च कोटि की व्यावसायिकता, धैर्य, दृढ़संकल्प और साहस के कारण पुनः मतदान के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान को टाला जा सका और सिविलियनों, अपने साथियों, पुलिस पार्टी और मतदान अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री हीरालाल, उप-निरीक्षक, राम कुमार, उपनिरीक्षक, नारायण प्रसाद, कांस्टेबल और जय प्रकाश पासवान कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 फरवरी, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 68-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1) संजय कुमार गुप्ता,
सहायक कमांडेट

(2) आनंद कचारी,
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

जम्मू और कश्मीर के तंगधार सेक्टर में फॉरवर्ड डिफेन्डिड लोकेलिटी (एफ डी एल) "दर्शक" के सामान्य क्षेत्र में उग्रवादियों की गतिविधियों के सबंध में सूचना के आधार पर, 26/27 अप्रैल, 2005 की बीच की रात को बी एस एफ की 103 वीं बटालियन के जवानों द्वारा एफ डी एल दर्शक, फरियाल, खजूर

और न्यू आग के सामान्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के साथ-साथ घात लगाई गईं। लगभग 0330 बजे, एफ डी एल खजूर के निकट घात लगाने वाले कर्मियों ने लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर कुछ हरकत देखी और इन्होंने एफ डी एल दर्शक में कंपनी कमांडर श्री संजय कुमार गुप्ता, सहायक कमांडेंट को सूचित किया । श्री गुप्ता ने तत्काल पांच अलग-अलग ग्रुप बनाए और चतुराई के साथ लक्षित क्षेत्र की ओर बढ़े। मौसम खराब था और रोशनी कम थी। लक्षित क्षेत्र में पहुंचने पर, पहले तीन ग्रुपों को, उग्रवादियों के बच कर भाग निकलने के रास्तों को बंद करने हेतु तैनात किया गया जबकि चौथा और पांचवां ग्रुप, जिसका नेतृत्व श्री संजय कुमार गुप्ता, सहायक कमांडेंट कर रहे थे, युक्तिपूर्ण ढंग से संदिग्ध स्थल की ओर बढ़ा। तभी अचानक उन पर पहाड़ी पर चट्टान के पीछे छिपे उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की गई और उसके पश्चात ग्रेनेड फेंके गए। पार्टी ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया। इसी बीच श्री गुप्ता, सहायक कमांडेंट उग्रवादियों की पोजीशन का पता लगाने में सफल हो गए। इन्होंने तत्काल एल एम जी ग्रुप को, कारगर गोलीबारी करके उग्रवादियों को काबू करने हेतु, आदेश दिया। उग्रवादियों को काबू में करने के पश्चात, श्री गुप्ता और इनकी पार्टी चतुरताईपूर्ण ढंग से उग्रवादियों को सफाया करने के उद्देश्य से भारी गोलीबारी के बीच उग्रवादियों की पोजीशन की ओर बढ़ी। आगे बढ़ते समय, श्री गुप्ता को उग्रवादियों में से एक उग्रवादी थोड़ा सा दिखाई दिया। तत्काल, श्री गुप्ता अपनी सुरक्षा की जरा सी भी परवाह न करते हुए खड़े हो गए और एक उग्रवादी के थोड़े से दिख रहे सिर पर गोली चलाई और उसे वहीं ढेर कर दिया। अन्य उग्रवादियों ने अपनी पोजीशन बदल ली और कुछ देर तक पार्टी पर गोलीबारी जारी रखी और फिर गोलीबारी रोक दी। चूंकि उग्रवादियों ने अपनी गोलीबारी रोक दी थी, इसलिए, पार्टी उग्रवादियों की बदली हुई पोजीशन का पता नहीं लगा सकी। यह भांपते हुए कि उग्रवादी भागने के प्रयास में पहले तीन ग्रुपों की पोजीशन की ओर बढ़ सकते हैं, श्री गुप्ता और इनकी पार्टी चुपचाप प्रथम ग्रुप के समीप पहुँच गई और सभी पार्टियों को सतर्क कर दिया । इसी बीच, पार्टी ने उग्रवादियों को रागिनी नाले की दिशा में जाते देखा। तत्काल एफ डी एल फरियाल में टुकड़ियों को नाले में उग्रवादियों को उलझाए रखने के लिए कहा गया लेकिन उग्रवादी जवाबी कार्रवाई किए बिना नीचे उलटे लेट गए। इस मौके पर उग्रवादियों पर एफ डी एल न्यू आग से 51 एम एम एम ओ आर की गोलीबारी भी हुई, जिससे उन्हें अपने छिपने के अड्डे से बाहर निकलने पर विवश होना पड़ा और उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरु कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, पार्टी ने गोलीबारी कर दी और दो उग्रवादियों को वहीं पर मार गिराया। इसी बीच, हैड कांस्टेबल आनंद कचारी ने एक उग्रवादी को पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ बाल-बाल बच कर निकलने के प्रयास में रागिनी नाले में नीचे की ओर भागते देखा। इन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अत्यंत साहस का परिचय दिया और भाग रहे उग्रवादी का पीछा किया। हैड कांस्टेबल कचारी को पीछा करते देख उग्रवादी ने एक चट्टान के पीछे पोजीशन ले ली और हैड कांस्टेबल पर गोली चला दी जिससे वे बाल-बाल बच गए। उग्रवादी की गोलीबारी से भयभीत हुए बिना हैड कांस्टेबल आनंद कचारी रेंग कर उस उग्रवादी के काफी निकट पहुंच गए और उसे नजदीकी लड़ाई में मार गिराया । क्षेत्र की तलाशी लेने पर, दो ए के श्रेणी की राइफलें, दो चीन निर्मित हैंड ग्रेनेड, एक वायरलैस सैट और गोलाबारुद के साथ -साथ चार उग्रवादियों के शव बरामद किए गए। मारे गए उग्रवादियों की पहचान नहीं की जा सकी।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री संजय कुमार गुप्ता, सहायक कमांडेट और आनंद कचारी, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 अप्रैल, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 69-ग्रेंज/2006-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री देश राज,
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

15 दिसंबर, 2004 को लगभग 1215 बजे मोटरसाईकिल पर सवार तीन उग्रवादियों ने बारामुल्ला जिला (जम्मू और कश्मीर) में बी एस एफ चौकी हतिशाह, सापोर के नजदीक अपनी मोटरसाईकिल रोकी। दो उग्रवादी, जो असाल्ट राइफलों और हैंड ग्रेनेड से लैस थे, मोटरसाईकिल से उतर गए। उनमें से एक तेजी से अंधाधुंध गोलीबारी करता हुआ संतरी पोस्ट संख्या 5 की ओर बढ़ा और कैंप में घुसने का प्रयास किया। यह स्पष्ट रुप से फिदायीन हमला लगता था। हैड कांस्टेबल देश राज, जो बंकर संख्या 4 के गार्ड कमांडर थे, ने तेजी से भागते उग्रवादी को देख लिया। खतरा भांपते हुए, हैड कांस्टेबल, देश राज अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए और चमत्कारिक साहस का परिचय देते हुए अपने बंकर से बाहर निकल आए और उग्रवादी को बीच में रोक लिया। उग्रवादी ने तब अपनी गोलीबारी उस साहसी हैड कांस्टेबल पर केन्द्रित की। लेकिन देश राज ने अपना धैर्य नहीं खोया, और उस पर निशाना साधा और सटीक गोलीबारी करके उस उग्रवादी को गेट के नजदीक मार गिराया। इसी बीच, दूसरा उग्रवादी कैंप में घुसने के इरादे से बंकर संख्या 4 की ओर ग्रेनेड फेंकते हुए और अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए तेजी से भागा । लेकिन सतर्क जवानों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। खतरे को देख कर, उग्रवादी सड़क के दोनों तरफ कैंप पर गोलीबारी करते हुए पुल की तरफ दौड़ा और एक बड़े कंक्रीट कॉलम के पीछे आड़ ले ली। आड़ में मोर्चा संभालने के पश्चात उस उग्रवादी ने कैंप पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। चूंकि उग्रवादी ने मजबूत मोर्चाबंदी कर ली थी, इसलिए जवानों को इस उग्रवादी का सफाया करने में कठिनाई पेश आ रही थी। इस परिस्थिति में, हैड कांस्टेबल देश राज ने पहल की। इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अदभुत साहस का परिचय दिया और गोलियों की बौछार के बीच, सड़क के दूसरी ओर तेजी से बढ़े तथा उस जगह पोजीशन ले ली जहां से ये उग्रवादी को देख सकते थे। हैड कांस्टेबल की निडरतापूर्ण कार्रवाई को देखकर, उग्रवादी ने अपनी मोटरसाईकिल पर बच कर भागने का प्रयास किया। लेकिन हैड कांस्टेबल देश राज ने व्यावसायिक सूझ-बूझ का परिचय देते हुए उस उग्रवादी के बच कर भाग निकलने से पहले ही उसे मार गिराया। इसी बीच, कुमुक भी पहुंच गई और आगे के ऑपरेशन में तीसरा उग्रवादी भी मार गिराया गया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर, दो ए के श्रेणी के राइफलें, आठ चीन निर्मित ग्रेनेड, एक मोटरसाईकिल,कैमरे वाला एक मोबाइल

फोन और गोलाबारुद के साथ-साथ तीन उग्रवादियों के शव बरामद किए गए। मारे गए उग्रवादियों की निम्नलिखित के रुप में पहचान की गई:-

(क) अबू रफी, कोड नाम जाहेद भाई-एल ई टी गुट का एक विदेशी उग्रवादी।

(ख) कोड नाम हरिया भाई-एल ई टी गुट का एक विदेशी उग्रवादी।

(ग) सैयद मोहम्मद फैयाज, पुत्र सैयद अनवर शाह, निवासी मच्छीपुरा, सापोर, जम्मू और कश्मीर।

इस मुठभेड़ में, श्री देश राज, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा

निदेशक

सं. [illegible]-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

(1) श्री एस एस रावत, उप कमांडेट	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (मरणोपरांत)
(2) एम. एस. राठौड़, कमांडेट	वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार
(3) सिकन्दर खान, हैड कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार
(4) एच. के यादव, सहायक कमांडेंट	वीरता के लिए पुलिस पदक
(5) मोहम्मद असलम चिची, हैड कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक
(6) फारुक अहमद मीर, कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक
(7) जागीर सिंह, कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक
(8) बशीर अहमद, कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

उग्रवादियों द्वारा आयकर कार्यालय श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) पर हमले के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, श्री एम एस राठौड़, कमांडेंट 43 वीं बटालियन ने 7 जनवरी, 2005 को उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए अभियान शुरु करने हेतु अपने गार्डों और उपलब्ध जवानों को एकत्र किया। श्री बी के मंडल, उप कमांडेंट की कमान में 43 वीं बटालियन की त्वरित कार्रवाई टीम भी तेजी से उस जगह को रवाना हुई । उपलब्ध संसाधनों को जुटाने के पश्चात श्री एम एस राठौड़ , कमांडेंट ने सभी जवानों को चतुराईपूर्ण ढंग से पुन: पोजीशन किया और इस प्रकार से उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी का उचित ढंग से कारगर जवाब दिया गया। एक सी आर पी एफ जवान को ऊपर की मंजिल में फंसे हुए तथा मदद के लिए पुकारते हुए देखा गया। कारगर कवरिंग गोलीबारी की आड़ में श्री बी के मंडल, उप कमांडेंट के नेतृत्व वाला दल भारी गोलीबारी और फेंके जा रहे ग्रेनेडों के बीच सी आर पी एफ के जवान को बचाने में कामयाब हो गया। फायर टेंडरों और सीढ़ियों की मदद से बिल्डिंग के भीतर फंसे 30 अन्य सिविलियनों को भी बी एस एफ टुकड़ियों द्वारा आई टी ओ बिल्डिंग के पिछली तरफ से सफलतापूर्वक बचा लिया गया। उग्रवादियों द्वारा बिल्डिग में मजबूत मोर्चाबंदी की गई थी। श्री एम एस राठौड़, कमांडेट, जिनकी सहायता श्री एस एस रावत, उप कमांडेंट कर रहे थे, की कमान में एक धावा ऑपरेशन की योजना बनाई गई। यह टीम उग्रवादियों द्वारा लक्ष्य बनाकर की जा रही गोलीबारी के बीच बिल्डिग में प्रवेश कर गई। स्नानघर में बंद हुए एक उग्रवादी द्वारा इस पार्टी पर एक ग्रेनेड फेंका गया जिसके परिणामस्वरुप श्री एम एस राठौड़, कमांडेंट, हैड कांस्टेबल सिकन्दर खान और कांस्टेबल बशीर अहमद जख्मी हो गए लेकिन उन्होंने जख्मों की परवाह न करते हुए और अनुकरणीय साहस तथा पूर्ण व्यावसायिकता का परिचय देते हुए श्री एम एस राठौड़, कमांडेंट और इनकी पार्टी ने कारगर और अचूक गोलीबारी करके उग्रवादी को नियंत्रित कर लिया। घेर लिए जाने पर उग्रवादी ने हताशा में कोरिडोर से भागने का प्रयास किया लेकिन हैड कांस्टेबल मोहम्मद असलम चिची की अचूक गोलीबारी से वह ढेर हो गया। भूतल पर फंसे हुए 4 सिविलियनों को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बचा लिया गया। दूसरा उग्रवादी प्रथम मंजिल पर धावा पार्टी पर रुक-रुक कर गोलीबारी करता रहा और उसने तेजी से सीढ़ियों के नीचे भागना शुरु कर दिया। उग्रवादी के भागने की चेष्टा का पूर्वानुमान लगाते हुए श्री एस एस रावत, उप कमांडेंट अपनी आड़ से बाहर निकल आए और अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करते हुए निकट की लड़ाई में उग्रवादी को उलझाए रखा और उसे वापिस प्रथम मंजिल पर लाने में सफल हो गए लेकिन इस वीरतापूर्ण कार्रवाई में श्री एस एस रावत गोली लगने से गंभीर रुप से घायल हो गए और उन्होंने घावों के कारण दम तोड़ दिया। श्री एच के यादव, सहायक कमांडेंट की कमान की तहत पार्टी को भूतल पर स्नानघर के अंदर बंद हुए उग्रवादियों का सफाया करने का कार्य सौंपा गया। चूंकि कोई और उपाय न था इसलिए पार्टी ने उग्रवादी द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के बीच बिल्डिंग के प्रथम तल में छेद किए और उग्रवादी पर ग्रेनेड लुढ़काए। इस कार्रवाई में कांस्टेबल फारुक अहमद मीर गोली लगने से घायल हो गए। फर्श में छेद को चौड़ा करना जरुरी था क्योंकि सभी ग्रेनेड केवल एक ही दिशा में गिर रहे थे और वे कारगर सिद्ध नहीं हो रहे थे चूंकि उग्रवादी ने एक स्टील अलमारी के पीछे आड़ ली हुई थी और वह छेद से कारगर रुप से वापिस गोलीबारी करने में समर्थ था। स्थिति का जायजा लेने के प्रश्चात, कांस्टेबल जागीर सिंह ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए और अनुकरणीय समर्पण भावना का परिचय देते हुए नीचे की तरफ से उग्रवादियों द्वारा लक्ष्य बनाकर की जा रही

गोलीबारी के बीच छेद को चौड़ा करने का दूभर कार्य करने की ठान ली। विषम परिस्थितियों के बावजूद, सधी हुई गोलीबारी के कारण कांस्टेबल जागीर सिंह यह मुश्किल कार्य कर सके। श्री एच के यादव, सहायक कमांडेंट ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए छेद में से उग्रवादियों को ढूंढ लिया और अचूक तरीके से ग्रेनेड फेंके जिसके कारण एक उग्रवादी वहीं पर मार गिराया गया। उस जगह से दो उग्रवादियों के शव, मैगजीन के साथ 2 ए के - 47 राइफलें, और 17 जीवित कारतूस बरामद किए गए। बाद में यह मालूम हुआ कि दोनों उग्रवादी अल-मंसूरन गुट से संबंधित थे।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री(दिवंगत) एस एस रावत, उप कमांडेट, एम एस राठौड़, कमांडेट, सिकन्दर खान, हैड कांस्टेबल, एच के यादव, सहायक कमांडेंट, मोहम्मद असलम चिची, हैड कांस्टेबल, फारुक अहमद मीर, कांस्टेबल, जागीर सिंह, कांस्टेबल और बशीर अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 7 जनवरी, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 71-प्रेस/2006-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री शशि कांत सिंह,
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

6 नवम्बर, 2004 को हैड कांस्टेबल शशि कांत सिंह जम्मू और कश्मीर में फ्रूट मंडी, सोपोर में 13वीं बटालियन बी एस एफ कैम्पस के गेट सं. 2 पर पहरा दे रहे थे। 0420 बजे के करीब, इन्होंने दो उग्रवादियों को ग्रेनेड फेंकते हुए और स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए तेजी से गेट की तरफ भागते हुए देखा। यह एक फिदायीन हमला था। हैड कांस्टेबल शशि कांत सिंह ने तत्काल अन्य चौकसी पार्टी को सतर्क कर दिया और उग्रवादियों पर गोलीबारी शुरु कर दी। इसी बीच, उग्रवादियों द्वारा फेंके गए ग्रेनेडों में से एक ग्रेनेड "मोर्चा" के सामने गिरा और फट गया जिसके परिणामस्वरुप, हैड कांस्टेबल शशि कांत सिंह किरचें लगने से जख्मी हो गए। इस अवसर का लाभ उठा कर उग्रवादियों में से एक बैरक के अंदर मौजूद जवानों को हताहत करने के इरादे से रहने की बैरक की तरफ तेजी से भागा। उस बैरक में जवानों की जान का खतरा भांपते हुए हैड कांस्टेबल शशि कांत सिंह ने अपनी जान की बिलकुल भी परवाह नहीं की और शरीर से काफी रक्त बहने के बावजूद कैंप के भीतर उग्रवादी का पीछा किया और गोली चला कर उसे वहीं ढेर कर दिया। इसी बीच, त्वरित कार्रवाई दल कमरे से बाहर निकल आया और दूसरे उग्रवादी पर गोली चला दी, जिसके कारण वह उग्रवादी कैंपस में किसी भी बिल्डिंग में घुसने में सफल नहीं हो सका। तथापि वह अंधेरे और निकट के बगीचों का लाभ उठाकर बच कर भागने में सफल हो गया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर, एक ए के श्रेणी की राइफल और गोलाबारुद के साथ-साथ मारे गए उग्रवादी का शव बरामद किया गया। मृत उग्रवादी की पहचान अल-मंसूर (एल ई टी) गुट के अबू-जोशान, एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में, श्री शशि कांत सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6 नवम्बर, 2004 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं० 72-प्रेज़/2006-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	कमल कांत शर्मा, कमांडेंट	वीरता के लिए पुलिस पदक
2.	एस.के. चतुर्वेदी, सहायक कमांडेंट	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक
3.	उत्तम कुमार सरकार, हैड कांस्टेबल	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

नक्सली कैंप, जिसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, को नष्ट करने के लिए दो पार्टियां, जिनमें से एक की कमान श्री एस.के. चतुर्वेदी, सहायक कमांडेंट, 140वीं बटालियन कर रहे थे और दूसरी एस.पी. कंकेर के अधीन विशेष ऑपरेशन के लिए गांव दोदगे और करिंगल मसपी की ओर गईं। दोनों पार्टियां अलग-अलग गईं और मिलने का स्थान 3.9.2004 को गांव संगम तय किया गया क्योंकि स्थानीय जनता के सहयोग से नक्सलियों को चल रहे ऑपरेशन के संबंध में जानकारी मिल गई थी। एस पी कंकेर के अधीन पार्टी जब मेंडकी नदी को पार करते हुए बीच धारा में थी, तभी नक्सलियों द्वारा उन पर भारी गोलीबारी की गई। इस घटना में सी ए एफ का हैड कांस्टेबल राजेन्द्र प्रसाद जो नौकाओं में से एक में सवार थे, गोली लगने से जख्मी हो गए और नौका भी उलट गई। सहायक गोलाबारूद के साथ पांच हथियार, जो नौका में थे, डूब गए। इन परिस्थितियों में, श्री एस.के. चतुर्वेदी, सहायक कमांडेंट और 140वीं बटालियन के हैड कांस्टेबल/जी डी उत्तम कुमार सरकार ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी शुरु कर दी। श्री चतुर्वेदी ने नक्सलियों की तरफ 7 एच ई बम दागे और हैड कांस्टेबल उत्तम कुमार सरकार ने अपनी ए के-47 से 51 राउंड चलाए। श्री चतुर्वेदी आगे होकर पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। आसन्न खतरे के सामने उनकी तत्काल और वीरतापूर्ण कार्रवाई के कारण हमलावर नक्सलियों को अपनी पोजीशन छोड़ने तथा भागने पर विवश होना पड़ा। कम से कम 5 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना थी जिसकी पुष्टि गांव वालों ने और साथ ही अखबार में छपी रिपोर्ट से हुई। उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि एस पी कंकेर द्वारा भी कर दी गई है। पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर ने कार्रवाई स्थल का दौरा किया और हैड कांस्टेबल राजेन्द्र प्रसाद का शव और गुम हुए शस्त्र/गोलाबारूद बरामद करने हेतु उसी क्षेत्र में जवाबी अभियान चलाने के निदेश दिया। रणनीति के अनुसार, श्री कमल कांत शर्मा, कमांडेंट की कमान में सी आर पी एफ की एक संयुक्त पार्टी, जिसकी सहायता श्री एस.के. चतुर्वेदी, सहायक कमांडेंट और श्री पी

एस ठाकुर पुलिस अधीक्षक कंकेर की कमान में राज्य पुलिस कर रही थी, को योजना को अंजाम देने का कार्य सौंपा गया। उपर्युक्त पार्टी दो भागों में बंट गई, जो 6.9.2004 को 0900 बजे प्रतापपुर बेस कैंप से चली और मेंडकी नदी के नजदीक गांव दोदगे पहुँच गई जहां शस्त्र/गोलाबारुद के साथ सी ए एफ के हैड कांस्टेबल राजेन्द्र प्रसाद डूब गए थे। यथोचित एहतियात बरतने के पश्चात, पार्टी लगभग 1300 बजे कटगांव नाला के नजदीक मूसरघाट गांव पहुँच गई जहां नक्सलियों ने प्रथम पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी की। दूसरी पार्टी जिसमें श्री कमल कांत शर्मा, कमांडेंट, श्री एस.के. चतुर्वेदी, सहायक कमांडेंट और श्री पी एस ठाकुर, पुलिस अधीक्षक कंकेर थे, ने प्रथम पार्टी को कवर फायर देना शुरु कर दिया। नक्सली सुरक्षा बलों को अधिक से अधिक नुकसान पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। हैड कांस्टेबल उत्तम कुमार सरकार भी अपनी जान की परवाह किए बिना, विशाल वृक्षों की आड़ लेते हुए आगे बढ़े और प्रथम पार्टी को बचाने के उद्देश्य से नक्सलियों की ओर गोलीबारी की। उन्होंने अपनी टुकड़ी को भी जान की परवाह किए बिना बहादुरी से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री एस के चतुर्वेदी, सहायक कमांडेंट ने नक्सलियों पर 2" मोर्टार से 3 बम दागे जिससे उनका हमला कमजोर पड़ गया। उस समय, नक्सली, जिन्होंने घनी झाड़ियों के नदजीक पहले ही बारुदी सुरंग बिछा रखी थी, ने आई ई डी में विस्फोट किया और टुकड़ियों पर अंधाधुंध गोलीबारी भी शुरु कर दी जिसके परिणामस्वरुप श्री एस के चतुर्वेदी, सहायक कमांडेंट का बायां हाथ जख्मी हो गया, श्री पी एस ठाकुर, पुलिस अधीक्षक कंकेर की टांगों में गोलियां लगीं, हैड कांस्टेबल उत्तम कुमार सरकार और कांस्टेबल गदाधर बिश्वास की टांगे भी गोलियां लगने से जख्मी हो गईं, कांस्टेबल सुरेन बोरदेलई के ग्रॉइन हिस्से में और सी ए एफ के कांस्टेबल फिरोज खान के बायें कंधे और छाती में गोलियां लगीं। नक्सलियों द्वारा किए गए विस्फोट और भारी गोलीबारी के कारण अधिकारी और कर्मी जख्मी हो गए थे, और इसके पश्चात बल का मनोबल लगभग टूट ही चुका था। इन परिस्थितियों में, श्री के के शर्मा, कमांडेंट ने भयभीत हुए बिना और अपनी जान को जोखिम में डालकर अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और बल का मनोबल बढ़ाया। इन्होंने नक्सलियों पर कारगर और समुचित जवाबी हमला सुनिश्चित करवाया जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ और वे भाग खड़े हुए। इन्होंने पार्टी, जो नाले में फंसी हुई थी, की सुरक्षित वापसी भी सुनिश्चित की। भारी गोलीबारी के बीच, अपनी जान की परवाह किए बिना, श्री शर्मा ने घायलों की तत्काल प्राथमिक चिकित्सा के प्रबंध किए, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और जख्मी कर्मियों को नक्सलियों से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र से प्रतापनगर बेस कैंप सुरक्षित पहुंचाने का प्रबंध किया। इन्होंने गंभीर रुप से जख्मी कर्मियों को राज्य सरकार के हेलिकॉप्टर में प्रतापनगर बेस कैंप से रायुपर तक ले जाने के भी प्रबंध किए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री कमल कांत शर्मा, कमांडेंट, एस के चतुर्वेदी, सहायक कमांडेंट और उत्तम कुमार सरकार, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6 सितम्बर, 2004 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 73-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री प्रेम सिंह तोमर, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

ई कंपनी, 66वीं बटालियन सी आर पी एफ के जवानों को जिला धलई के चावमानू निर्वाचन क्षेत्र में टी टी ए ए डी सी चुनाव करवाने हेतु उद्दिष्ट किया गया। इस कंपनी के 21 कर्मियों की एक पार्टी को गांव चाकबेहा चौधरी पाडा में जे बी स्कूल में मतदान केन्द्र सं. 5/25 के लिए तैनात किया गया। यह पार्टी, मतदान सामग्री के साथ मतदान स्टाफ को लेने के लिए उप निरीक्षक विशवम्बर दत्त की कमान में 3.3.05 को 0700 बजे एस डी एम चेलेंगटा के कार्यालय के लिए चल पड़ी। मतदान स्टाफ को लेने के पश्चात, पार्टी सिविल प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए पांच वाहनों में चाकबेहा चौधरी पाडा जे बी स्कूल के लिए चल पड़ी और लगभग 0900 बजे मणिकपुर पहुँची। शेष 17 कि.मी. की दूरी, पहाड़ी और जंगल का क्षेत्र होने के कारण, पैदल तय की जानी थी। पार्टी गंतव्य स्थान पर 1630 बजे पहुँच गई और तैनात कर दी गई।उपर्युक्त पार्टी ने 6.3.05 को 0600 बजे वापसी यात्रा शुरु कर दी। लगभग 0710 बजे, जब पार्टी कामनजॉय करबाडी पाडा क्षेत्र के नजदीक, जो चाकबेहा चौधरी पाडा से लगभग 4 कि.मी. की दूरी पर था, घुमावदार और टेढ़े-मेढ़े पर्वतीय रास्ते से नीचे की तरफ जा रही थी, तभी स्काउट सं. 943330589 कांस्टेबल/जी डी प्रेम सिंह तोमर ने अपने सामने की झाड़ियों के पीछे कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी और अपने प्रमुख दल को सतर्क कर दिया। उसी समय, पार्टी स्वचालित हथियारों की भारी गोलीबारी की जद में आ गई। कांस्टेबल/जी डी प्रेम सिंह तोमर की दायीं जांघ पर गोली लगी लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी आई एन एस ए एस राइफल से वीरतापूर्वक गोलीबारी करते हुए विद्रोहियों को उलझाए रखा और एक स्काउट के रुप में तथा सामने होने के कारण, अपने ऊपर गोलियों की बौछार झेली तथा उग्रवादियों से लड़े। उग्रवादी घात लगा कर हमला करने के पश्चात घने जंगल में बच कर भाग गए। घात लगा कर हमला होने की सूचना मिलने के पश्चात, कमांडेंट कुमुक के साथ उस स्थल की ओर तेजी से भागे। दुर्भाग्यवश, कांस्टेबल/जी डी प्रेम सिंह तोमर ने अपने घावों के कारण दम तोड़ दिया। कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरु किया गया जिसमें घात स्थल से 7.62 एम एम के 7 खाली केस और ए के श्रेणी के 2 खाली केस बरामद किए गए। सं. 943330589 कांस्टेबल/जी डी प्रेम सिंह तोमर ने उग्रवादियों से लड़ते हुए अपना जीवन बलिदान किया और घायल होने के बावजूद भी गोलीबारी जारी रखी और शेष पार्टी को बचाया। अत:, उन्होंने अपनी सुरक्षा और अपनी जान की परवाह किए बिना उच्च कोटि के साहस, समर्पण, बहादुरी और आत्मविश्वास का परिचय दिया और अन्ततोगत्वा राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने में अपना बलिदान दे दिया।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री प्रेम सिंह तोमर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6 मार्च, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 74-प्रेंज/2006-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1.योगिन्दर सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी	वीरता के लिए पुलिस पदक
2. नंद किशोर, उप निरीक्षक	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक
3. सुल्तान सिंह, हैड कांस्टेबल	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक
4. ख्याली राम हैड कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक
5. ए.एस अली, कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक
6. गौरी शंकर कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक
7. समरजीत सिंह, कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक
8. पिंजारी जहांगीर कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक
9. आर. टी. कोलेह, कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक
10. जे एन सेकिया, कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक
11. अर्जुन यादव, कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक

12. श्रीमती संतो देवी, सहायक कमांडेंट	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक
13. रामासरे प्रसाद, कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक
14. राजेश कुमार, कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक
15. जसविन्दर सिंह, कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

5.7.2005 को लगभग 0915 बजे फिदायीन के एक ग्रुप ने अयोध्या में राम जन्म भूमि/ बाबरी मस्जिद परिसर में हमला कर दिया। आतंकवादी विस्फोटकों से भरी जीप का इस्तेमाल करते हुए बाहरी रोक (बेरीकेड) को उड़ाकर सुरक्षा क्षेत्र में घुस गए और आईसोलेशन जोन की आंतरिक रोक (बेरिकेडिंग) तरफ बढ़े जहां श्री विजोटो तिनी, सहायक कमांडेंट की कमान में 33 वीं बटालियन, सी आर पी एफ की "डी " कंपनी तैनात थी।

श्री योगिन्दर सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी की भूमिका

5.7. 2005 को श्री योगिन्दर सिंह (आई आर एल ए संख्या 3477), द्वितीय कमान अधिकारी, 33 वीं बटालियन, सी आर पी एफ के कार्यकारी कमान अधिकारी के रुप में तैनात थे। अयोध्या में हमले के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर इस अधिकारी ने तत्काल बटालियन के त्वरित कार्रवाई दल को इकट्ठा किया और मुठभेड़ स्थल की ओर रवाना हो गए। उस स्थल के निकट पहुंचने पर इन्होंने क्यू. आर. टी. के सदस्यों के साथ सुरक्षा बाड़ के रेड जोन से लगे एक घर के ऊपर छत पर मोर्चाबंदी कर ली। उस समय आईसोलेशन जोन में आतंकवादियों और टुकड़ियों के बीच गोलीबारी जारी थी। श्री योगिन्दर सिंह और इनकी पार्टी ने आतंकवादियों को पीछे की तरफ से उलझाए रखा और इस गोलीबारी के परिणामस्वरुप, एक आतंकवादी गोली से मारा गया जो परमपावन मंदिर-गर्भ की तरफ ग्रेनेड फेंकने ही वाला था ।

33वीं बटालियन, सी आर पी एफ के उप निरीक्षक/ जी डी नंद किशोर, हैड कांस्टेबल/जी डी सुल्तान सिंह, हैड कांस्टेबल/जी डी ख्याली राम, कांस्टेबल/जी डी ए. एस. अली, कांस्टेबल/ जी डी गौरी शंकर, कांस्टेबल/जी डी समरजीत सिंह, कांस्टेबल / जी डी पिंजारी जहांगीर, कांस्टेबल / जी डी आर टी कोलेह, कांस्टेबल/ जी डी जे. एन. साकिया और कांस्टेबल/जी डी अर्जुन यादव द्वारा की गई कार्रवाई

33 वीं बटालियन, सी आर पी एफ के एस आई/ जी डी नंद किशोर, हैड कांस्टेबल जी डी सुल्तान सिंह, एच सी/ जी डी ख्याली राम, कांस्टेबल/जी डी ए एस अली, कांस्टेबल/जी डी गौरी शंकर, कांस्टेबल/जी डी समरजीत सिंह, कांस्टेबल/जी डी पिंजारी जहांगीर, कांस्टेबल/जी डी आर टी कोलेह, कांस्टेबल/जी डी जे एन साकिया और कांस्टेबल/जी डी अर्जुन यादव आईसोलेशन कोर्डोन के मोर्चा संख्या 2 पर तैनात थे। मोर्चा संख्या 2 (क) के साथ-साथ यह मोर्चा भी फिदायीन हमले की चपेट में आ गया। सभी ने दृढ़संकल्प और दृढ़ता के साथ खतरे का जवाब दिया। इन्होंने न केवल मोर्चा संख्या 2 (क) को कारगर सहायता प्रदान की बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि फिदायीन आईसोलोन जोन में घुसने के लिए झाड़ियों का लाभ न उठाने पायें। इस मोर्चे पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी के साथ-साथ ग्रेनेड और रॉकेट दागकर हमला किया गया था । किसी भी कर्मी को अपनी जान के जोखिम की परवाह नहीं थी और इन्होंने अत्यधिक बहादुरी और शौर्य का प्रदर्शन किया। वे अपने मोर्चे पर डटे रहे और इन्होंने फिदायीन द्वारा किए गए हमले को बड़ी कारगरता के साथ नाकाम कर दिया। एच सी /जी डी सुल्तान सिंह इस हमले में जख्मी हो गए लेकिन वे निरंतर गोलीबारी करते रहे और तब तक अपने मोर्चे पर डटे रहे जब तक कि उन्हें वहां से हट जाने का आदेश नहीं दिया गया। इन कर्मियों द्वारा प्रदर्शित वीरता, शौर्य और कर्तव्यपरायणता तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा सी आर पी एफ की उत्कृष्ट और उच्चतम परम्पराओं के अनुसार है। इन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना लड़ाई में अपना दृढ़संकल्प प्रकट किया।

श्रीमती संतो देवी, सहायक कमांडेंट, 135 (महिला) बटालियन और 33 वीं बटालियन के कांस्टेबल/ जी डी राम आसरे प्रसाद, राजेश कुमार और जसविन्दर सिंह द्वारा निभाई गई भूमिका

आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट और गोलीबारी के बारे में सुनकर श्रीमती संतो देवी, (आई आर एल ए संख्या 6251) सहायक कमांडेंट, सी/135 (एम) बटालियन मानस भवन से आईसोलेशन कोर्डोन की ओर भागी। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना वह सर्वप्रथम मोर्चा संख्या 1 पर गईं जहां कांस्टेबल राम आसरे प्रसाद, राजेश कुमार और जसविन्दर सिंह ने मोर्चाबंदी की हुई थी। इस मोर्चे पर कुछेक उग्रवादियों द्वारा हमला किया जा रहा था जो सीता रसोई के पीछे से आईसोलेशन जोन में घुसना चाहते थे। इस अधिकारी की तत्परता और सक्रियता के परिणामस्वरुप कारगर जवाबी कार्रवाई हो सकी जिसके कारण उग्रवादियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और वे वहां नहीं घुस सके। इन्होंने तब विवादित ढांचे के परमपावन मंदिर -गर्भ में मोर्चाबंदी कर ली और कई तीर्थयात्रियों, जो हमले के समय दर्शन के लिए आए थे और वहां से बच निकलने में असमर्थ थे, को वहां से सुरक्षित हटा लिया । यह इस महिला अधिकारी द्वारा की गई पहल और वीरतापूर्ण कार्रवाई का ही परिणाम था कि इस हमले के दौरान कोई भी सिविलियन हताहत नहीं हुआ।

हमले के दौरान, आईसोलेशन जोन के भीतर मोर्चा संख्या 1 पर कांस्टेबल राम आसरे प्रसाद, राजेश कुमार और जसविन्दर सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ था । उनके मोर्चे पर फिदायीन हमला हुआ और इन पर ग्रेनेड फेंके गए और अंधाधुंध गोलीबारी की गई। ये तीनों कांस्टेबल इस हमले के दौरान न केवल अपने मोर्चे पर डटे रहे बल्कि फिदायीन हमले का कारगरता के साथ उत्तर भी दिया और इस प्रकार उन्हें सीता रसोई के पीछे से आईसोलेन जोन में घुसने से रोका जा सका। इन कर्मियों द्वारा की गई कार्रवाई से न केवल हमलावरों को घुसने से रोका जा सका बल्कि संवदेनशील क्षेत्रों में आरक्षित सेना की तैनाती भी संभव हो सकी। इन कर्मियों ने दुश्मन की गोलीबारी के सामने दृढ़संकल्प और साहस का परिचय दिया। हालांकि, उनकी मोर्चाबंदी खुले में थी लेकिन फिर भी ये वहां डटे रहे।

प्रफोर्मा में दर्शाए अनुसार मारे गए उग्रवादियों से निम्नलिखित बरामदगियां की गई :

1. ए के -47 राइफल	05
2. ए के- 47 मैगजीन	09
3. ए के -47 राऊंद	141
4. ग्रेनेड	15
5. आर/एल ट्यूब	02
6. 9 एम एम पिस्तौल	02
7. 9 एम एम पिस्तौल मैगजीन	01
8. 9 एम एम राऊंद	04

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री योगिन्दर सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी, नंद किशोर, उप निरीक्षक, सुल्तान सिंह, हैड कांस्टेबल, ख्याली राम, हैड कांस्टेबल, ए एस अली, कांस्टेबल, गौरी शंकर, कांस्टेबल, समरजीत सिंह, कांस्टेबल, पिंजारी जहांगीर, कांस्टेबल, आर टी कोलेह, कांस्टेबल, जे एन सेकिया, कांस्टेबल, अर्जुन यादव, कांस्टेबल, श्रीमती संतो देवी, सहायक कमांडेंट, रामासरे प्रसाद, कांस्टेबल, राजेश कुमार, कांस्टेबल और जसविन्दर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 जुलाई, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 75-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1) जगदेव सिंह, उप निरीक्षक

(2) राम कुमार, हैड कांस्टेबल

(3) विवेक कुमार राठौड़, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

14 वें संसदीय चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए सरगुजा जिला, छत्तीसगढ़ में 144 वीं बटालियन, सी आर पी एफ की 7 कंपनियां तैनात की गई थीं। यह नक्सलवाद से प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्र है। 5.4.2004 को सुबह-सुबह, "डी" कंपनी , 144वीं बटालियन, सी आर पी एफ के संख्या 710530482 एस आई (जी डी) जगदेव सिंह की कमान में एक पार्टी को पुलिस स्टेशन चलगली खास के अंतर्गत मणिकपुर गांव में डयूटी पर तैनात किया गया, राज्य पुलिस के संख्या 17 कांस्टेबल नरेन्द्र टिर्किन को एक गाइड के रुप में पार्टी के साथ नियुक्त किया गया। क्षेत्र में गश्त डयूटी के दौरान, यह पता चला कि कुछ नक्सली समीप के घर में छिपे हुए हैं और एक बड़ा ऑपरेशन करने की योजना बना रहे हैं। उप निरीक्षक जगदेव सिंह ने सभी जवानों को आवश्यक अनुदेश दिए। संख्या 861110835 हैड कांस्टेबल (जी डी) राम कुमार की कमान में एक टुकड़ी को तलाशी अभियान चलाने हेतु क्षेत्र की घेराबंदी करने को कहा गया। उप निरीक्षक जगदेव सिंह शेष जवानों के साथ सामने की दिशा से घेराबंदी करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन पूरी तरह तलाशी लेने के बावजूद छिपे नक्सलियों के संबंध में कोई सबूत नहीं मिला। तलाशी के पश्चात, जब पार्टी वापस आ रही थी तभी नक्सलियों ने गोलबापाड़ा नाला के समीप सभी दिशाओं से अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। स्थिति की गंभीरता का जायजा लेने पर, उप निरीक्षक जगदेव सिंह ने अपनी पार्टी को धैर्य के साथ जवाबी गोलीबारी करने का आदेश दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी में, नक्सलियों द्वारा की गई गोलीबारी से उप निरीक्षक जगदेव सिंह के शरीर के विभिन्न भागों में गोलियां लगने से कई जख्म हो गए ।वे गंभीर रुप से घायल हो गए थे। फिर भी , निरंतर एक बहादुर कमांडर की तरह और अपनी जान को ताक पर रखकर आगे बढ़े और 2" मोर्टार की कमान संभाल ली और सही दिशा में 3 एच ई बम दागे। जिसके परिणामस्वरुप, नक्सलियों की घात टूट गई। दूसरी दिशा में, हैड कांस्टेबल राम कुमार ने बहादुरी और सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने जवानों का मनोबल निरंतर बनाए रखा और इनकी टुकड़ी ने नक्सलियों पर गोलीबारी जारी रखी । कांस्टेबल विवेक कुमार राठौड़ के पास एल एम जी थी।

इन्होंने भी बहादुरी और पूरी सक्षमता के साथ अपनी एल एम जी से निरंतर कवरिंग गोलीबारी की। इस भीषण गोलीबारी में नक्सलियों की एक गोली इनकी ठुड्डी में लगी। वे घायल हो गए। लेकिन इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल कर अपनी टुकड़ी के जवानों की जानें बचाईं। परस्पर गोलीबारी में कांस्टेबल विवेक कुमार राठौड़ की दायीं हथेली जख्मी हो गई। यह मुठभेड़ 1020 बजे से 1230 बजे तक चली। आखिरकार,नक्सली लड़ाई के मैदान से भाग खड़े हुए। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जो 2 घंटे तक चली, उप निरीक्षक जगदेव सिंह , हैड कांस्टेबल राम कुमार और कांस्टेबल विवेक कुमार राठौड़ जख्मी हो गए। वास्तव में, यह नक्सलियों की एक सुनियोजित योजना थी। उनका उद्देश्य बल कर्मियों को मारना तथा उनके शस्त्र और गोलाबारुद लूटना था। लेकिन, उपर्युक्त कर्मियों द्वारा प्रदर्शित बहादुरी और सूझबूझ के कारण, नक्सलियों के नापाक इरादे सफल नहीं हो सके। स्थानीय जनता द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। उनमें से एक अनिल तिवारी था। उसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी। वह पुलिस स्टेशन भंडारिया, जिला, घरवा (झारखंड) का निवासी था। दो नक्सली भी गंभीर रुप से जख्मी हो गए। नक्सली उन्हें ले जाने में सफल हो गए।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री जगदेव सिंह, उप निरीक्षक, राम कुमार, हैड कांस्टेबल और विवेक कुमार राठौड़ , कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 अप्रैल, 2004 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 76-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, रेलवे सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1) धुन मुन, हैड कांस्टेबल

(2) जनार्दन यादव, कांस्टेबल

(3) मृत्युंजय प्रसाद सिंह, कांस्टेबल

(4) राजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल

(5) प्रमोद ओरांव, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

4.10.2003 को लगभग 2200 बजे शस्त्र और गोलाबारुद को लूटने के नापाक इरादे से जी आर पी सशस्त्र मार्गरक्षी दल की तलाश में होम सिग्नल/दुमरी बिहार स्टेशन के समीप अधुनातन हथियार ले जा रहे 50-60 एम सी सी आई अतिवादियों द्वारा 1447 -डाउन जबलपुर-हावड़ा -शक्तिपुंज एक्सप्रेस पर घात लगा कर हमला किया गया। ऐसी तलाशी के दौरान, उन्होंने ए एस आई/ जी आर पी एस/ एल के झा, ट्रेन में सफर कर रहे थे, से 6 जीवित कारतूसों से युक्त एक सर्विस रिवाल्वर छीन ली और उन्होंने गार्ड्स लॉबी के अंदर हैड कांस्टेबल/आर पी एफ बी एन शुक्ला पर भी हमला किया। संयोग से सभी संस्तुत आर पी एफ -कर्मियों वाली एक सशस्त्र आर पी एफ - पार्टी भी इसी ट्रेन के पीछे के एस एल आर में टोरी से धनबाद तक वापिस लौट रही थी। अतिवादियों ने तुरंत लोहे की छड़ों से पिछले एस एल आर के दरवाजों को तोड़कर हमला कर दिया, गोलियों की बौछार की और आर पी एफ को बाहर निकालने तथा उनसे शस्त्र और गोलाबारुद का समर्पण करवाने के उद्देश्य से डिब्बे में पैट्रोल में भिगोकर जूट का कपड़ा फेंका। लेकिन आर पी एफ कर्मियों ने घटना स्थल पर सशस्त्र बल की कुमुक पहुंचने तक लगभग ढाई घंटे तक जवाबी कार्रवाई की। यद्यपि आर पी एफ कर्मियों की संख्या केवल पांच थी फिर भी इन्होंने अत्यंत साहस दिखाया और अतिवादियों की भीड़, जो 50 से 60 के करीब थी, का हमला नाकाम कर दिया और अतिवादियों द्वारा शस्त्रों तथा काफी मात्रा में रेलवे की नकदी लूटने के सभी प्रयास विफल कर दिए।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री धुन मुन, हैड कांस्टेबल, जनार्दन यादव, कांस्टेबल, मृत्युंजय प्रसाद सिंह, कांस्टेबल, राजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल और प्रमोद ओरांव, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 अक्तूबर, 2003 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 77-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, रेलवे सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. सूर्य नाथ राम,
   हैड कांस्टेबल
2. इन्द्रजीत कुमार,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे का दानापुर डिवीजन लूटपाट और डकैतियों के लिए काफी कुख्यात रहा है विशेष रुप से पटना-झाझा सेक्शन। गत छह माह के दौरान दानापुर डिवीजन में लूटपाट और डकैती की इक्कीस (21) घटनाएं हुईं। ऐसी घटनाओं से न केवल एक गलत संदेश जाता है बल्कि इससे यात्रा करने वाले लोग भी काफी असुरक्षित महसूस करते हैं। चुनौती के रुप में, ट्रेन में मार्गरक्षी ड्यूटी पर तैनात आर पी एफ कर्मियों को अपराधियों का सामना करने तथा गंभीर अपराध को नियंत्रित करने के निदेश दिए गए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, 3484 डाउन फरक्का एक्सप्रैस में 31.10.2005 को एक आर पी एफ एसकॉर्ट पार्टी तैनात की गई। एसकॉर्टिंग पार्टी के श्री एस.एन. राम, हैड कांस्टेबल (2549) और श्री इंद्रजीत कुमार, कांस्टेबल न केवल पूर्ण रुप से सतर्क थे बल्कि अपनी ड्यूटियों से पूरी तरह अवगत भी थे और अपराधियों को चुनौती देने के लिए दृढ़संकल्प थे। जब फरक्का एक्सप्रैस बख्तियार और बड़ रेलवे स्टेशन के बीच चल रही थी तभी बख्तियार रेलवे स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान के पश्चात ही लगभग 20:30 बजे पांच सें छः अपराधियों के गिरोह ने स्लीपर कोच सं. एस-1 में खतरनाक हथियारों की नोक पर यात्रियों को लूटना शुरु कर दिया। टी टी ई और यात्रियों से कोच सं. एस-1 में डकैतों द्वारा की जा रही लूटपाट के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, एस-3 कोच में मौजूद एस्कॉर्ट पार्टी के श्री एस एन राम, हैड कांस्टेबल (2549) और श्री इन्द्रजीत कुमार, कांस्टेबल वेस्टिब्यूल्स के कोच सं. एस-1 की और तेजी से भागे। कोच में पहुँचने पर उनका अपराधियों से सामना हो गया। श्री एस एन राम, हैड कांस्टेबल ने निडरता के साथ अपराधियों को चुनौती दी, जिससे अपराधियों में से एक ने गोलियां चला दीं जो श्री एस एन राम, हैड कांस्टेबल की दायीं टांग में घुटने के जरा सा ऊपर लगीं। कोच यात्रियों से ठसा-ठस भरा हुआ था और वे हड़बड़ी में इधर-उधर भाग रहे थे। श्री एस एन राम, हैड कांस्टेबल और श्री इन्द्रजीत कुमार, कांस्टेबल ने अपना धैर्य और संतुलन बनाए रखा और निर्भीकता के साथ अपराधियों का पीछा किया। श्री एस एन राम, हैड कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से अपराधियों पर गोली चलाई और श्री इंद्रजीत कुमार, कांस्टेबल ने, घायल श्री एस एन राम, हैड कांस्टेबल जो अपराधियों को कोच से बाहर खदेड़ते हुए गिर गए थे, की जगह ले ली और

इन्होंने निकास द्वार के नजदीक अपराधियों में से एक अपराधी को लक्ष्य बनाकर दो गोलियां चला दीं। अपराधियों के बारे में बाद में पता चला कि वे एक कुख्यात गिरोह से संबंध रखते थे और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इन डकैतों द्वारा हाल में फतुआ-बख्तियारपुर सेक्शन में एक डकैती डाली गई थी और उनके खिलाफ जी आर पी/बख्तियारपुर में धारा 395, 397 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। अपराधियों से घिरे होने के बावजूद श्री एस एन राम, हैड कांस्टेबल और श्री इन्द्रजीत कुमार, कांस्टेबल ने न केवल विलक्षण शौर्य बल्कि प्रतिकूल स्थितियों में अत्यंत पराक्रम और साहस का प्रदर्शन किया और यात्रियों को बिना किसी नुकसान के अपराधियों पर हमला करने में अत्यधिक बुद्धिमत्ता और चातुर्य का भी परिचय दिया। हताश अपराधी कोच में मौजूद दो आर पी एफ कर्मियों और यात्रियों को मारने पर उतारु थे चूंकि इन दो आर पी एफ जवानों ने यात्रियों को लूटने के उनके प्रयास को विफल कर दिया था। श्री इन्द्रजीत कुमार, कांस्टेबल ने अपनी जान की परवाह किए बिना बहुत अहम भूमिका निभाई और काफी सधी हुई गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरुप अपराधियों में से एक मारा गया। श्री एस एन राम, हैड कांस्टेबल और श्री इन्द्रजीत कुमार, कांस्टेबल द्वारा की गई गोलीबारी के पश्चात अपराधी भाग गए। अपराधियों में से एक अपराधी, जो श्री इन्द्रजीत कुमार, कांस्टेबल द्वारा मारा गया था, अथमलगोला में रेलवे ट्रैक के पास गिर गया। श्री इन्द्रजीत कुमार, कांस्टेबल ने आगे के कोच में मौजूद घायल यात्रियों की हर संभव सहायता की और रेलवे अस्पताल/मोकामा पहुंचाया जहां ओ सी/जी आर पी बारह और मोकामा तथा आर पी एफ अधिकारियों ने भी मदद की। श्री एस एन राम, हैड कांस्टेबल को तत्पश्चात चिकित्सीय उपचार हेतु रेलवे अस्पताल, दानापुर ले जाया गया। घायल श्री एस एन राम, हैड कांस्टेबल और यात्रियों में से एक श्री दिनेश सिंह, पुत्र स्वर्गीय जयराम सिंह गाँव अत्री, पी एस नवागढ़, जिला बक्सर के "फुर्द बयान" मोकाम में जी आर पी/बारह द्वारा रिकॉर्ड किए गए। बाद में मामला जी आर पी/बख्तियारपुर को अंतरित कर दिया गया। अपराधी का शव बाद में अथमालगोला में रेलवे ट्रैक के समीप बरामद किया गया और इसके आगे जी आर पी द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की गई। जी आर पी/बख्तियारपुर द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397 के तहत दिनांक 1.11.2005 को अपराध सं. 55/2005, के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया। मृत अपराधी की पहचान आदि में गांव -मोमिनपुर, पी एस फतुआ, जिला पटना के वकील राय, पुत्र श्री लल्लू सिंह उर्फ लल्लन सिंह के रुप में की गई। इन दो आर पी एफ स्टाफ द्वारा की गई गोलीबारी के परिणामस्वरूप, सेक्शन में लूटपाट और डकैती की घटनाओं में एकदम से रोक लग गई। संलिप्त संपूर्ण अपराधी गिरोह का पता लगाने के लिए आगे कार्रवाई चल रही है।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री सूर्य नाथ राम, हैड कांस्टेबल और इन्द्रजीत कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31 अक्तूबर,2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 78-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मणिराम रियांग,

राइफलमैन/ सामान्य ड्यूटी (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

3/4 उप-ग्रुपों में विभाजित ए टी टी एफ आतंकवादियों के ग्रुप (40/50) की मौजूदगी की सूचना के आधार पर एक सप्ताह के लिए जिरानिया पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत चंपक नगर के दक्षिणी हिस्से में अभियान चलाने के लिए 21.8.2004 को एक समन्वित विशेष अभियान की योजना बनाई गई। जिला पुलिस सहित सी आर पी एफ की 68 वीं बटालियन और सातवीं, पहली, दूसरी, दसवीं बटालियन टी एस आर को शामिल करके लगभग 16 अभियान पार्टियों को जिरानिया पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत चंपकनगर के दक्षिणी हिस्से ओर सीमावर्ती टकर जाला पी एस क्षेत्रों नामत: नारायणबाडी, चंपाबाडी, बरदवाल, राधा चरण, काशीदास, गरजन खोला, कारबोंग, स्वामनी पाडा, भारत चंदपाडा, तुईशाकुफूर , बसुराम पाडा, ज्योतिलाल पाडा, विक्रम मलसुम, तुईमारंग,गंगिया तुईचा और राया मलसुम में तैनात किया गया । अभियान पार्टियों ने 21.8.2004 को 0300 बजे से अपनी-अपनी चौकी संभाल ली। 22.8.2004 को लगभग 1100 बजे विक्रम मलसुम पर स्थित एक अभियान पार्टी को सूचना प्राप्त हुई कि विक्रम मलसुम से 5 कि. मी. उत्तर पूर्व के जंगल में एक टीले के ऊपर ए के श्रेणी के हथियारों के साथ 25/30 सशस्त्र ए टी टी एफ आतंकवादियों का ग्रुप मौजूद है। यह सूचना मिलने पर नायब/सुबेदार तपन चक्रवर्ती की कमान में टी एस आर के दो प्लाटुनों के साथ नायब सुबेदार बिजन पाल और मनु कुमार दास ने गैंग को रोकने के लिए उस स्थान की तरफ प्रस्थान किया। टी एस आर टुकड़ी लगभग 1145 बजे लक्ष्य के नजदीक पहुंची । जब वे रणनीतिक रुप से जंगल की सड़कों के जरिए छुपने के स्थान की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने झूम झोंपड़ी के नजदीक ए टी टी एफ ग्रुप की कुछ हरकत देखी। दो ग्रुपों में विभाजित टी एस आर पार्टी चतुरता के साथ छुपने के स्थान की तरफ बढ़ी। ए टी टी एफ ग्रुप ने झूम झोंपड़ी के पास पहरेदार को लगा रखा था। जैसे ही आतंकवादियों के पहरेदार ने टी एस आर टुकड़ियों को देखा, उन्होंने टी एस आर कार्मिकों को मारने और उनसे शस्त्र /गोलाबारुद छीनने के लिए उन्हें लक्ष्य बनाकर गोलीबारी शुरु कर दी। अभियान पार्टी के गाइड, राइफल मैन 01070902 मणिराम रियांग ने भी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता किए बिना अपने व्यक्तिगत हथियार से जवाबी गोलीबारी की। वे अभियान पार्टी के बाकी सदस्यों के जीवन और

शस्त्र / गोला बारुद की रक्षा के इरादे से पहरेदार को उलझाए रखने के लिए बहादुरी से आगे बढ़ते रहे। इसी बीच, गोलियों की बौछार राइफलमैन मणिराम रियांग को लगी जिसके कारण वे जमीन पर गिर पड़े लेकिन फिर भी वे अपने व्यक्तिगत हथियार से गोली चलाते रहे। अब तक, अभियान पार्टी के बाकी सदस्यों ने भी आतंकवादियों को लक्ष्य बना कर गोली चलाना शुरु कर दिया था। लगभग 15 मिनट तक गोलीबारी होती रही। गोलीबारी रुकने पर अभियान पार्टी ने जंगल की गहन तलाशी ली और राइफल मैन 01070902 मणिराम रियांग का गोलियों से छलनी शव बरामद किया। आतंकवादी ग्रुप की एक ए. के. 56 राइफल के साथ एक मैगजीन भी बरामद की गई। आतंकवादियों का लगातार खून बहने के संकेत देने वाले खून के धब्बे भी घटनास्थल पर पाए गए। तथापि, घने जंगल, ऊंची पहाड़ियों और उबड़खाबड़ जमीन की आड़ का फायदा उठाते हुए आतंकवादी अपने साथी को बचाते हुए भागने में सफल रहे।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री मणिराम रियांग, राइफल मैन/सामान्य ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 अगस्त, 2004 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 79-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, संघ शासित क्षेत्र दमन, दीव और दादरा नगर हवेली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री आर. पी. उपाध्याय,
सहायक पुलिस महानिरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

28.8.2003 को मोती दमण और नानी दमण को जोड़ने वाला दमण गंगा नदी पर बना दमण गंगा पुल अचानक ही ढह गया था । इस दु:खद दुर्घटना में 6-15 आयु वर्ग के 28 स्कूली बच्चों सहित 30 लोग मारे गए थे। लोगों ने पुल के ढहने और बच्चों की मृत्यु के लिए प्रशासन की विफलता को इसका कारण माना और कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने उन्हें भड़काया । उक्त दुर्घटना के बाद 29.8.2003 को बड़े पैमाने पर भीड़ हिंसक हो गई जिसमें सरकारी सम्पत्ति को काफी नुकसान हुआ और वह नष्ट हुई। शहर में स्थिति अत्यंत खराब हो गयी थी, क्रोध में उन्मत्त भीड़ ने सरकारी भवनों और संपत्ति को आग लगा दी, दर्जनों सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया, प्रशासक के पूर्व निवास-स्थान में प्रवेश किया और उसे पूरी तरह से तहस-नहस और नष्ट कर दिया । वस्तुत: कई भीड़ो ने नगर में विनाश का एक मंजर छोड़ दिया था जिसमें कई कार्यालयों की खिड़कियों के टूटे हुए शीशे, शराब की दुकानों (सरकारी निगमों द्वारा चलाई जा रही) को जलाने और लूटने , वाहनों को जलाने के कुछ एक उल्लेखनीय पहलू हैं। वस्तुत: क्रोधित भीड़, जो संपत्ति को जला और लूट रही थी, ने शहर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। सरकारी संपत्ति, दुकानों और प्रतिष्ठानों को फिर से लूटे जाने, जलाए जाने और क्षति पहुंचाएं जाने से रोकने के लिए पुलिस बल को पहले लाठी चार्ज करना पड़ा, फिर आंसू गैस छोड़नी पड़ी और अंतत: गोली चलानी पड़ी । पुलिस गोलीबारी में एक व्यक्ति मारा गया। लोगों ने तत्कालीन गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री हरिन पाठक, जो दमण के दौरे पर आए थे, का घेराव किया और उन पर हमला करने की कोशिश की। उनके सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया। भीड़ ने वरिष्ठ अधिकारियों के आवास और अधिकारियों के वाहन सहित कई सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया। सरकारी अधिकारी कालोनी के निकट धोलार, मोती दमण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी के आवास में भी आग लगाई गई। गैरेज में खड़ी उनकी सरकारी कार को भी बुरी तरह से जला दिया गया। चूंकि पुल ढहने के बाद बड़े पैमाने पर हिंसक भीड़, सरकारी और निंजी संपत्ति को लूटने और जलाने पर आमदा थी इसलिए तोड़-फोड़ करने वाली इस भीड़ को काबू करने के लिए गोली चलाने का सहारा लेना पड़ा । 29.8.2003 को दो व्यक्ति मारे गए। एक

व्यक्ति पुलिस गोलीबारी में और दूसरा पत्थरबाजी में मारा गया। 29.8.2003 को दंगे, आगजनी, डकैती, ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला आदि करने के कुल 09 मामले दायर किए गए। संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने 19 सितम्बर, 2003 को इन घटनाओं, जिसके कारण दमण में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, की मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आदेश दिया। जांच अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि बल प्रयोग, उचित, सामयिक और पर्याप्त तथा स्थिति की जरुरतों के अनुसार था। जांच अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि बल प्रयोग नहीं किया जाता तो भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात और अधिक पुलिस कार्मिकों, पदाधिकारियों को हानि पहुंचाई होती और घायल कर दिया होता तथा और अधिक सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती। यहां तक कि तत्कालीन गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार को भी नुकसान हो सकता था। जांच अधिकारी ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि कानून और व्यवस्था तंत्र ने सफलतापूर्वक और तत्काल कार्रवाई की और ए आई जी पी के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने संयम से काम लिया । पत्थरबाजी में स्वयं ए आई जी पी घायल हो गए थे। मुम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (पी आई एल) दायर की गई थी जिसमें गोली चलाने की घटना की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की गई थी। 30.3.2005 को माननीय उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट की जांच से निकले निष्कर्षों पर अपनी सहमति जताई और निर्णय दिया कि संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने जो भी संभव था, वह किया। माननीय उच्च न्यायालय ने पी आई एल खारिज कर दी और तीन याचिकाकर्ताओं को निदेश दिया कि वे भारत संघ को छः हफ्तों के अंदर 25,000/- रुपए की लागत अदा करें। यह नोट किया जा सकता है कि 29.8..2003 को अचानक ही छोटे से दमण पुलिस बल की कानून और व्यवस्था की असाधारण परिस्थितियों में कड़ी परीक्षा हुई। ये असाधारण परिस्थितियां ही थीं जहां भावात्मक आवेश से भरी हिंसक भीड़ के कारण स्वयं ही गंभीर स्थिति पैदा हो गई और ए आई जी पी श्री आर. पी. उपाध्याय के नेतृत्व में दमण पुलिस बल इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि वे इस परीक्षा की घड़ी में खरी उतरी और उसने व्यापक हिंसक भीड़, जो सरकारी संपत्ति पर हमला कर रही थी और उसे आग लगा रही थी, को नियंत्रित कर दिया। यह छोटा सा बल संघटक , उस व्यापक भीड़, जो तत्कालीन गृह राज्य मंत्री को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, को तितर-बितर करने में सफल हुआ। उसने स्थिति को सख्ती से लेकिन संयम से काबू किया। श्री आर. पी. उपाध्याय ने आगे बढ़ कर बल का नेतृत्व किया और इस कार्रवाई में वे घायल हो गए। उनकी बहादुरी से ही पुलिस बल प्रेरित हुआ अन्यथा क्रोध में उन्मत्त भीड़, धोलार, मोती दमण स्थित सरकारी आवासीय कालोनी, जहां पर सरकारी अधिकारियों के कई परिवार रह रहे थे, पर हमला कर सकती थी। यह अधिकारी, विकट परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाने में नहीं हिचकिचाए। यदि इन्होंने आगे बढ़ कर नेतृत्व न किया होता तो जान-माल की अत्यधिक हानि होती और पूरा शहर जल गया होता।

इस मुठभेड़ में, श्री आर. पी.उपाध्याय, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 अगस्त, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं० 80-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री प्रमोद कुमार,
द्वितीय कमान अधिकारी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

17 अक्तूबर, 2003 को लगभग 1015 बजे, एक्स-43वीं बटालियन, बी एस एफ की एक गश्ती पार्टी ने एम ए रोड श्रीनगर पर जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री के निवास के नजदीक दो उग्रवादियों को रोका। गश्ती पार्टी ने सिविलियनों को हताहत होने से बचाने के लिए नियंत्रित गोलीबारी करते हुए उग्रवादियों का पीछा किया जबकि उग्रवादियों ने ग्रेनेड फेंकते हुए अंधाधुंध भारी गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरुप कांस्टेबल श्री गोपाल और हैड कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह घायल हो गए तथा उन्होंने घावों के कारण दम तोड़ दिया। गश्ती पार्टी ने उग्रवादियों को मुख्य मंत्री के निवास में घुसने से रोकने के लिए उन पर जवाबी गोलीबारी की। किसी तरह से, उग्रवादी एम ए रोड पर एक प्रमुख शॉपिंग आर्केड डा. अली जान कॉप्लेक्स में मोर्चा लेने में सफल हो गए। घटना के संबंध में सूचना मिलने पर श्री प्रमोद कुमार, स्थानापन्न कमांडेंट 43वीं बटालियन, बी एस एफ तत्काल उस जगह की ओर तेजी से रवाना हुए। स्थिति का जायजा लेने के पश्चात, इन्होंने उग्रवादी द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी और फेंके जा रहे ग्रेनेडों के बीच मृत बी एस एफ कर्मी को हटा लिया। इस कार्रवाई में, वे गोलियों की किरचें लगने से घायल हो गए लेकिन उस जगह से नहीं हटे। इसी बीच, श्री वी आर बहल, ए डी आई जी, सी आई ओ पी एस-II भी कुमुक के साथ उस स्थान पर पहुँच गए। तत्पश्चात, बिल्डिंग से बाहर निकलने के सभी बिन्दुओं को उग्रवादियों को बच कर निकल भागने से रोकने हेतु कवर कर लिया गया। इसी बीच, पता चला कि भूतल और तीसरी मंजिल पर सिविलियन फंसे हुए हैं। इसलिए, फंसे हुए सिविलियनों को वहां से हटाने के लिए योजना बनाई गई। तदनुसार, श्री वी.आर. बहल, ए डी आई जी और कांस्टेबल वेद प्रकाश अपनी सुरक्षा की जरा सी भी परवाह न करते हुए, तीसरी मंजिल में प्रवेश कर गए। इस कार्रवाई को देखकर, उग्रवादियों ने अपनी सुरक्षित पोजीशन से श्री वी आर बहल, और कांस्टेबल वेद प्रकाश पर निशाना साधते हुए गोलीबारी शुरु कर दी। कुछ समय के पश्चात, कांस्टेबल वेद प्रकाश ने उग्रवादियों की सही स्थिति का पता लगा लिया। कारगर गोलीबारी करके उग्रवादियों को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से, वे अपनी पोजीशन छोड़ कर खुले में आ गए और उग्रवादियों पर गोलियां चलानी शुरु कर दी और उनमें से एक उग्रवादी को गंभीर रुप से घायल कर दिया। तथापि, उग्रवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में, एक गोली कांस्टेबल की बॉयीं जांघ में लगी और वे गिर पड़े लेकिन इन्होंने निरंतर गोलीबारी करते हुए

उग्रवादियों को उलझाए रखा। कांस्टेबल वेद प्रकाश की हालत गंभीर देखकर श्री वी आर बहल अपनी जान को खतरे में डालकर, उग्रवादियों द्वारा फेंके जा रहे ग्रेनेडों के बीच घायल कांस्टेबल को वहां से सुरक्षित जगह पर ले गए। इस कार्रवाई में, श्री बहल भी किरचें लगने से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद, श्री बहल आगे बढ़ते रहे तथा ग्रेनेड फेंकते रहे जिससे उग्रवादी दूसरी मंजिल की तरफ भागने पर मजबूर हो गए। इस मौके का लाभ उठाते हुए, वे फंसे हुए सिविलियनों और घायल जवानों को सुरक्षित जगह पर ले गए। अगले दिन बिल्डिंग पर धावा बोलने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, एक धावा पार्टी बनाई गई। सं. 873322346 हैड कांस्टेबल कुलदीप सिंह धावा पार्टी के सदस्यों में से एक थे। वे बिना किसी आड़ के उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी और फेंके जा रहे ग्रेनेडों के बीच अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए निडरता के साथ आगे बढ़े। आगे बढ़ते समय, इन्हें उग्रवादियों द्वारा चलाई गई एक गोली लगी। निर्भय होकर और अपनी सुरक्षा की जरा सी भी परवाह न करते हुए इन्होंने उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी और उनमें से एक उग्रवादी को मार गिराया। अपने साथी को मरता देख, दूसरे उग्रवादी ने प्रथम मंजिल की ओर दौड़ना शुरु कर दिया और एक शौचालय में मोर्चाबंदी कर ली जहां से उसने जवानों पर ग्रेनेड फेंके। उग्रवादी का सफाया करने में कठिनाई अनुभव होने पर, श्री प्रमोद कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी और श्री वी के लांगू, सहायक कमांडेंट अपनी जान की परवाह किए बिना भारी गोलीबारी के बीच उस शौचालय की ओर बढ़े। वे शौचालय के निकट पहुँचे ही थे कि तभी श्री वी के लांगू ने अपनी जान को अत्यधिक जोखिम में डालकर रोशनदान से शौचालय में हैड ग्रेनेड फेंके जिसके विस्फोट के कारण उग्रवादी शौचालय से बाहर कूद पड़ा और उसने श्री लांगू और श्री प्रमोद कुमार पर गोलीबारी कर दी। उग्रवादी द्वारा की गई गोलीबारी में एक गोली श्री लांगू को लगी। चल रही गोलीबारी और अपने घावों से न घबराते हुए, इन दोनों अधिकारियों ने, अदम्य साहस का परिचय देते हुए उग्रवादी पर धावा बोल दिया और उसे गोली मार कर ढेर कर दिया। उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर, दो ए के श्रेणी की राइफलें, आठ ग्रेनेड और गोलाबारुद के साथ-साथ मारे गए उग्रवादियों के शव भी बरामद किए गए। मृत उग्रवादियों की पहचान अरशद-उदल-सैद, चाक-68 खनाबल का निवासी और मलखान बीर के निवासी मोहम्मद नसीर खान, दोनों पाकिस्तानी राष्ट्रिक के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में, श्री प्रमोद कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17 अक्तूबर, 2003 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 2006

संकल्प

विषय: "इस्पात उपभोक्ता परिषद" के गठन के बारे में ।

सं. 5(3)/2004-डी-I (.) इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 व दिनांक 15 मई, 2006 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के संकल्प के क्रम संख्या 7 और 8 के तहत "इस्पात उपभोक्ता परिषद" में संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और मीडिया /विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करने का भी निर्णय लिया गया है।

क.

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	नाम एवं पता
1.	अरूणाचल प्रदेश	1. श्री तासो गुरु, द्वारा श्री एस.के. इंटरप्राईजेज, O-प्वाइंट ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश 2. श्री बिद्या शंकर प्रसाद, ग्राम-अदिनीग्रो, पो.ऑ.-नामसाई, जिला-लोहित, अरूणाचल प्रदेश, दूरभाष: 03806-2202219
2.	असम	1. श्री कनक चौधरी, द्वारा कनक चौधरी एंड एसोसिएट्स, साईमन हाऊस, राहाबरी, नेपाली मंदिर के सामने, गुवाहाटी-781008, दूरभाष: 09435044447 2. श्री अपूर्बा कुमार शर्मा, एम.ओ. सुपुत्र श्री एस. शर्मा,हटीगोर, टी एस्टेट,पिन-784524, पी.ओ.- हटीगढ़, जिला-उदलगुडी (असम) दूरभाष: 94351-48778

3.	चंडीगढ़	1. श्री अश्विनी कुमार, मकान नं. 2431, सैक्टर-19, चंडीगढ़
4.	दादरा एवं नगर हवेली	1. श्री रणवीर सिंह, होटल वर्धन के पीछे, माइक्रो टावर के पास, नारोली रोड़, सिलवासा (दादरा एवं नगर हवेली) 2. श्री प्रभु भाई पटेल, ग्राम- मसाद, पादरी फालिया, सिलवासा (दादरा एवं नगर हवेली)
5.	मेघालय	1. श्री डी.बी. वालांग, डोंग-शानेंग, उम्पलिंग, शिलांग-793006, (0364) 2230192/ 09863097136 2. श्री डेनिंगटन मारबानियांग, जाईव लंग्सलिंग, जाईव, शिलांग-793002 (0364) 2223666/2223553/09436100639
6.	मिजोरम	1. श्री सावीखोथांग सितकिल, सुपुत्र श्री बुंगखोथांग, लुआंगमुआल (माईनिंग वेंग), द्वारा रिव. लाल रामलियाना, ऐजवाल (मिजोरम)

ख. मीडिया/पत्रकार/विशेषज्ञ आदि श्रेणी के तहत **पता**

1. श्री राजीव रंजन नाग, प्लॉट सं. 8-डी, डीडीए फ्लैट्स,
गाजीपुर क्रॉसिंग, नई दिल्ली-110096

2. श्री कुणाल मकान नं. 98 बी, ब्लॉक - ए 2 बी,
एकता अपार्टमेंट, पश्चिम विहार,
नई दिल्ली-110063
(दूरभाष: 65497322, मोबाईल-9811800440)

2. दिनांक 15 मई, 2006 के संकल्प के क्रम सं. 2(22)2 के तहत श्री ममल कान्त भौमिक का नाम श्री कमल कान्त भौमिक पढ़ा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित राज्यों, प्रधान मंत्री कार्यालय सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा "इस्पात उपभोक्ता परिषद" के सभी सदस्यों को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

अजय कुमार
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 28th June 2006

No. 40-Pres/2006.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Chhatisgarh Police :—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

1. Nasar Ullah Siddiqui,
   Sub Inspector
2. Brajesh Tiwari,
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 4th March, 2004, information was received by Shri Nasar Ullah Siddiqui, Station Officer, Shankargarh, Police Dist. Balrampur that 40—50 armed Naxalites are moving near the jungle and hills of village Jokapat, PS Shankargarh. According to the information, Naxalites were armed with automatic weapons, hand grenades and land mines. He acted immediately and rushed towards the spot alongwith seven other armed police men i.e. H/C 365 Udaivir Chauhan, C/747 Jodhan Lal, C/197 Komal Singh, all from Special Task Force 1st Bn. Chhatisgarh Armed Force, C/198 Anil Chauhan 10th Bn. Chhatisgarh Armed Force, C/271 Anirudh Mishra 8th Bn. Chhatisgarh Armed Forces, C/623 Brijesh Tiwari 6th Bn. Chhatisgarh Armed Force and C/120 Jai Singh Dhurvey PS Shankargarh. He briefed minutely about the hostile and treacherous terrain and the threat perception from the enemy side. Keeping the threat of mine blasts in mind the whole party went on foot to reach the destination point towards Jokapat and Lashunpat. After searching for the naxalites they stayed in the night at Jokapat. Next day on 05.03.2004, he along with his party members proceeded towards village Samudri and reached village Kothli where they got information about the movement of naxalite dasta comprising of 18–20 active armed naxalites towards village Lakrakona. On this pin-pointed information, the police party led by courageous Shri Nasar Ullah Siddiqui advanced in the direction of village Lakrakona searching through the dense forest. The team leader very wisely divided his party in two parties and briefed them about operation. These two parties further proceeded keeping a suitable distance with each other and using proper cover. After crossing the jungle, police party led by Shri Nasar Ullah Siddiqui at once spotted one-armed sentry of naxalite gang. This party took position and started waiting for the other party led by constable Brajesh Tiwari. The sentry spotted other party and started firing without warning. The second party took position immediately. At this crucial moment, Shri Siddiqui challenged the naxalite group to give up their weapons and surrender before police. Naxalites opened fire abruptly on both the parties. The police party also opened fire on naxalites in self-defence. The police party advanced forward towards naxalites group who were 18 to 20 in number while police party had only 8 members divided in two groups. During forward action brave party leaders Shri Nasar Ullah Siddiqui and Shri Brajesh Tiwari kept the moral high and boosted the moral of party members too. After the encounter the area was searched. Dead bodies of five naxalites were scattered in the field of Pando Uraon. The bodies were later identified as Arjunji Deputy Commander of Peoples War, Shivprasad member of Peoples War and Girwar Uraon of Peoples War. Two bodies could not be identified. These hard-core naxalites belonged to Peoples War Jharkhand. Police also recovered one SLR rifle, two Double Barrel Guns, one revolver, ammunitions, one Tiffin bomb (live), detonators, one Motorola wireless set and other articles.

In this encounter S/Shri Nasar Ullah Siddiqui, Sub Inspector and Brajesh Tiwari, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th March, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 41–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Haryana Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Sabal Singh,**
   Constable
2. **Ashok Kumar,**
   Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 7.6.2005 an information was received that Sunil Kumar alongwith his accomplices would come to Gohana to commit heinous crime. Sunil S/o Shri Rambhaj r/o village Khandrai, Police Station City Gohana is a dreaded criminal, history sheeter, most wanted proclaimed offender. He was wanted in one and a half dozen heinous cases including murder, robbery, dacoity, extortion, assault on public servants including police men, escape from police custody etc. in various Police stations of Haryana and Haryana Police had announced a cash prize of Rs. 2,500/- on his head. On receiving this information four police parties were constituted to arrest this dreaded criminal. Four police parties were detailed in civies on private motor cycle for patrolling and combing the area to apprehend the dreaded criminal Sunil at railway track passing by Gohana. They noticed three youths coming on a scooter along the railway track. The scooterists were given signal to stop but instead of stopping the scooter, all the three youths got down from the scooter and tried to flee away. The police party comprising of HC Ashok Kumar No. 50/ IRB and constable Sabal Singh No.158/SPT came face to face with the criminals. Out of the three criminals two were identified as Sunil and Sanjay by Constable Sabal Singh No.158/SPT. First, Sanjay and third unknown youth started firing upon HC Ashok Kumar No. 50/IRB and Constable Sabal Singh No.158/SPT reached close to Sunil and made efforts to apprehend him but Sunil opened fire upon both these police personnel. There was a scuffle between the dreaded criminals and the two gallant policemen. During the scuffle Sunil opened fire upon Constable Sabal Singh No.158/SPT, as a result of which his right leg was hit with bullet. Even after being injured Constable Sabal Singh No.158/SPT, in defence, fired upon dreaded criminal Sunil and HC Ashok Kumar No.50/IRB also grappled with Sunil and also fired at him. During this fierce encounter the dreaded criminal was shot dead on the spot. The following recoveries were made:-

(i) One Revolver .32 bore

(ii) One country made revolver .15 bore
(iii) One Scooter Bajaj No.DL-3S4-8252
(iv) Two mobile phone

In this encounter S/Shri Sabal Singh, Constable and Ashok Kumar, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th June, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 42–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Haryana Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1 Randhir Singh, (Posthumous)
Upgrade Constable

2. Ram Kishan, (Posthumous)
Exempted Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20.04.2005 two police officials namely UGC Randhir Singh No.918/SPT and EHC Ram Kishan No.835/SPT were deployed on patrolling duty on beat-Rider No.41 who were killed by the unknown culprits in a chance encounter in the jurisdiction of Police Station Baroda. At about 10.45 PM, the above said information regarding encounter was received on telephone from EHC Ram Kishan No.835/SPT, that unknown culprits who were on a scooter No. PB-25-8592 shot them on Meham Road near Dhanana Mor. Having made this call from his cell phone, EHC Ram Kishan succumbed to gun shot injuries on the spot. After receiving this information, SI Satpal Singh, SHO, P.S. Baroda alongwith police party reached the spot and found that EHC Ram Kishan No.835/SPT and UGC Randhir Singh, No.918/SPT were lying dead near the road. A scooter No. PB-25-8592 Bajaj Chetak, driving license No.17387/W dated 19.9.2000 bearing name of Dharamraj r/o Baghru Khurd, Tehsil Safidon District Jind and two empty cartridges were recovered by SI Satpal Singh, SHO PS

Baroda from the place of occurrence. The Government Motor Cycle No.HR-10-F-8952 and the Stengun with 35 cartridges were not found at the spot, which were taken away by the culprits. In this regard case FIR No.43 dated 21.4.2005 u/s 353/333/392/307/302 IPC and 25/54/59 Arms Act was registered at PS Baroda. During the investigation of this case, it has been revealed that the armed accused persons (3 in number two standing on the road side and the third hiding behind in the darkness in the ditch) were waiting to loot a four wheeler in order to subsequently commit a daring day robbery on Government treasury in Safidon next day. When the police officiais accosted the two accused persons on the road side to check them on suspicion and were in the act of overpowering them from on spotting their weapons, the third accused emerged from the darkness and shot them taking them by surprise. However, because of the courage shown by the two police personnel, the accused had to flee in a hurry leaving behind important clues/material on the spot, as mentioned above, which helped in the subsequent identification and arrest/killing in an encounter of the following accused persons:-

1. Mukesh S/o Krishan Kumar r/o Julana, Distt- Jind-arrested on 24.4.2005.
2. Satish @ Montu S/o Roop Singh R/o Jakholi, Distt-Sonepat arrested on 19.05.2005.
3. Dharamraj S/o Ram Phal r/o Bhaghru Khurad, Distt-Jind- arrested on 23.4.2005.
4. Sandeep S/o Krishan Kumar R/o Gorad, Distt- Sonepat-eliminated in police encounter on 27.4.2005.

In this encounter S/Shri Late Randhir Singh, Upgrade Constabe and Late Ram Kishan, Exempted Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th April, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 43–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Umesh Nag,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On a specific information regarding movement/presence of terrorists in Gangatha area of Bhaderwah (District Doda), a joint operation was launched in the area by Police/RR troops on 04.04.2004 and at about 1600 hrs the target was zeroed on. PSI Umesh Nag No.7215/NGO took a dare devil step and asked the hiding terrorist to surrender and the terrorist in turn raised his hands in air, as if he was about to surrender. But as the PSI was hardly 25 metres away from the terrorist, in sudden turn of events, the terrorist lobbed two grenades towards the PSI. As soon as the grenades blasted, the PSI quickly took position behind a nereby rock, fired upon the terrorist from a distance of 02 meters and killed him instantaneously. The identity of the terrorist was established as Farooq Dar code FD resident of Shova Gangatha. Categorized as "A" grade, he was one of the oldest terrorists of the area. One Pistol (Chinese) with 2 magazines and 7 live rounds, 2 Grenades (destroyed on spot), one Wireless (in damaged condition) and one prayer beat were recovered from the spot.

In this encounter Shri Umesh Nag, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th April, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 44–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Vinay Parihar,**
   Sub Inspector
2. **Ghulam Mohammad,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 31.12.2004, on receipt of specific information regarding presence of a group of terrorist, at Naka Manjhari, Poonch, the information was shared with NCA and an operation was launched. When the police party was about 50 yards short of the target place, it was split into two columns, one led by SI Vinay Parihar No.5910/NGO who was closely followed by Constable Ghulam Mohammad No.521/P and another by Ishtiaq Ahmad No.942/SPO. The terrain besides being rough and slippery because of frost, was covered with dense bushes and thorns. Inspite of these natural hurdles, the police party kept on advancing. SI Vinay Parihar who was leading the first group came under heavy fire from terrorist who was hiding behind a huge rock inside a nallah. SI Vinay Parihar alongwith Const Ghulam Mohammad crawled to a position very close to the place and hurled a grenade behind the rocks where the terrorist was hiding. As soon as the grenade burst, the terrorist jumped out and fired a heavy volume of rounds on the duo. Undeterred by the firing, SI Vinay Parihar and Const. Ghulam Mohammad returned the fire wherein a terrorist Abu Katal was killed. In the whole operation, SI Vinay Parihar and Constable Ghulam Mohammad exhibited rare bravery and commitment to duty in the face of imminent death. The following recoveries were made:-

(i)	Rifle AK-47	:2 Nos.
(ii)	Magazine AK-47	: 3 Nos.
(iii)	Rounds AK-47	: 70 Nos.
(iv)	Matrin Sheet	: 20 Nos.

In this encounter S/Shri Vinay Parihar, Sub Inspector and Ghulam Mohammad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st December, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 45–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1 **Lal Hussain,**
Selection Grade Constable

2. **Noor Hussain,**
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 07.01.2005, on a specific information regarding presence of a hard core terrorist, in Kanati Banola, Mendhar, Poonch, an operation was launched by J&K Police alongwith troops of 16 RR and 39 RR. Before force could challenge the hiding terrorists to come out of the targeted house and surrender, it was heavily fired upon by the terrorists from inside the house. During this initial contact one jawan of 39 RR received a gunshot in his arm. There were only two exit routes for terrorist from the house, one by door and other through the window. Showing rare act of courage and gallant Const. Noor Hussain No. 1071/P volunterred to go close to the main door, whereas SGCt. Lal Hussain No. 1070/P went close to the window, without caring for their own safety. Despite of heavy volume of fire coming from inside, both of them approached the door and window by a crawl and sat there calmly. All of a sudden two terrorists jumped out amidst heavy fire from the door and window simultaneously. Both of these terrorists parched by shoots of hiding constables, who were waiting for opportune time. The killed terrorists were identified as Akrama Dillawar, District Commander and other as Talha of LET outfit. Akrama Dillawar was a dreaded terrorist responsible for many civilian killings. He was also involved in ambushes on Army and Police parties in which many jawans had lost their lives. 2 AK 47 Rifles, 6 AK Magazines and one radio set was recovered from the slain terrorists.

In this encounter S/Shri Lal Hussain, Selection Grade Constable and Noor Hussain, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th January, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 46–Pres/2006- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Kulwant Singh Jasrotia,
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 4.4.2005, Sh. Kulwant Singh, Dy.SP, HQ Rajouri received an information about the presence of terrorists in village Pangai in the jurisdiction of Police Station Thanamandi. Dy.SP. HQ alongwith Police Station nafri launched an operation in the area. NC authorities were also informed about the presence of terrorists in the area for back up support. A joint search was launched and when terrorists hiding in the area noticed movement of troops, they started indiscriminate firing. There was apprehension that terrorists hiding may cause heavy loss/ casualties to troops and also to the civilians in the area. Dy.SP.HQ with his strenuous efforts, reached near hand-shake distance and shot dead one of the terrorists. The other terrorist hiding in the house was also killed by the troops. The identity of the slain terrorists were established as:-

(1) Habib Ul-Rehman code name Sultan Haider R/O Pangai of HM outfit and listed militant of "A" category.
(2) Mohd Riaz S/o Chiriya R/o Sankari of LET outfit enlisted as "B" category.

Recoveries made: -

(i) Rifle AK 56/47 - 2 Nos

(ii)	Magazine AK	- 06 Nos
(iii)	Ammunition AK	- 80 Rds.
(iv)	Hand Grenade	- 02 Nos (Destroyed on spot)
(v)	Radio Set	- 02 Nos. damaged
(vi)	Pouch	- 02 Nos.
(vii)	Pencil Cell	- 14 Nos.

Both these terrorists were active in the area for the last couple of years and involved in various massacres in the District. The terrorist outfits operating in the area received a great set back, due to the killing of these terrorists.

In this encounter Shri Kulwant Singh Jasrotia, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th April, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 47–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Javed Iqbal,
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 12 April 2005, on a specific information, a joint operation was launched by Special Operation Group of J&K Police Budgam and troops of 35 RR, at village Takia Farak Shah. During the search, two lady associates of LeT terrorist were arrested and recoveries made from them. During interrogation, the girls revealed that they were carrying the seized items for the militants who were hiding in the house of Bahu-Din Shah S/O Yaseen Shah R/O Village Takia Farak Shah. Inner cordon was strengthened around the house. Then the search operation was called off due to darkness. Search

commenced again in the wee hours of 13 April 2005. As many as 7 civilians were holed up inside the house which was occupied by a terrorist, who started indiscriminate firing. A police party led by Javed Iqbal Dy SP (Ops) started advancing towards the said house despite indiscriminate firing by the terrorist. Displaying exemplary bravery, devotion to duty, Javed Iqbal was able to brake open the window of the house from back side and was successful in rescuing the civilians holed up inside the house. Dy SP Javed Iqbal unmindful of his personal security again advanced towards the house and started firing and lobed grenade inside the house. The officer even after getting critically injured fired on the terrorist without caring for his life and killed him. The officer was then air lifted by an army chopper to 92 Base Hospital, where he under went surgery. The killed militant was later on identified as Mohd Imran @ Abubakar Slafi @ Y-1 S/O Ab. Rehman R/O Lahore (Pak) of LeT.

In this encounter Shri Javed Iqbal, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th April, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 48–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Uttam Chand,**
   Assistant Superintendent of Police
2. **Gowhar Ahmad Wani,** **(Posthumous)**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 26 March 2005, acting on a specific information regarding presence of terrorists in a hideout in village Yamrach (P/S Yaripora, Distt. Kulgam, Anantnag), SDPO Shopian, Shri Uttam Chand, IPS along with a police party from police camp, Gagren (Shopian) and a party of 17 JAKRIF

(Army) rushed towards the said village and quickly cordoned off the area. While the Army laid the outer cordon, SDPO Shopian along with source and Ct. Gowhar Ahmad Wani and a small police party proceeded towards the suspected hideout. After locating the hideout in the kitchen garden of the suspected house, SDPO Shopian tactically positioned the police party around the suspected house and the hideout. Shri Uttam Chand accompanied by Ct. Gowhar Ahmad Wani crawled towards entry of the suspected hideout. As they approached the hideout Ct. Gowhar Ahmad Wani started removing the earth on the cover of the entry to the hideout. As he lifted the cover of the hideout terrorist hiding inside fired indiscriminately towards the Police party in which Shri Uttam Chand had a narrow escape as the bullets missed him by hairline, but the Ct. Gowhar Ahmad Wani sustained bullet injuries in his legs. Upon retaliation by Shri Uttam Chand and Ct. Gowhar Ahmad, the terrorist got back into the hideout. In the process Ct. Gowhar Ahmad Wani got disbalanced and slipped inside the entry hole of the hideout. Displaying extraordinary presence of mind and courage Shri Uttam Chand, without caring for his life grabbed the arms of the injured Ct. which prevented him from further falling down inside the hideout. The terrorist hiding inside the hideout kept on firing intermittently. However, Shri Uttam Chand managed to pull out the injured Constable and dragged him to a safe distance after which the injured constable was evacuated to hospital but he succumbed to his injuries enroute. Showing exemplary courage and devotion to duty Shri Uttam Chand, again alongwith a small police party crawled towards the hideout and lobbed a hand grenade inside hideout. In the meantime Army personnel from the cordon party also reached near the hideout which was subsequently busted and the dead body of the killed terrorist was recovered who was later on identified as Jehangir Ahmad Mir @ Iiiyas @ Sajad S/o Gh. Rasool Mir R/o Hatipora Naid Gund, District Anantnag, of Hizbul Mujahideen. The following Arms/Amn. was recovered from the busted hideout:-

1. One AK 47 Rifle with two Magazines and 25 rounds.
2. One UBGL
3. Six UBGL grenades.
4. One I.Com wireless Set.
5. One Mobile Phone etc.

In this encounter S/Shri Uttam Chand, Assistant Superintendent of Police and (Late) Gowhar Ahmad Wani, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule

governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th March 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 49–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Mohd. Altaf, (Posthumous)
Selection Grade Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 03.05.2005, the Chairman of Municipal Council Pattam Mohammad Ramzan Miyan who was passing through Pattam Bazar was attacked by terrorists. In the attack the Chairman of Muncipal Council and his two PSOs', SPO Zahoor Ahmad No.1072 and SPO Reyaz Ahmad No.1509, were killed and the terrorists also managed to snatch the weapons of the slain PSOs. On the receipt of this information nafri from Police Station Pattan immediately rushed to the spot. In the confusion and mayhem following the killings, SG Const. Mohd Altaf No.1122/B noticed one terrorist trying to escape alongwith the snatched weapon taking advantage of the crowd and confusion. Without caring for his life, SG Const. Mohd Altaf No.1122/B chased the fleeing terrorist and tried to grab him. While grappling with the terrorist and trying to pin him down, the terrorist managed to open fire. The Constable was hit in the heart killing him on the spot. The act of the policeman in the face of danger and his ultimate sacrifice laying down his life while performing duty and service to the nation is indeed commendable and praise worthy.

In this encounter (Late) Mohd. Altaf, Selection Grade Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd May, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 50–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Karnataka Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1 **S. Murugan,**
Superintendent of Police

2. **K.C. Ashokan,**
Police Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 16.11.2003 at around 11:00 pm Sri Ashokan, received information over telephone that five fully armed naxalites were staying in a house in Bollottu hamlet and were involved in propaganda against eviction of forest dwellers from Kudremukh National park. Instantly PI, DCIB relayed the information to Sri Murugan, SP over telephone. Sriyuths S. Murugan and Ashokan and the anti-naxalite team then left for Bollottu in two vehicles. The team alighted at a spot at a distance of 6 to 7 Kms. from Bollottu. The SP briefed the team about the operation to be conducted, and further instructed that minimum force should be used to apprehend the culprits and on no account innocent people be harmed. The team trekked through forest tracks in the night and reached Bollottu in Udupi district at around 03:00 am in the morning. The team went near the house where naxalites were camping and took position. An armed sentry carrying a firearm was standing guard near the house. When Sri Ashokan attempted to capture the naxallite a dog started barking and alerted the naxalite. On hearing this the sentry flashed a torch and opened fire on the team. Sri Manohar, Armed Police driver who was following behind was caught in the fire and injured in his head. Sri Murugan without heeding the immense risk to his own life rushed towards the injured and pulled him to safety away from the fire. Sriyuths Murugan and Ashokan came out of a nearby cowshed from one side and after taking cover warned the sentry to surrender. Despite the warning being repeated the naxalite continued firing at the team. Sriyuths Murugan, Ashokan and others then returned fire in self defence. As a result the sentry was hit and ran screaming into the house. Instantly the naxallites inside the house were alerted and started raining fire at the team. Sri Ashok Patkar (PC Gunman of SP) was injured during the firing. Immediately Sri Murugan and Sri Ashokan along with staff returned the fire and assisted the constable in reaching cover. They also managed to wrest the initiative and quelled the fire from naxallites. After a short time two of the naxalites even while firing at the team members, opened the two doors of the house and ran out into the darkness. The team immediately rushed into the house and

found two women naxalites seriously injured. They subsequently succumbed to their injuries. They were identified as Parvathi @ Sumathi and Hajima @ Uṣha. On further search of the house another naxalite by name Yashoda @ Sujatha was found hiding in a loft. The naxalites who had escaped were found to be Vishnu and Anand. The group was a part of the People's War Group involved in naxalite activities in Raichur, Chikamagalur, Shimoga etc and several criminal cases had been registered against them.

In this encounter S/Shri S. Murugan, Superintendent of Police and K.C.Ashokan, Police Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17th November, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 51–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Mizoram Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1 **D N Paudyal,**
Officer-in-charge (Now Inspector)

2. **Lalrinthanga Sailo,**
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 26.2.2004, D.N.Paudyal officer-in-Charge, PS, Kolasib received an information that an old lady had been brutally killed at Tuitha Veng, falling within the jurisdiction of the Police Station, and the culprit has fled away carrying a Dao (a sharp edged weapon) in his hand and threatening to kill anybody who comes his way. The said Inspector rushed for the place of occurrence alongwith ASI Lalrinthanga Sailo. At the place of occurrence, a lady namely Lalneihchawngi, aged 41 years, W/o Hankholam of Barbikiraphailen, Churachandpur, Manipur was lying in a pool of blood with multiple cut injuries, with a sharp weapon, on her person. After ascertaining the facts of the case and initiating the legal formalities, the officers went in

the trail for the figitive culprit. They also learnt that the accused was searching for the husband of the deceased in order to kill him too. He had become wild and extremely violent and would have seriously injured anybody who came his way. It had become extremely necessary and urgent to disarm and arrest the accused to prevent any further loss of live. Panic had prevailed in the area on account of this incident. The accused was traced on a highway and was running towards Keicham. The Inspector challenged the accused Siamlala @ Vanlalsiama and directed him to surrender to the police, which he refused. Any wrong step would have invited danger for the two officers. It was necessary for them to not loose their cool and wait for the right moment to pounce on the accused. The opportunity did arrive soon after. ASI Lalrinthanga Sailo withdrew himself from the accused and had positioned him strategically in the forest in the hope that Siamlala may be caught off guard in the jungle. As the opportunity presented itself the ASI unmindful of his personal safety, exhibited a rare speed and alacrity and pounced on the accused and held him from behind. The accused tried his best to free himself but the ASI was not one to let him go. He turned to the left and swung his Dao towards the ASI. Fortunately for the ASI the Dao missed him narrowly. Inspector D.N.Paudyal, who was nearby, lunged forward and caught the accused by his waist. The two officers finally managed to pin the accused down, who was very strong built and not easy to be captured even by two officers.

In this encounter S/Shri D N Paudyal, Officer-in-charge and Lalrinthanga Sailo, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th February, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 52–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Th. Radheshyam,**
   Additional Superintendent of Police
2. **I. Khaba Singh,**
   Jemadar (Commando)
3. **S. Rohitkanta Meitei,**
   Commando

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the 4th of February, 2005, at round 10.30 a.m. a reliable information was received that some UGs armed with sophisticated weapons were loitering in the general area of Siremkhul and Tairenpokpi villages with a view to lay ambush on security forces at an opportune moment. Acting on this credible information five teams of Imphal West Commando, led by Addl. S.P. Th. Radheshyam, Inspector N. Lokhon Singh, SI Y.Kishorchand, SI M. James Thangal and Jemadar, I. Khaba Singh were deployed to carry out counter insurgency operation in the said area. On reaching Sairemkhul village, Commandos were bifurcated in different directions and conducted operation. Thus the teams led by Addl. S.P. Th. Radheshyam and Jemadar I. Khaba Singh carried out operation from house to house in the south western portion of the village. Just when their teams crossed over a rivulet touching the edge of the village from where the vast paddy field of Jhum cultivation stretched on the high plateau region, Addl. S.P., Th. Radheshyam caught sight of heavily armed youths numbering five to six who were managing to escape from operation zone at the distance of about 100 yards. Addl. SP, Th. Radheshyam informed all the Commandos who were in the operation. No sooner the information was passed, a volley of rounds were fired by the heavily armed youths towards the Commandos, who returned the fire after taking positions. The commandos, Addl. SP.Th. Radheshyam Singh in the forefront closely followed by J.C.No. 490 Jemadar I. Khaba Singh, and Constable No. 9802005, S. Rohitkanta Meitei advanced forward along with the other members of the team amidst the heavy firing. On perceiving the high determination of the Commandos, the heavily armed youths retreated to escape in the nearby hillside by continuously firing. At this critical juncture, Addl. SP, Radheshyam commanded the Commando to make a hot pursuit of the youths lest they might escape. Thus Addl. SP Th. Radheshyam in the middle JC No.490 Jemadar I. Khaba Singh and

Constable S. Rohitkanta Meitei on the sides, advanced forward strategically in extended line formation by crawling and engaged themselves in the heavy encounter while the other members of the team i.e. Rifleman M. Akaton, Rifleman. Y. Priyananda and Rifleman M. Athouba were giving covering fire. During the encounter one youth who was taking position behind the bushes and firing repeatedly was hit by the bullets fired by Addl. S.P./IW, Th. Radheshyam Singh, Jem. I. Khaba Singh and Police Constable S. Rohitkanta Meitei at a distance of about 35 yards and some of them fled away by taking coverage of the trees standing by the hillside realizing the high determination of the Commandos. The youth succumbed to his injuries and one AK-56 Assault Rifle, bearing No.56116800160 loaded with 12 live rounds was recovered near the dead body. On further search another AK-56 Assault Rifle, bearing No.00503 loaded with one live round was also recovered from a distance of about 10 meters west from the dead body. The youth who was killed in the encounter was later on identified as Kothoujam Ibomcha Singh @ Mamton, 23 years S/O K. Manihar Singh, resident of Haorang Sabal Mamng Leikai a hard core S/S Lance Corporal of the prescribed organization Kangleipak Communist Party (KCP).

In this encounter S/Shri Th. Radheshyam, Additional Superintendent of Police, I. Khaba Singh, Jemadar (Commando) and S. Rohitkanta Meitei, Commando displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th February, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 53–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry / 1st Bar to President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Clay Khongsai, Superintendent of Police**	**(PPMG)**
2.	**Th. Krishnatombi Singh, Inspector**	**(1ST Bar to PPMG)**
3.	**K. Bobby, Assistant Sub Inspector**	**(PPMG)**
4.	**L. Dinesh Singh, Constable**	**(PPMG)**
5.	**S. Naobi Singh, Constable**	**(PPMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 16th April, 2005 at about 6.00 pm, a specific information was received that the banned outlaw militant group KYKL (Kanglei Yawol Kanna Lup) numbering about seven cadres, earlier involved in an ambush of 10 A.R. (Assam Rifles) and killed Captain Roopinderdeep Singh and five jawans at Kumbi on 16/02/05, were again planning to attack/ambush Army personnel and police commandos at Keibul Lamjao area. Based on this, a selected team of Bishnupur commandos under the command of Shri Clay Khongsai IPS, Superintendent of Police, Bishnupur, was pressed into service at Keibul Lamjao. On reaching the general area of Keibul Lamjao at around 7.20 pm, the team was divided into two; one group under SI Anand Singh and ASI Khogendro Pangabam alongwith two personnel were deployed at Keibul Sagram road leading to Thanga at stops. The other team led by Shri Clay Khongsai SP/Bishnupur, Inspector Th. Khrishnatombi, Officer-in-charge Commando and ASI K. Bobby along with four personnel proceeded further to the south of Keibul Sagram for about half a kilometer. At that moment, two motorcycles with three riders each were seen riding towards the direction of the police team. Immediately, the team of Shri Clay Khongsai, SP/Bishnupur, Inspector Khrisnatombi and ASI K.Bobby shouted to stop for verification. But suddenly, the unidentified youths, who were armed to the teeth with sophisticated weapons opened fire including Lethod bombs, and jumped down from the motorcycles simultaneously. The police team also instantaneously dove for cover and retaliated swiftly and a fierce encounter ensued. The militants took position at the eastern drain side of the road at two places and continued firing heavily, ASI K. Bobby and

Constable No.9401112 S. Naobi Singh who were at a very vulnerable and risky spot having no cover, retaliated fiercely from the northern side. Instinctively, at the same time, Shri Clay Khongsai, S.P. pushed aside Inspector Th. Krishnatombi and Constable No.9802010 L. Dinesh Singh who were all openly exposed at the road side without any cover, rolled on the road western side of the road and rapidly fired with their AK-47 Rifles towards the militants even as bullets were whizzing past them. Several Lethod bombs fired by the militants exploded in between the police team. Fortune favoured the brave, and the police team escaped from the jaws of death due to the brave challenge put up. After 15/20 minutes of gunfight and bomb explosions, there was a lull and the firing stopped. Without any delay, ASI K. Bobby and Constable S. Naobi crawled towards the place there they fired, risking their lives. He reported that one militant had succumbed to death with bullet injuries and found one AK-47 Rifle, three AK Magazines and one R.T. set beside the dead body, others having managed to escape towards Keibul Lamjao National Park, taking advantage of the darkness. Simultaneously, Shri Clay Khongsai and Th. Krishnatombi signaled to each other and crawled inch by inch towards the direction in which the police team fired, and found one militant who succumbed to death due to bullet injuries alongwith one A-4 UBGL (Under Barrel Grenade Launcher)also called M-18 Rifle with several Lethod bombs lying near the dead body. The rest of the militants managed to escape taking advantage of the darkness towards the swampy National Park. A team of 11 Garhwal Rifles, who were also deployed as stops near Thanga, was contacted by Shri Clay Khongsai and they arrived 15 minutes later, to help in further search of the area along with the police team.

The two slained militants were later identified as :

(1) Self Styled Sergeant Khumanthem Basanta @ Romi (26) years, S/o Kh Bhubon of Wangoo mamang Sabal leikai, KYKL fighting group. Aslo S/S Dy Commander of SOC.

(2) Lance Corporal Loitongbam Bimo @ Sunil @ Albaz (28) years, S/o (L) L. Munal of Sekmaijin Khunou Litan makhong, KYKLfighting group. Team of SOC (Special Operation Command).

The following arms and ammunition were recovered from the two militants killed in the encounter:-

(1) One A-4 UBGL (Under barrel grenade launcher)/ M-18 Rifle bearing NO.B-3457 with a magazine fitted having one live round of M-16 in the Chamber and two rounds in the magazine.

(2) One empty magazine of A-4,
(3) Four (4) nos of live Lethod bombs,
(4) One pouch containing eighty seven (87) live rounds of M-16 ammunitions.
(5) One AK-47 Rifle bearing no.6083 with a fitted magazine having one live round in the chamber and three (3) live rounds in the magazine.
(6) One magazine pouch having one AK-Magazine with 30 rounds.
(7) Sixty three (63) live rounds of AK Ammunitions.
(8) Two (2) numbers of empty AK magazines.
(9) One Kenwood R.T.wireless Set, 144 MHz FM Transceiver, made in Singapore, bearing No.50300037.

In this encounter S/Shri Clay Khongsai, Superintendent of Police, Th. Krishnatombi Singh, Inspector, K. Bobby, Assistant Sub Inspector, L. Dinesh Singh, Constable and S. Naobi Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ 1st Bar to President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th April, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 54–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **N. Tikendra Meitei,**
   Assistant Sub Inspector
2. **L. Manik Singh,**
   Assistant Sub Inspector
3. **MD. Hussein,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 29/11/2003 at about 7:45 am, Thoubal district control room received a reliable information about movement of some armed cadres of the prescribed PLA belonging to their fighting division in Salungpham and

Langmeithet villages, with the intention to lay IEDs and ambush security forces. Immediately thereafter, a combined force of Thoubal district police under the supervision of SP/Thoubal rushed to the areas. The police team operated in three groups, each led by an officer. The team led by ASI N. Tikendra Meetei, (holding an AK assault rifle) and Constable No.984004 Md. Hussein (holding an SLR) of CDO/Thoubal was deployed at Salungpham area, the 2nd team led ASI L. Manik Singh (holding an AK assault rifle) was deployed at Langmeithet and the 3rd team led by Insp. (L) N. Rajen Singh was deployed at Saram Langmeithet junction with the objective of sealing all possible escape routes. At about 8:05 am, the Commandos took up their respective positions and carried out frisking and checking. At about 8:15 am, the team led by ASI N. Tikendra Meetei who were in the Salungpham area spotted about 8/9 youths carrying sophisticated weapons in the paddy fields. ASI N.Tikendra Meetei and his team promptly persued the armed extremists risking their lives. The team shouted at the heavily armed extremists and asked them to reveal their identities and to disarm. Instead, the extremists began to fire at the police party. The commandos also retaliated and a fierce encounter followed. The armed men taking advantage of ditches/nullahs and trees, split up into 3/4 groups to confuse the Commandos and continued to fire. ASI N.Tikendra Meetei and his team headed towards them by crawling. In utter disregard of their personal safety, ASI L.Manik Singh along with ASI N. Tikendra Meetei and Constable No.984004 Md. Hussain began to chase the extremists under the firing cover provided by Inspector (L) Rajen Singh, HC Y. Saratchandra Singh and others. ASI L.Manik Singh, ASI N. Tikendra Meetei and Constable Md. Hussain finally managed to get close to the ditch where the extremists were hiding. ASI N.Tikendra Meetei crawled ahead and saw two extremists armed with AK assault rifles shooting at him. He also immediately returned the fire and shot dead one of the extremists who were taking cover in the ditch who was later identified as one Ashem Chandra @ PK Sana s/o A.Bidyachandra of Lamlai, a member of the banned Peoples Liberation Army (PLA). The deceased got bullet injuries on his chest. ASI L.Manik and Constable Md. Hussein who were crawling on the left also saw another militant firing towards them. They returned the fire killing one militant who was later identified as one S/S L/Corporal Seram Inao S/o S. Satyavan of Sabungkhok, a hardcore activist of the banned Peoples Liberation Army (PLA). The dead militant got bullet injuries on his shoulder and neck. The remaining militants managed to escape along the nullah towards the hill.

The following incriminating items were recovered from the spot:-

1. One 9mm pistol with a magazine, Chinese made (Norinco) marked as "MOD" 21JB 9mm para loaded with one live round in the chamber.
2. One HE hand grenade.
3. One live round of AK ammns.
4. One live round of .38.
5. One foreign made hand bomb, unmark and unknown make.
6. One wireless set (kenwood).
7. 4 (four) nos. of loose papers, wherein name, rank and their respective call sign were written.

In this encounter S/Shri N. Tikendra Meitei, Assistant Sub Inspector, L. Manik Singh, Assistant Sub Inspector and Md. Hussein, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th November, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 55–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/ 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **I. Khaba Singh, Jemadar** — **(1st Bar to PMG)**
2. **S. Bablu Singh, Constable** — **(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 10-05-05 at about 9.30 a.m. a specific information was received that one boy namely, Kayenpaibam Chinglemba Singh (16 years) s/o K.Bobo Singh of Sairemkhul, kidnapped about 10 days back by a terrorist group suspected to be Kangleipak Communist Party (KCP) was being kept

in a house at Haorang Sabal Mayai Leikai, Lamsang. Immediately, a Commando team led by Jemadar I. Khaba Singh and SI P. John Singh rushed to the said area as directed by OC/Commando Unit, Imphal West District to carry out manhunt operation in and around the aforesaid area. When the party reached the village, they parked their vehicle in a safe place and moved tactically on foot. The commando team was divided into two groups and moved towards the suspected place from different angles for effective cordon of the suspected house. Thus, when a small group of Commando led by Jemadar Khaba Singh was approaching towards the south-eastern side of the village, two youths were seen running out from a house belonging to one Konthoujam Nando Singh (30 years), s/o K.Ibohanbi Singh of Haorang Sabal Mayai Leikai, Lamsang. On seeing the suspicious movement of the two youths, Jemadar Khaba shouted to them to stop for verification of their identities. However, both the youths did not pay heed to the warning, and instead, ran away in different directions and also simultaneously fired towards the Commandos pursuing them. Jemadar I. Khaba Singh and SI P. John followed by Constable Bablu Singh retaliated swiftly and there ensued a fierce encounter. The two youths who were running out from the house proceeded towards the eastern side where there was a drain. Having no alternative, the CDOs rushed to a cowshed for their cover and retaliated. Jemadar I. Khaba Singh and Constable Bablu who were holding AK-47 Rifles charged upon the youth who was firing from his Revolver. The armed youth while retreating from the gun fight jumped in a drain and in spite of repeated warning, continued firing as a last resort. When the armed youth made an attempt to pin down Constable S. Bablu Singh from inside the drain, Jemadar I. Khaba Singh instinctively pushed aside Constable Bablu who was openly exposed without any cover, rolled on the ground and rapidly fired with his AK-47 Rifles. Thus, the youth was hit, fell down and succumbed to his injuries inside the drain itself. He was later on identified as Thangjam Ratan Singh @ Sunil (22 years) s/o Th. Selungba of Heibongpokpi Mamang Leikai, an activist of KCP. One .38 Revolver (Enfield) bearing No.L5300 loaded with 3 (three) live rounds was recovered from near the dead body. In the same instant, SI P.John, while helping in the gun-fight with his 9 mm Pistol, happened to notice the other youth who was also running towards the drain trying to escape from the police dragnet. Immediately, he made a hot chase of the fleeing youth and shot him dead in the Southern side of the house. He was later on identified as Cabungbam Bomcha Meitei @ Wangba (19 years) s/o C. Lokendro Singh of Heibongpokpi Mamang Leikai, an activist of fighting group of UG outfit KCP, 3 (three) demand letters of KCP were recovered from the dead body.

After the encounter the Commandos carried out search operation in

the house where the youths were taking shelter. The boy who was kidnapped by the UG outfits was found inside the house and thus he was safely rescued.

In this encounter S/Shri I. Khaba Singh, Jemadar and S. Bablu Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal/1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th May, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 56–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Y. Oken Meitei,**
   Sub Inspector
2. **N. Ginjalian,**
   Constable
3. **A. Modhu Singh,**
   Constable
4. **Th. Suresh Singh,**
   Constable
5. **T. Opendro Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 15/01/2005 at about 7.45 p.m. a credible information was received that some well armed militants suspected to be members of People United Liberation Front (in short PULF) were loitering and taking shelter at Keirao Makting Major Ingkhol Mayai Leikai area with a view to commit subversive and nefarious activities. It was also further learnt that these militants were suspected to be involved in the killing of one Md. Abdul Helim Sheikh @ Ningthem (43) s/o Majid Ali of Kiyamgei Oinam Loukon on 12//12//2004. Based on the information, teams of Commandos, Imphal East District Police in two light vehicles led by Sub-Inspector Y.Oken Meitei drove tactically to

the said area. The commandos team reached Kiyamgei bridge at about 8.00 pm. From Kyamgei bridge, the commandos team were divided into twc groups, one group under Constable 9801163 A. Modhu Singh, Constable 0101248 Th. Suresh Singh and Constable 0101253 T. Opendro Singh detailed to move towards the southern side of the village and moved eastward afterwards, the other team under Sub-Inspector Y.Oken Meitei with Constable No.9801144 B. Ginzalian and others moved on foot towards the inhabited areas of Keirao Makting Manjor Ingkhol Mayai Leikai through the paddy field towards the suspected militants location/sheltering place. Four constables were left behind to secure the commando vehicles and also cut-off their escape route on the main road, near the village by-lane. Just after crossing the paddy field, at a distance of about 20/25 metres from their location about 7/8 youths were seen coming in a row from the eastern side of the river towards Keirao Makting Mejor Ingkhol Mayai Leikai in a suspicious manner. The commando team led by SI.Y.Oken Meitei immediately warned the suspected youths to stop. Instead of stopping they started firing towards the commandos by sophisticated weapons. The commandos immediately dived and took position in a shallow nullah. Under heavy fire of the militants, SI Y. Oken Meitei and Constable Ginzalian retaliated immediately by firing towards the militants. Though, taken by surprise at the sudden firing of the militants, the commandos team under Sub-Inspector Y.Oken Meitei, an experienced officer in C.I.Ops handled the situation and took control of it. He dispersed his colleagues in different directions. Sub-Inspector Y.Oken Metei himself and Constable No.9801144 N. Ginzalen advanced towards the militants and attacking directly the militants by firing from their AK-47 rifles in crawling position on the ground. And the other constables, (1) Constable 9801163 A. Modhu Singh (2) Constable No.0101248 Th. Suresh Singh and (3) Constable No.01011253 T.Opendro Singh with their AK-47 rifles, who were detailed on the southern side were redirected to cut-off the escaped routes on the south-western side of the village adjoining the river. The teams were able to cut-off the escape route of the militants on the south-western side. After a period of about 15/20 minutes, since the beginning of the encounter there was no firing from the militants side and the commandos team entered the location where the militants were taking position and thorough search was conducted, during the searched found a dead body with bullet injuries with an AK-56 Rifles bearing Regd, No.2802845 and one magazine loaded with 10(ten) live rounds. He was later on identified as one Md. Amir (25) of Keirao Makting Manjor Ingkhol Leirak, self-styled Captain of proscribed People United Liberation Front. Further search resulted in finding one more dead body with one .38 Revolver (made in England) with 4 (four) live rounds of .38 ammunition and one magazine loaded with 10 (ten) live

rounds, he was later on identified as one Md. Kiyamuddin (28) of Keirao Makting Menjor Ingkhol, a hard core member of PULF.

The following arms and ammunition were recovered from the spot:-

1. One AK-56 Rifles bearing Regd.No.2802845.
2. One magazine loaded with 10 (ten) live rounds and one round loaded in the chamber.
3. One.38 Revolver made in England.
4. 4 (four) live rounds of 38 ammunition.
5. 50 (fifty) empty cases of AK rifles ammunition.

In this encounter S/Shri Y. Oken Meitei, Sub Inspector, N. Ginjalian, Constable, A. Modhu Singh, Constable, Th. Suresh Singh, Constable and T. Opendro Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for **gallantry** under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal **and** consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th January, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 57–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri L. Sanatomba Singh,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 04.02.2005, at about 4.00 pm, on receipt of a reliable information that armed underground activists were camping at Laphupat Tera area, a strong group comprising of eight Commando teams under the command of Inspector N. Lokhon Singh, O/C Commando, Imphal West, proceeded towards the area. The village located at a distance of about 50 kms. away from the State Capital (where Imphal West district HQ lies) is known for hide outs of various militants scattered throughout the surrounding villages

due to its topography. After cautiously moving towards the area for about one hour in the winding kutcha road along with Sekmaijin River, the commandos led by Inspector N.Lokhon Singh in the front were nearing towards a Bailly bridge connecting Arong Nongmaikhong village with Laphupat Tera. Inspector Lokhon while looking through his binocular, spotted movements suspected to be UG elements at some distance. As signaled by Inspector N.Lokhon Singh, the commandos immediately alighted from the vehicles and tactically moved towards the suspected location behind their bullet-proof vehicles. When the teams of Inspector Lokhon and SI Khogen Singh were approaching a lane leading to a small hut about 200 yards away, some armed youths came out of the hut and fired upon the commandos with sophisticated weapons like AK Rifles. Inspector Lokhon and his party immediately returned the fire taking cover behind their bullet-proof vehicles. The other members of the task force were quite behind and could not come nearer to the spot due to heavy firing from the extremists lurking in the surrounding area as well as from the side of the hut. Shri Lokhon and his team members had to fend for themselves under the heavy fire. Though taken by surprise and exposed to imminent danger at the initial stage, Shri Lokhon did not lose his composure. He immediately took control of the situation and commanded his team members to take counter-attack measures. He was able to make out that the firing from the side of the hut was being carried out by about 10/12 persons. Beside the armed youths firing out from the hut, other extremists lurking nearby the area alongside the road also joined in the encounter, thereby outnumbering the strength of commandos actually engaged in the encounter. Inspite of the adverse and difficult situation faced by the commandos at the initial stage, Inspector Lokhon and ASI (now SI) Khogen commanded their team members in a controlled and calculating manner. In the continuing heavy fire from the opposite direction, Inspector Lokhon was compelled to jump into a nearby pond on the edge of Loktakpat (Loktak lake), from where he positioned himself behind a little mound and fired rapidly with his AK-47 Rifle. Ultimately, he succeeded in shooting down one extremist perched on the southern side of the hut. The militant was later on identified as S/S Lance Corporal Mayanglambam Chaoba Singh, s/o (L) M. Pitam Singh of Kakching Khunou, a hardcore activist of the proscribed organization UNLF. On the other hand, ASI Khogen (now promoted to SI) who was holding a LMG fought the other extremists along with two of his brave commandos namely C/No.9401137 L. Sanatomba and Constable No.9801122 L. Dhanbir (who were also holding AK-47 Rifles), while SI Khogen and Constable L.Dhanabir gave firing coverage, C/No.9401137 L. Sanatomba took cover behind a eucalyptus tree and instantaneously fired and killed one UG who was later on identified as S/S Corporal Sanasam Ibopisak Singh, s/o (L) S.

Boba Singh of Waikhong Mamang Leikai, belonging to the banned UNLF organization. Constable Sanatomba, after some seconds, turned his attention to the Southern side of the hut and gave firing coverage to Inspector Lokhon who managed to kill one of the UGs.

In this encounter L Sanatomba Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th February, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 58–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Tripura Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Pranab Sengupta,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 31-07-2003 SI (UB) Pranab Sengupta received a secret information from his source that 10/12 armed extremists of NLFT(BM) group are moving at Amtali para under Takarjala PS at a distance of about 5 KM towards North -East from PS with a view to commit heinous crime in the locality. On receiving the information SI (UB) Pranab Sengupta along with CI TKJ , 3 SIs , 1 ASI, 6 PS Constables and 10 Riflemen of 7th BN TSR divided into two groups left PS for Amtali para, to verify the information and to take necessary action. At about 1930 hrs. the Ops party reached a village at Amtali para following a foot track. SI (UB) Pranab Sengupta started briefing the staff at the village. Suddenly some unknown extremists came to the spot and sensing the presence of police, opened fire at the OPS party. Immediately SI (UB) Pranab Sengupta reacted by firing from his personal weapon, from close range. Without loss of time he ordered the staff to fire . SI Sengupta fired 14 rounds from his 9 M.M service pistol at a very close range. He acted very bravely and showed presence of mind due to which the lives of the accompanying staff were saved. During the

encounter one C/ 988 Biddi Debbarma, PG of CI TKJ received a bullet injury on his right leg. The exchange of fire continued for about half an hour. When the firing stopped, SI(UB) Pranab Sengupta ,O/C Takarjala PS got the area cordoned and led the search of the area. During search the dead body of an extremist aged about 22 years in combat dress, ammunition pouch etc. was recovered. One A.K.-56 rifle, One Chinese grenade, 101 Rds live AK ammunition and incriminating documents were recovered from the dead body. From the diary, which was recovered from the dead body, identity of the extremist was established to be that of one Dayal Hari Jamatia @ Dal Sukhia of village Krishna Bakta Para Udaipur, South Tripura. The remaining extremists group managed to escape during the exchange of fire taking advantage of the vegetation and undulating terrain.

In this encounter Shri Pranab Sengupta, Sub Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st July, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 59–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Tripura Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Brajendra Debbarma,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 13-12-2003 Inspector B. Debbarmam CI Takarjala received a secret information from his source about movement of extremists in the area of Jarmani Para, Ganga Charan. Para 100 Paribar colony, Haridebara para. Accordingly he contacted Jampuijala A/R camp and planned operation in that area. On 14-12- 2003 at about 0200 hrs, Insp. B. Debbarma, Commandant, other officers and staff of 6th Bn (AR), and staff of TKJ PS split up into five group and laid ambush. One party consisting of Insp B. Debbarma, ASI N.J Chakma, one PG of B. Debbarma, SDPO and 5 jawans of 6 AR laid ambush at Jarmani Para. Second party led by Commandant 6th

AR laid ambush at Haridebra Para located at about half KM West of Jarmani para, Third party led by Captain B. Kataria laid ambush at Gangacharan para located at about 3 ½ KM West of Jarmani para, fourth Party led by Major Amar Singh laid ambush at 100 paribar Colony located at about 5 KM West of Jarmani para. Fifth Party led by Major K.S. Singh laid ambush at Narayan para located about 2 ½ KM South of Jarmani Para. At about 0745hrs. Inspr B. DebBarma heard heavy firing from 100 Paribar colony direction. He contacted the nearest Assam Rifle party at Hari debrapara and learnt that the AR party at 100 Paribar colony had encounter with extremists in which one extremist died. Accordingly Insp B. Debbarma withdrew the ambush and started proceeding towards 100 paribar colony. On way they searched 2/3 houses at Jarmani Para and proceeded on foot track towards the West. After crossing a blind turn, suddenly Insp. B. Debbarma saw 6/7 extremists on the foot track in front of them. Seeing the party of Insp. B. Debbarma the extremists opened fire directing at the Ops party. Insp. B. Debbarma instantly jumped to the side of the foot track and opened fire himself and shouted ordering his party to fire. He fired 14 rds. from his AK 47 rifle from a close range while advancing towards the extremists without showing any concern for his life and personal security. The firing continued for about ten minutes. In the meantime the extremists fled away from the spot taking advantage of the thick surrounding jungles. After firing stopped, he conducted thorough search of the area. During search, at about 0830 hrs, the dead bodies of two unknown extremists along with a G-3 rifle with one magazine and 5 rounds were recovered. The local witnesses identified the dead bodies of extremists as the hardcore members of outlawed banned NLFT (BM) group namely (1) Amrit Jamatia (Area Commander of the group) of Taidu under Taidu P.S. South Tripura (2) Bidhu Debbarma of Latia Cherra under Bishalgarh PS, West Tripura district. Some incriminating documents etc were seized from the P.O. During search, 3 (three) collaborators of NLFT extremist group namely (1) Bidhan Debbarma of Haridebra Para (2) Kamal Debbarma of Kala Chowdhury para and (3) Biswa Laxmi Debbarma of Paribar Colony under Takarjala P.S. West Tripura district were also detained. It was one of the most successful operations conducted under TKJ PS area in which 3 extremists were killed and 3 collaborators were arrested along with recovery of sophisticated arms and ammunition. The operation was successful due to the information of Insp. B. Debbarma and his personal exemplary gallant and courageous act during the operation in which he had risked his life for the sake of his duty.

In this encounter Shri Brajendra Debbarma, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th December, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 60–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/ 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Daljit Singh Chawdhary, Senior Superintendent of Police**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Krishna Bahadur Singh, Additional Superintendent of Police**	**PMG**
3.	**Santosh Kumar Singh, Sub Inspector**	**PMG**
4.	**Hari Om Singh, Sub Inspector**	**PMG**
5.	**Nagesh Kumar Mishra, Sub Inspector**	**PMG**
6.	**Rahim Khan, Constable**	**PMG**
7.	**Rajendra Singh, Constable**	**(1st Bar to PMG)**
8.	**Har Dev Bahadur, Constable**	**PMG**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 15.5.2005, Shri Daljit Singh Chawdhary, SSP Etawah received an information that Salim Gang equipped with weapons, headed by his brother Raja Singh, is hiding in the ravines of village Bihar in the jurisdiction of PS Bitholi, District Etawah. After deputing stopper parties at the escape routes, SSP formed one assault party and cover party. Assault party was commanded by the SSP himself which included Shri K.B. Singh, Addl.SP Etawah, Shri Hari Om singh, SI, Shri Santosh Kumar Singh, SI, Shri Nagesh Mishra, SI, Shri Rajendra Singh, Constable, Shri Rahim Khan, Constable and Shri Hardev Bahadur, Constable. At about 1100 hrs, deep inside the

ravines, while climbing the hillock however, the watcher of the gang saw the SSP and started indiscriminate firing on the police party and alerted the gang and indiscriminate firing started from the gang. The SSP challenged the gang to surrender but instead they increased the indiscriminate firing on the police party with the intent to kill them. Under the command of the SSP, the police also launched a well considered attack. But by using the strategic position on the hills, the gang retaliated with great fury by firing aiming at the attack party, which hit the SSP, Shri Santosh Kumar Singh, SI and Shri Hari Om Singh, SI on their bullet proof jackets. By this time, about 15-20 desperadoes took position on the hillock and continued firing. The leader of the gang, Raja Singh taking the strategic advantage kept firing on the SSP by changing the positions. SSP composed himself and with conspicuous gallantry came in the firing line and face to face in close quarter battle fired from his AK – 47 and killed the gangster. SSP enthused confidence and courage in the team and very near by Addl.SP Shri K.B. Singh, SI Santosh Kumar Singh, SI Hari Om singh, SI Nagesh Kumar Mishra, Constables Rajinder Singh, Rahim Khan and Hardev Bahadur singh showed great fortitude and in the face of extreme danger to their live showed extraordinary courage and valor and killed gangsters who were indiscriminately firing on the assault party with the intent to take their lives. They were identified as Veer Singh, Amar Singh Fauji, Bhima Mallah, Arti Jatav, Sapna Dangi and Imaman. Thus in the encounter, face to face with the dreaded gang who were heavily armed, the police party commanded by the SSP showed extreme courage and conspicuous bravely in the face of danger and gunned down 07 dreaded criminals in one of the rarest encounters in the hostile terrains of the treacherous ravines.

The following recoveries were made after the gallant action : -

- .303 rifle Mark 3 (Made in Budapest), 10 live rounds and 20 empty rounds.
- SBBL Gun, 14 live rounds and 20 empty rounds.
- Semi Rifle .30 bore, 135 live rounds & 40 empty rounds.
- Semi Rile .306 bore, 168 live rounds and 20 empty rounds.
- Revolver, Webley Scott (Made in England) 7 live cartridges and 10 empty rounds.
- .315 bore rifle, 5 live rounds & 5 empty rounds.
- Sten gun with two magazines, 12 live rounds and 10 empty rounds.
- Several gold ornaments, Letter Pads and daily use material were recovered.

In this encounter S/Shri Daljit Singh Chawdhary, Senior Superintendent of Police, Krishna Bahadur Singh, Additional Superintendent of Police, Santosh Kumar Singh, Sub Inspector, Hari Om Singh, Sub

Inspector, Nagesh Kumar Mishra, Sub Inspector, Rahim Khan, Constable, Rajendra Singh, Constable and Har Dev Bahadur, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal/ 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th May, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 61–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifle: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Suleiman,
Rifleman/General Duty

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On specific intelligence about move of Jangthang Haokip alias Raju who was Self styled Major and Arms Commander of Kuki National Front in general area Phalbung RG 3512, Battalion launched a seek and destroy operation on 25 June 2005 at 2130 hours. One column under Major Shiv Shankar Singh Hazari laid the ambush on the jungle tracks to cut of the escape route of terrorists while another column under Major Rakesh Kumar Bhardwaj with Police representative approached the suspected house which was located on the fringes of village Phalbung. At approximately 2305 hours the suspected terrorist tried to escape and was intercepted by Rifleman (General Duty) Suleiman, who was the member of ambush party. The terrorist opened fire on the ambush party which retaliated with utmost restraint to ensure no collateral damage. Rifleman (General Duty) Suleiman displayed courage and boldness of the conspicuous order to chase the fleeing terrorist and shot dead the terrorist in close combat. The elimination of this hardcore terrorist has disintegrated the terrorist outfit. One 9 mm Pistol Browning, six live rounds, two fire case, one radio set ICOM and incriminating documents were recovered.

In this encounter Shri Suleiman, Rifleman/General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th June, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 62–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Rifle: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **T. Kumarjit Singh,**
   Rifleman/General Duty
2. **Lalremruata,**
   Rifleman/General Duty

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on diligently cultivated intelligence about the presence of hard core ATTF terrorist in general area Tinguriya, West Tripura District, a special operation was launched under Colonel Anil Chaudhary, Commandant with one Officer two Junior Commissioned Officers and 24 Other Ranks on 21st August, 2005 at 2300 hours. On reaching the suspected Jhum hut, on a thickly forested hillock, the Commandant with Major Rishi Sharma and Number G/115200H Rifleman /General Duty T Kumarjit Singh and Number G/115390A Rifleman/ General Duty Lalremruata commenced deliberate movement towards the target Jhum hut in order to assess the situation. As they closed in the jhum hut, one of the two resting terrorist got alerted. Sensing the imminent danger both Commandant and Major Rishi Sharma pounced on the two terrorist, who by then had taken out a pistol and a grenade. Rifleman General Duty T Kumarjit Singh and Rifleman General Duty Lalremruata took position but could not fire due to close contact of terrorist and officers. They displayed excellent fire discipline, calm and presence of mind in face of terrorists. The terrorist with the pistol fired but was soon neutralized by the team. The other terrorist involved in a physical scuffle with Major Rishi Sharma managed to lob a grenade but Major Rishi Sharma managed to kick the terrorist to one side and throw the grenade to safe distance away for own troops. The terrorist tried to, sensing opportunity, throw another grenade and escape. However both Number G/115200H Rifleman General Duty T Kumarjit Singh and Number G/115390A Rifleman General Duty Lalremruata pounced at the terrorist, fired at him and neutralized him, before he could lob another grenade. The daring operation led to elimination of two hardcore ATTF terrorists include Padam Debbarma alias Napang, SS Area Commander and Mangal Debbarma. The recoveries include 9mm Chinese Pistol with seven rounds, 9mm revolver with two rounds, Chinese grenade, US made radio set ALINCO, combat dress, incriminating documents and miscellaneous stores.

In this encounter S/Shri T. Kumarjit Singh, Rifleman/General Duty and Lalremruata, Rifleman/General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st August, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 63–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Birender Singh, (Posthumous)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Acting on specific information regarding presence of militants in area between village Chatpora and Bogund, Distt., Anantnag, J&K, a cordon and search operation was planned and launched by the troops of 52 Bn., BSF on 9 June, 2004. The operational party immediately rushed to the target area. While the cordon was being laid, a suspicion had arisen that the militants were hiding inside the mosque. Accordingly, the ground and first floor of the mosque were searched but the party could not find any militant. At this juncture, Constable Birender Singh along with Constable Om Pal Singh gained entry in the false ceiling of the mosque with the help of a wooden ladder. All of sudden, they came under heavy volume of fire followed by lobbing of grenade by the hiding militants, as a consequence of which Constable Birender Singh sustained bullet injuries. Sensing danger, Constable Om Pal Singh jumped out from the false ceiling and asked Constable Birender Singh to come out quickly. The bold Constable, inspite of his serious injuries effused to come out and decided to take on the militants. Constable Birender Singh, with utter disregard to his own safety brought heavy volume of fire on the militants and inflicted serious injuries to one of the militants. He kept on firing and did not allow the militants to escape. During exchange of fire the false ceiling got damaged as a result Constable Birender Singh and the injured militant fell down. The injured militant, however, managed to take position in the first floor and started firing again on the party. Meanwhile, Constable Birender Singh was evacuated from the mosque by troops. The militants hiding inside the mosque kept on firing and lobbing grenades on the operational party through

out the night. Some of the grenades lobbed by the militants blasted inside the mosque as a result of which the upper wooden portion of the mosque caught fire. On search of the debris, charred dead body of one militant was recovered along with one AK Series rifle, two hand grenades, one wireless set and ammunition. Identity of the killed militants could not be ascertained. Constable Birender Singh succumbed to his injuries while being evacuated to Hospital.

In this encounter Late Shri Birender Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th June, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 64-Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri D D Boro,
Lance Naik

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Acting on specific information regarding presence of militants in the house of one Manzoor Ahmed of Ganai Mohallah, Village Sanziwotur, Distt Pulwama, J&K, troops of 71 and 8 Bns BSF planned and lauched a cordon and search operation in the said village on 27 August, 2004. According to the plan, the operational party divided themselves in three groups and rushed to the target house. Having cordoned the house, raiding party entered in the targeted house and enquired about the presence of militants from the occupants of the house. All of sudden, the party came under heavy fire from the hiding militants as a consequence of which Lance Naik D D Boro sustained bullet injuries on right shoulder. The fire was retaliated but was not effective as the militant was well entrenched. Meanwhile Lance Naik D D Boro spotted the militant's position. Sensing the militant could cause more damage from his position, Lance Naik D D Boro, despite being critically injured, shifted his position which forced the militant to

concentrate his fire on Lance Naik D D Bore. However, Lance Naik D D Boro, with utter disregard to his own safety and exhibiting raw courage, exposed himself and fired accurately inflicting critical injuries to the militant. The gallant action of Lance Naik D D Boro forced the injured militant to run towards the rear side of the house in a bid to escape. But the bold lance Naik, unmindful of his injuries chased the militant and shot him dead on the spot. On search of the area, dead body of the slain militant was recovered alongwith one AK Series rifles, three hand grenades, and ammunition. The killed militant was identified as Abdul Rehman Ganai S/O Mohd Ramjan Ganai R/O Alochibagh, Samboora, Pulwama, J&K.

In this encounter D D Boro, Lance Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th August, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 65–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Santosh Kumar Singh,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20 Feb, 2005 troops of BSF Border Out Post Bilashchera in Tripura North, were informed by two civilians of village Bogaichera that militants of UNLF outfit had kidnapped one Shri Rana Dutta of village Baligaon and were dragging him towards Bangladesh border. Immediately, the Post Commander organized an operational party and rushed towards village Bogaichera. The party chased the militants on foot and after a hot pursuit of over 3 KMs towards Bangladesh side, Constable Santosh Kumar Singh, who was scout of the party, spotted the militants alongwith the kidnapped person trying to negotiate a steep slope. Finding it as a right opportunity, Constable Santosh Kumar Singh with utter disregard to his own safety ran close to the militants and challenged them to surrender. On being challenged, militants opened fire on the Constable and kept on moving. Undeterred by the fire of militants,

Constable Santosh Kumar came face to face with the militants and exhibiting raw courage, shot three militants dead on the spot in a hand to hand close quarter battle. While the exchange of fire was going on, the kidnapped person tried to escape but was shot and injured by the militants. He was evacuated to nearby hospital by BSF troops but succumbed to his injuries. In the follow up operation another militant was apprehended by the troops. On search of the area dead body of the slain militants were recovered alongwith one AK Series rifle, one Chinese Pistol, ammunition and other items. The killed militants were identified as only Lamba (S S Capt), Kula Singh (2nd Lt) and Yangba (Private). The apprehended person was identified as Ingocha Singh S/O M Gojen Singh, R/O West Thangai Band, PS Lamphel, Imphal, Manipur. Indian currency amounting to Rs.14,83,200/ was recovered from his possession.

In this encounter Shri Santosh Kumar Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th February, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 66–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **N. Kannan,**
   Constable
2. **S. Jayaprakash,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding presence of a militant in Village Arabal, Distt Pulwama,J&K, troops of 71 Bn BSF planned and launched a cordon and search operation in the village on 23rd May 2005. As per the plan, troops rushed to the target village and divided themselves into two parties. While one group laid cordon on Eastern and Southern side, the other laid cordon on Southwest side. After having cordoned the target village and plugging all escape routes, the search operation was launched.

While the search operation was in progress, the militant hiding in one of the houses opened heavy volume of fire on the search party. The party retaliated the fire but it was not found effective, as the militant was well positioned inside the house. Still, the search party tactically advanced towards the house. Seeing the undeterred and approaching troops, the militant all of a sudden jumped out from rear side of the house firing heavily on the cordon in a bid to escape through North Western side. Constable N Kannan and Constable Jaya Prakash, who were part of the outer cordon, with utter disregard to their own safety and displaying raw courage chased the fleeing militant amidst shower of bullets and shot him dead on the spot. On search of the area, dead body of the slain militant was recovered along with one AK series rifle, one plastic hand grenade, one Chinese made Hand Grenade, one wireless set, ammunition and other articles. The killed militant was identified as Farooq Ahmed Sheikh, S/O Sonualla, R/o Kellar, Pulwama (J&K) of the dreaded HM outfit.

In this encounter S/Shri N. Kannan, Constable and S. Jayaprakash, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd May, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 67–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Heera Lal,**
   Sub Inspector
2. **Ram Kumar,**
   Sub Inspector
3. **Narayan Prasad,**
   Constable
4. **Jai Prakash Paswan,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Police Station Barachatti Distt Gaya, Bihar was declared as the most hypersensitive area by District Authority being infested by the militants. Keeping in view the sensitivity of the area, Troops of 56 Bn and 50 Bn, part of SHG-III Adhoo Bn were deployed in the area for smooth conduct of Bihar State Assembly Election – 2005. On 26 Feb 2005 re-polling commenced in booth No 41 P S Barachatti amid strict security. At about 1300 hrs Constable Narayan Prasad sentry atop the polling booth observed suspicious movement of some persons wearing green uniform. They were approx 300 yards from the polling booth. Constable Narayan Prasad immediately informed Party Comdrs, SI Ram Kumar and Sub-Inspector Heera Lal who in turn reorganized their troops tactically to meet any eventuality. The ulterior motive of attacking the polling booth by the extremists was evident from the fact that huge crowds of about 70-80 persons including females was observed advancing towards the booth brandishing automatic and other deadly country made weapons. Sub Inspector Ram Kumar ordered Constable Narayan Prasad to open fire on the extremists, Constable Narayan Prasad opened accurate fire on the extremists from his LMG, being taken by surprise and fired upon suddenly, the planned attack of the extremists was dissipated and they ran for cover. Sub-Inspector Heera Lal and Sub-Inspector Ram Kumar exhibiting high level of tactical acumen and leadership traits ensured correct deployment of their party. They were successful in retaliating the fire of the extremists. In the ensuing firing one militant was shot dead by the accurate fire of Constable Jai Prakash Paswan. Morale of extremists was shattered on seeing the dead body of their comrade and the sustained firing from both the BSF parties further spread panic among the extremists and they started running helter-shelter. It was observed that extremists while withdrawing were trying to drag some bodies of extremists. Sub Inspector Heera Lal and Constable Jai Prakash Paswan with utter disregard to their own safety displaying exemplary courage took over the dead bodies of three MCC extremists in their custody. SI Ram Kumar consolidated his party in and around the polling booth for the protection of polling officials and EVMs. With the tactical deployment and controlled fire he was successful in repelling the attack on the polling booth by extremists. The sustained and controlled fire, which continued up to 1600 hrs, Sub Inspector Ram Kumar exhibited a high degree of leadership quality. Besides, the three dead bodies, 03 rifles, live ammunition and grenades were recovered during search of the area. A very high degree of professionalism, grit, determination and courage displayed by the BSF parties averted a collateral damage during re-polling and ensured safety of civilians, own men, the police party and polling officials.

In this encounter S/Shri Heera Lal, Sub Inspector, Ram Kumar, Sub Inspector, Narayan Prasad, Constable and Jai Prakash Paswan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th February, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 68–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Sanjay Kumar Gupta,**
   Assistant Commandant
2. **Anand Kachari,**
   Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on information about movement of militants in general area of Forward Defended Locality (FDL) "Darshak" in Tangdhar Sector of J&K, ambushes were laid along the Line of Control in general areas of FDLs Darshak, Fariyal, Khajoor and New Aag by troops of 103 Bn BSF on the night intervening 26/27 April 2005. At about 0330 hrs, the ambush near FDL Khajoor observed some movement at a distance of approximately 700-800 mtrs and informed Shri Sanjay Kumar Gupta, Assistant Commandant, the Coy Commander at FDL Darshak. Shri Gupta, immediately formed five different groups and moved towards the target area tactically. The weather was bad and visibility poor. On reaching the target area, the first three groups were deployed to plug likely escape routes of the militants while the fourth and fifth group led by Shri Sanjay Kumar Gupta, Assistant Commandant tactically advanced towards the suspected site. All of a sudden they were fired upon heavily by the militants hiding behind a rock uphill, this was followed by lobbing of grenades. The party immediately took position. Meanwhile Shri Gupta, Assistant Commandant could locate the position of militants. He immediately ordered his LMG group to keep the militants pinned down by effective fire. Having pinned down the militants, Shri Gupta and his party tactically advanced towards the militants' position

amidst heavy firing in order to eliminate the militants. While advancing, Shri Gupta partially spotted one of the militants. Immediately, Shri Gupta, with utter disregard to his own safety stood up and fired on the partially visible head of the militant killing him on the spot. The other militants changed their position and continued to fire on the party for quite some time and then stopped the firing. Since the militants stopped their firing, the party could not locate the changed position of the militants. Sensing that the militants, in a bid to escape, could move towards the position of the first three groups, Shri Gupta and his party stealthily reached near the first group and alerted all parties. Meanwhile, the party observed the militants moving in the direction of Ragini Nala. Immediately the troops at FDL Fariyal were asked to engage the militants in the Nala but the militants lay prone without retaliation. At this stage, fire of 51 mm MOR from FDL New Aag was also brought on the militants, which forced the militants to come out from their hide and started climbing up. Taking this opportunity, the party fired and killed two militants on the spot. In the mean time, Head Constable Anand Kachari observed one militant running downwards in the Ragini Nala in a bid to escape towards POK. He, without caring for his own safety and exhibiting raw courage chased the fleeing militant. On seeing Head Constable Kachari chasing, the militant took position behind a boulder and fired at the Head Constable who had a narrow escape. Undeterred by the fire of militant, Head Constable Anand Kachari crawled close to the militant and shot him dead in a close quarter battle. On search of the area, dead bodies of four militants were recovered along with two AK series rifles, two Chinese made hand grenades, one wireless set and ammunition. Identity of the killed militants could not be ascertained.

In this encounter S/Shri Sanjay Kumar Gupta, Assistant Commandant and Anand Kachari, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th April, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 69–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Desh Raj,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 15th Dec 2004 at about 1215 hours, three motorcycle borne militants stopped their motorcycle near BSF Post Hatishah, Sopore, in Baramulla District (J&K). Two militants armed with assault rifles and hand grenades got down from the motorcycle. One of them rushed towards sentry post No.5 firing indiscriminately and tried to gain entry into the camp. This apparently was a Fidayeen attack. Head Constable Desh Raj, who was the guard commander of bunker No.4, observed the rushing militant. Sensing danger, Head Constable Desh Raj, with utter disregard to his own safety and displaying stellar courage came out of his bunker and intercepted the militant. The militant then concentrated his fire on the daring Head Constable. But Desh Raj, who did not loose his nerve, took aim and fired accurately killing the militant at the gate itself. Meanwhile, the second militant rushed towards bunker No.4 by lobbing grenades and firing indiscriminately with an aim to gain entry into the Camp. But the alert troops did not allow him to do so. Sensing danger, the militant ran towards the bridge firing at the camps on the both sides of the road and took cover behind a large concrete column. After positioning himself under cover, the militant started firing heavily on the camp. Since the militant was well entrenched, troops were finding it difficult to eliminate the said militant. At this juncture, Head Constable Desh Raj again took the initiative. He, without caring for his own life and exhibiting rarest of rare courage, rushed towards other side of the road amidst volley of bullets and took position from where he could see the militant. Seeing the daring action of the Head Constable, the militant tried to escape on his motorcycle. But Head Constable Desh Raj, showing professional acumen, shot the militant dead before he could escape. In the meantime, reinforcement also arrived and in the follow up operation the third militant was also shot dead. On search of the area, dead bodies of three militants were recovered along with two AK series rifles, eight Chinese made grenades, one motorcycle, one Mobile phone fitted with camera and ammunition. The killed militants were identified as under:-

a) Abu Rafi, Code name Jahed Bhai- a foreign militant of LeT outfit.

b) Code name Haraiya Bhai- a foreign militant of LeT outfit
c) Sayed Mohamed Fayaz, S/O Sayed Anwar Shah, R/O Macchipura, Sopore,J&K

In this encounter Shri Desh Raj, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th December, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 70–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry/ 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Shri S S Rawat, Deputy Commandant**	**PPMG (Posthumous)**
2.	**M S Rathore, Commandant**	**1st Bar to PMG**
3.	**Sikander Khan, Head Constable**	**1st Bar to PMG**
4.	**H K Yadav, Assistant Commandant**	**PMG**
5.	**Mohd Aslam Chichi, Head Constable**	**PMG**
6.	**Farooq Ahmed Mir, Constable**	**PMG**
7.	**Jageer Singh, Constable**	**PMG**
8.	**Bashir Ahmed, Constable**	**PMG**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receipt of information regarding attack on the Income Tax Office Srinagar (J & K) by militants, Shri M S Rathore Commandant 43 Bn mustered his guards and available troops for launching an operation for

eviction of the militants on 07th Jan 2005. Quick Reaction Team of 43 Bn under command of Sh B K Mandal, Dy Commandant was also rushed to the site. Having harnessed the resources, Shri M S Rathore, Commandant repositioned all the troops tactically and as such militants' fire was very appropriately and effectively retaliated. One CRPF jawan was seen trapped on the top floor and shouting for help. Under effective covering fire the party led by Sh B K Mandal, Dy Commandant succeeded in rescuing the CRPF jawan amidst volley of fire and hurling of grenades. 30 other civilians trapped inside the building were also successfully rescued by BSF troops from the rear of the ITO building, with the help of fire tenders and ladders. Militants were well entrenched inside the building. A storming operation was planned under command of Sh M S Rathore, Comdt and assisted by Sh S S Rawat, Deputy Commandant. The team gained entry in the building, amidst direct aimed fire of the militants. A grenade was hurled by the militant holed up in the bathroom on the party resulting in injury to Sh M S Rathore, Commandant, Head Constable Sikander Khan and Constable Bashir Ahmed, but negating the injury and by exhibiting exemplary courage and sheer professionalisms, Sh M S Rathore, Commandant and his party contained the militant with effective and accurate fire. In desperation on being cornered the militant made an attempt to run through the corridor but was eliminated by the accurate fire of Head Constable Mohd Aslam Chichi. The 04 civilians trapped in the ground floor were safely rescued unharmed. The second militant was intermittently firing on the storming party from the first floor and started rushing down the stairs. Anticipating the likely move of the militant Sh S S Rawat, Dy Commandant displaying unparallel courage came out of his cover and engaged the militant in close gun battle and succeeded in retracting the militant to the first floor but in this chivalrous action Sh S S Rawat sustained fatal bullet injury and succumbed to his injury. A party under command of Sh H K Yadav, Assistant Commandant was tasked to eliminate the militants holed up inside the bathroom of the ground floor. As there was no other option, the party dug holes in the first floor of the building amidst heavy fire from militant and rolled grenades on the militant. In the process Ct Farooq Ahmed Mir sustained bullet injury. Widening the hole in the floor was crucial as all the grenades were directed only in one direction and were rendered ineffective as the militant was taking cover behind a steel almirah, and was able to fire back effectively through the hole. Assessing the situation Ct Jageer Singh negating his own safety and exhibiting exemplary dedication took upon himself the onerous task of widening the hole amidst aimed fire from the militant below. Inspite of the odds and accurate fire Ct Jageer Singh was able to accomplish the task. Sh H K Yadav, Assistant Commandant jeopardizing his own life located the militants from the hole and lobbed a grenade accurately which

resulted in killing of the militant on the spot. The dead bodies of two militants, 02 Nos AK 47 Rifle with magazine and 17 live rounds were recovered from the site and later it was ascertained that both the militant belonged to Al – Mansooran outfit.

In this encounter S/ Shri (Late) S S Rawat, Deputy Commandant, M S Rathore, Commandant, Sikander Khan, Head Constable, H K Yadav, Assistant Commandant, Mohd. Asalam Chichi, Head Constable, Farooq Ahmed Mir, Constable, Jageer Singh, Constable and Bashir Ahmed, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ Police Medal/ 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th January, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 71–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sashi Kant Singh,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 6 Nov 2004 Head Constable Sashi Kant Singh was guarding gate No.2 of 13 Bn BSF Campus at Fruit Mandi, Sopore in Jammu and Kashmir. At about 0420 hrs, he saw two militants rushing towards the gate lobbing grenades and indiscriminately firing automatic weapons. This was a Fidayeen attack. Head Constable Sashi Kant Singh immediately alerted other guard party and opened fire on the militants. Meanwhile one of the grenades lobbed by the militants fell in front of the 'Morcha' and exploded, as a consequence of which, Head Constable Sashi Kant Singh sustained splinter injuries. Taking advantage of this opportunity, one of the militants rushed towards the living barrack with an aim to cause casualties to the troops inside the barrack. Sensing danger to the lives of troops in the living barrack, Head Constable Sashi Kant Singh, without caring for his own life and inspite of heavy

bleeding, chased the militant inside the camp and shot him dead on the spot. Meanwhile the Quick Reaction Team came out of the room and brought fire on the second militant, as a result of which the militant could not succeed in entering any building in the Campus. However, the militant managed to escape taking advantage of darkness and orchards close by. On search of the area, dead body of the slain militant was recovered along with one AK series rifle and ammunition. The killed militant was identified as Abu-Zeeshan, a Pakistan National of Al- Mansoor (LeT) outfit.

In this encounter Shri Sashi Kant Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6th November, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 72–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Kamal Kant Sharma, Commandant**	**PMG**
2.	**S.K.Chaturvedi, Assistant Commandant**	**PPMG**
3.	**Uttam Kumar Sarkar, Head Constable**	**PPMG**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

To destroy a Naxal Camp about which information had been received two parties, one under command of Shri S.K.Chaturvedi, Assistant Commandant, 140 Bn and other under supervision of S.P. Kanker proceeded for special operation towards village Dodge and Kringal Maspi. Both the parties proceeded separately and the rendezvous was to be at village Sangam on 3/9/2004 because of their local support the Naxals had come to know about the on going operation. The party under SP Kanker while in mid stream in the process of crossing the river Mendaki was heavily fired by the

Naxalites. In the incident HC Rajendra Prasad of CAF who was in one of the boats, sustained bullet injury and the boat also capsized. Five weapons with supporting ammunitions which were in the boat got drowned. In these circumstances Shri S.K.Chaturvedi, Assistant Commandant and Head Constable/GD Uttam Kumar Sarkar of 140 Bn immediately retaliated and opened fire. Shri Chaturvedi fired 7 HE bombs and HC Uttam Kumar Sarkar fired 51 rounds from his AK-47 towards the naxalites. Shri Chaturvedi led his party from the front. Their immediate and brave action in the face of glaring danger forced the attacking Naxals to abandon their position and flee. At least 5 naxalites were reportedly killed which has been confirmed by the villagers as well as report published in the Newspapers. The above fact has also been confirmed by the SP Kanker, the IGP, Bastar visited the site of action and directed to carry out a counter operation in the same area to recover dead body of HC Rajender Prasad and arms/amns lost. As per the strategy, a combined party of CRPF under command of Shri Kamal Kant Sharma, Commandant assisted by Shri S.K.Chaturvedi, Assistant Commandnat and State Police under command of Shri P.S. Thakur, SP Kanker was detailed to carry out the plan. The above party divided into two, left Partapur base camp on 6/9/2004 at 0900 hrs and reached village Dodge near River Mendki where HC Rajendra Prasad of CAF with arms/ammunitions got drowned. After taking due precautions, the party reached village Musarghat near Katgaon Nala at about 1300 hrs where the naxalites indiscriminately fired on the first party. The second party consisting of Shri Kamal Kant Sharma, Commandant Shri S.K.Chaturvedi, AC and Shri P.S.Thakur, SP Kanker started giving cover fire to the first party. Naxalites were trying hard to cause maximum damage to the security forces. HC Uttam Kumar Sarkar without fearing for his life, also advanced taking cover of huge trees and fired towards the naxalites in order to save the first party. He also encourage his section to fight bravely without fearing for lives. Shri S.K.Chaturvedi, AC fired 3 bombs from 2" mortar on the naxalites which weakened them. At that time, naxalites who had already planted land mines in nearby thick bushes, detonated an IED and also started indiscriminate firing on the troops resulting injury to Shri S.K.Chaturvedi, AC on his left hand, Shri P.S. Thakur, SP Kanker was hit in the legs, HC Uttam Kumar Sarkar and Ct. Gadadhar Biswas got bullet injuries in their legs, Ct Suren Bordalai in groin region and Ct Firoz Khan of CAF in left shoulder and chest. The Force had almost lost its morale after the blast and heavy firing by naxalites resulting injury to officers and men. Under these circumstances, Shri K.K.Sharma, Commandant boosted the morale of the force by exemplary courage without fearing and taking grave risk to his life. He ensured effective and befitting reply to the naxalites who suffered heavy loss and fled away. He also ensured safe return of party which was stuck in

the Nala. Amidst heavy firing, without fearing for his life, Shri Sharma made arrangements for immediate first aid to the injured, informed senior officers and arranged safe evacuation of injured personnel through highly naxalites infested area to Partapnagar bas camp. He also arranged for evacuation of seriously injured personnel from Partapur base camp to Raipur in a State Govt Helicopter.

In this encounter S/Shri Kamal Kant Sharma, Commandant, S.K. Chaturvedi, Assistant Commandant and Uttam Kumar Sarkar, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6th September, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 73–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Prem Singh Tomar, (Posthumous)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Troops of E Coy, 66 Bn. CRPF were earmarked for conducting TTAADC Elections in Chawmanu Constituency of District Dhalai. A party of 21 men of this Coy was detailed for Polling Booth No. 5/25 at JB School in village Chakbeha Choudhury Para. The party left on 3.3.05 at 0700 Hrs. under command SI Bishwamber Dutt for office of SDM Chailengta for collection of polling staff with material. After collecting polling staff, the party left for Chakbeha Choudhury Para JB School in five vehicles provided by civil authorities and reached Manikpur at about 0900 Hrs. Further, distance of 17 Kms was to be covered on foot being hilly and forest area. The party reached the destination at 1630 Hrs and was deployed. The above party started return journey on 6.3.05 at 0600 Hrs. At about 0710 Hrs. when the party was traversing a zig-zag down hill track near Kamanjoy Karbari Para area which was about 4 Kms. from Chakbeha Choudhury Para , the

scout No. 943330589 Ct/GD Prem Singh Tomar noticed some suspected movement behind the bushes in front of him and alerted the main body. At the same time, the party came under heavy firing of automatic weapons. Ct/GD Prem Singh Tomar was hit by bullet on his right thigh but he gallantly engaged the insurgents by firing from his INSAS Rifle without caring for his life and as a scout and being on the front, he took the volley of bullets and fought the militants. Militants escaped in thick jungle after the ambush. After getting information of ambush, the Commandant rushed to the spot with re-inforcement. Unfortunately, Ct/GD Prem Singh Tomar succumbed to his injuries. Combing operation was launched in which 7 empty cases of 7.62 mm and 2 empty cases of AK series were recovered from the spot of ambush. No. 943330589 Ct/GD Prem Singh Tomar sacrificed his life while fighting militants and continued firing even after being injured and saved remaining party. Thus, he exhibited high degree of courage, dedication, bravery and self confidence without caring for safety and security of his own life and made the ultimate sacrifice in ensuring integrity of the Nation.

In this encounter (Late) Shri Prem Singh Tomar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6th March, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 74–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Yoginder Singh, Second-in-Command**	**PMG**
2.	**Nand Kishore, Sub Inspector**	**PPMG**
3.	**Sultan Singh, Head Constable**	**PPMG**

4.	**Khyali Ram, Head Constable**	**PMG**
5.	**A.S.Ali, Constable**	**PMG**
6.	**Gouri Shankar, Constable**	**PMG**
7.	**Samarjit Singh, Constable**	**PMG**
8.	**Pinjari Jahangir, Constable**	**PMG**
9.	**R.T.Koleh, Constable**	**PMG**
10.	**J.N.Saikia, Constable**	**PMG**
11.	**Arjun Yadav, Constable**	**PMG**
12.	**Smt. Santo Devi, Assistant Commandant**	**PPMG**
13.	**Ramashray Prasad, Constable**	**PMG**
14.	**Rajesh Kumar, Constable**	**PMG**
15.	**Jaswinder Singh, Constable**	**PMG**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 5/7/05 at about 0915 hrs a group of fidayeen attacked Ram Janam Bhumi / Babri Masjid Complex at Ayodhya. The terrorists entered the security zone by blasting the outer barricading by the use of an explosive laden jeep and advanced towards inner barricading of the isolation zone where 'D' company of 33 Bn, CRPF under the command of Shri Vezoto Tinyi, Asstt. Commandant was deployed.

ROLE PLAYED BY SHRI YOGINDER SINGH, SECOND-IN-COMMAND

On 5-7-2005 Shri Yoginder Singh (IRLA No.-3477), Second-in-Command, was the acting Commanding Officer of 33rd Battalion, C.R.P.F.. On receipt of information about the attack in Ayodhya this Officer immediately mobilized the Battalion Quick Reaction Team and rushed to the

site of encounter. On reaching near the site he along with the members of the Q.R.T. took up positions on the roof top of a house adjoining the red zone of security fencing. At that time firing between the terrorists and troops in the isolation zone was still continuing. Shri Yoginder Singh and his party engaged the terrorists from the rear as a result of this firing one terrorist who was in the act of lobbying a grenade towards the sanctum sanctorum was shot dead.

ROLE PLAYED BY SI/GD NAND KISHORE, HC/GD SULTAN SINGH, HC/GD KHYALI RAM, CT/GD A.S.ALI, CT/GD GAURI SHANKAR, CT/GD SAMARJIT SINGH, CT/GD PINJARI JAHANGIR, CT/GD R.T. KOLEH, CT/GD J.N. SAKIA AND CT/GD ARJUN YADAV OF 33 BATTALION, CRPF

SI/GD Nand Kishore, HC/GD Sultan Singh, HC/GD Khyali Ram, CT/GD A.S.Ali, CT/GD Gauri Shankar, CT/GD Samarjit Singh, CT/GD Pinjari Jahangir, CT/GD R.T. Koleh, CT/GD J.N.Sakia and CT/GD Arjun Yadav of 33 Battalion, CRPF were deployed at Morcha No. 2 of the isolation cordon. This morcha along with Morcha No. 2 (a) bore the brunt of the Fidayeen attack. All of them responded to the threat with determination and resoluteness. They not only provided effective support to Morcha No.2 (a) but also ensured that the Fidayeen would not be able to take advantage of the heavy under growth to sneak into the isolation zone. This morcha was the target of very heavy automatic as well as grenade and rocket fire. All the men remained oblivious to the threat to their lives and displayed the utmost bravery and gallantry. They held their positions and effectively blunted the attack launched by the Fidayeen. HC/GD Sultan Singh was injured during the attack but he continued to fire and occupy his position until he was ordered to evacuate. The bravery, gallantry and dedication to duty and to the nation exhibited by these men is in the finest and highest traditions of the C.R.P.F. They committed themselves to the battle without caring for their personal safety.

ROLE PLAYED BY SMT. SANTO DEVI, ASSTT. COMDT., 135 (MAHILA) BATTALION AND CTS/GD RAM ASHREY PRASAD, RAJESH KUMAR AND JASVINDER SINGH OF 33 BN

Smt Santo Devi, (IRLA No. 6251) Asstt. Commandant, C/135(M) Bn rushed to the isolation cordon from Manas Bhawan on hearing the explosion and firing caused by the militants. Without caring for her personnel safety she first went to Morcha No. 1 being occupied by Constables Ram Ashrey Prasad, Rajesh Kumar and Jasvinder Singh. This Morcha was under attack

by some of the militants who were seeking to enter the isolation zone from behind Sita Rasoi. The promptness and effectiveness of this officer resulted in effective retaliation which caused the militants to withdraw and prevented an entry. She then took up her position in the sanctum sanctorum of the disputed structure and ensured the safe evacuation of many pilgrims who had come to offer darshan at the time of attack and were unable to escape. It is in large measure due to the initiative and brave action of this lady officer that no civilian casualty occurred during the attack.

Constables Ram Ashrey Prasad, Rajesh Kumar and Jasvinder Singh were occupying Morcha No. 1 within the isolation zone at the time of the attack. Their morcha was attacked by Fidayeen who threw grenades and fired indiscriminately on them. All three Constables not only held their positions against this assault, but ensured an effective reply to the Fidayeen, thereby preventing them from being able to enter the isolation zone from behind Sita Rasoi. This action of these men not only prevented entry to the attackers, but also enabled deployment of reserves at critical areas. These men displayed determination and guts in the face of enemy fire. Even though they were in an extremely exposed position they did not give up any quarter.

Following recoveries were made from the killed militants as indicated in the proforma:-

01.	AK-47 Rifle	-	05
02.	AK-47 Mag	-	09
03.	AK-47 Rounds	-	141
04.	Grenade	-	15
05.	R/L Tube	-	02
06.	9mm Pistol	-	02
07.	9mm Pistol Mag	-	01
08.	9mm Rounds	-	04

In this encounter S/Shri Yoginder Singh, Second-in-Command, Nand Kishore, Sub Inspector, Sultan Singh, Head Constable, Khyali Ram, Head Constable, A.S.Ali, Constable, Gouri Shankar, Constable, Samarjit Singh, Constable, Pinjari Jahangir, Constable, R.T.Koleh, Constable, J.N.Saikia, Constable, Arjun Yadav, Constable, Smt. Santo Devi, Assistant Commandant, Ramashray Prasad, Constable, Rajesh Kumar, Constable and Jaswinder Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th July, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 75–Pres/2006- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Jagdev Singh,**
   Sub Inspector
2. **Ram Kumar,**
   Head Constable
3. **Vivek Kumar Rathore,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

7 Coys of 144 Bn. CRPF, were deployed in Sarguja district, Chhatisgarh for conducting 14th Parliamentary election peacefully. The area is Naxal infested and sensitive. On the early morning of 5/4/2004, a party under command of No.710530482 SI(GD) Jagdev Singh of 'D' Coy, 144 Bn, CRPF, was assigned the duties in Manikpur village under PS:- Chalgali Khas, No.17 Constable Narender Tirkin of State Police was detailed along with the Party as a guide. During the course of Patrolling duty in the area, the Party Commander met Sarpanch of village. During the course of discussion, it was revealed that some Naxalites were hiding in nearby house and were planning to carry out major operation. SI Jagdev Singh gave necessary instructions to all the Jawan. One Section under command of No.861110835 HC (GD) Ram Kumar was asked to cordon the area to carry out search operation. SI Jagdev Singh alongwith remaining Jawans proceeded to cordon from front side. But despite thorough search no clue about the hidden Naxalaites found. After searching, while the Party was on the way to return, Naxalites started firing indiscriminately from all the sides near Golbapara Nala. On evaluating seriousness of the situation, SI Jagdev Singh ordered his party to counter fire with due patience. During the exchange of fire, SI Jagdev Singh got multiple bullet injuries on the various

parts of his body fired by the Naxalites. He was seriously injured. But, like a brave Commander, constantly and keeping his life on stake he advanced and taken over the command of 2" Mortar and fired 3 HE bombs in the exact direction. As a result, ambush of Naxalites was broken. On the other side, HC Ram Kumar continuously boosted the morale of his Jawans exhibiting bravery and presence of mind and his Section continued firing on the Naxalites. Constable Vivek Kumar Rathore was with LMG. He also continued to give cover fire from his LMG courageously and with full competence. In the pitched firing one bullet fired by the Naxalites hit his chin. He was injured. But taking grave risk to his life, he saved the lives of Jawan of his Section. Ct. Vivek Kumar Rathore got right palm injured in the exchange of fire. This encounter lasted from 1020 hrs to 1230 hrs. Ultimately, Naxalites fled away from the battle field. In the encounter which lasted up to 2 hrs, with the Naxalites, SI Jagdev Singh, HC Ram Kumar and Constable Vivek Kumar Rathore sustained injuries. In deed, this was a well thought plan of the Naxalites. Their main aim was to kill the Force personnel and loot their arms and ammunitions. But, due to bravery and presence of mind exhibited by the above personnel, despicable design of the Naxalites remained unsuccessful. As per information given by the local public two Naxalites were killed in the encounter. One of them was Anil Tiwari. He was about 20 years age. He was resident of PS:- Bhandaria, Distt:- Garhwa (Jharkhand). Two Naxalites were also injured seriously. The Naxalites managed to take them away.

In this encounter S/Shri Jagdev Singh, Sub Inspector, Ram Kumar, Head Constable and Vivek Kumar Rathore, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th April, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 76–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Railway Protection Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Dhun Mun,**
   Head Constable
2. **Janardan Yadav,**
   Constable
3. **Mritunjay Prasad Singh**
   Constable
4. **Rajender Singh,**
   Constable
5. **Pramod Oraon,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 4.10.2003 at about 2200hrs.1447-Dn. Jabalpur–Howrah - Shaktipunj Express was ambushed by 50-60 M.C.C.I. extremists carrying sophisticated weapons near Home Signal/Dumri Bihar Station in search of GRP Armed Escort party with a malicious intention to loot the Arms and ammunition. In course of such search, they snatched away one Service Revolver with 6 live rounds from the possession of ASI/GRPS/L.K.Jha who was travelling in the same train and also assaulted Head Const./RPF B.N. Shukla inside Guard's Lobby. Incidentally, one Armed RPF-Party consisting all recomendees RPF-personnel, were also returning in the rear SLR of the same train from Tori to Dhanbad Immediately, the extremists attacked the rear SLR by break opening doors with iron-rods, spraying bullets and throwing petrol soaked Jute cloth on the compartment to compel RPF to come out and surrender their Arms and ammunition. But RPF personnel retaliated by resorting to counter-firing for about two and half hours till reinforcement of Armed force reached the trouble-torn spot. Though, RPF-personnel were only five in number, they played a heroic courage and did not allow the mob of extremists, who were in 50 - to 60 and all attempts by extremists to loot Arms and huge Railway Cash were proved futile.

In this encounter S/Shri Dhun Mun, Head Constable, Janardan Yadav, Constable, Mritunjay Prasad Singh, Constable, Rajender Singh, Constable and Pramod Oraon, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th October, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 77–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Railway Protection Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Surya Nath Ram,**
   Head Constable
2. **Indrajeet Kumar,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

The Danapur Division of East Central Railway has been quite notorious for robberies and dacoities especially in Patna – Jhajha Section. During the last six months twenty one (21) incidents of robberies and dacoities took place in Danapur Division. Such incidents not only led to adverse publicity but they also made the travelling public feel highly insecure. As a challenge, the RPF personnel on train escorting duty were directed to confront the criminals and control the serious crime. In achieving this objective, one RPF escort party was deputed on 31.10.2005 in 3484 Dn Farakka Express. Shri S.N. Ram, HC(2549) and Shri Indrajeet Kumar, Constable of the escorting party were not only fully alert and aware of the duties expected from them but were quite determined to throw a challenge to the criminals. While the Farakka Express was running between Bakhtiyarpur and Barh Railway Station, a gang of five to six criminals started looting the passengers at the point of lethal weapons in the Sleeper Coach No. S-1 at about 20:30 hrs. just after the departure of the train from Bakhtiyarpur Railway Station. On getting information from TTE and passengers about looting and assault of passengers being committed by dacoits in Coach No. S-1, Shri S.N. Ram, HC (2549) and Shri Indrajeet Kumar, Constable of the escort party, present in the S- 3 Coach, rushed to Coach No. S-1 through the vestibules. On reaching the coach they came face to face with the criminals. Shri S. N. Ram, HC frearlessly challenged the criminals, upon which one of the criminals opened fire which hit Shri S.N. Ram, HC in his right leg just

above the knee. The coach was packed with passengers who were running helter skelter. Shri S.N. Ram, HC and Shri Indrajeet Kumar, Constable did not lose their cool and balance and pursued the criminals undaunted. Shri S.N. Ram, HC fired one round upon the criminals from his service rifle and Shri Indrajeet Kumar, Constable taking over from the injured Shri S.N. Ram, HC who fell down chased the criminals out of the Coach. He aimed at one of the criminals near the exit door and fired two rounds. The criminals as later revealed, belonged to a notorious gang who had several criminal cases registered against them. These dacoits had in the recent past committed a dacoity in Fatuha – Bakhtiyarpur section and a case u/s 395, 397 was registered against them at GRP/Bakhtiyarpur. Shri S.N. Ram, HC and Shri Indrajeet Kumar, Constable while surrounded by the criminals not only displayed extreme valour and courage under extraordinary and adverse situation but also exhibited immense intelligence and tact in attacking the criminals without causing any injury to the passengers. The desperate criminals were bent upon killing the two RPF personnel as well as the passengers in the coach as their attempt to loot the passengers had been foiled by these two RPF Jawans. Shri Indrajeet Kumar, Constable had taken a very leading role without caring for his life and had fired with a great accuracy resulting in the death of one of the criminals. The criminals took to heels after the firing done by shri S.N. Ram, HC and Shri Indrajeet Kumar, Constable. One of the criminals who was killed by Shri Indrajeet Kumar, Constable dropped down near the Railway track at Athmalgola. Shri Indrajeet Kumar, Constable further rendered all possible assistance to the injured passengers in the coach who were taken to the Railway Hospital/Mokama where OC/GRP Barh and Mokama and RPF officers also attended. Shri S.N. Ram, HC was subsequently brought to the Railway Hospital, Danapur for medical treatment. The "Furd Bayan" of the injured Shri S.N. Ram, HC and one of the passengers, Shri Dinesh Singh, S/o Late Jairam Singh of village Atri, PS Nawagarh, District Buxar were recorded by GRP/Barh at Mokama. The case was later transferred to GRP/Bakhtiyarpur. The dead body of the criminal was later on recovered from near the Railway track at Athmalgola and further follow up action taken by the GRP. A case under crime no. 55/2005, dated 1.11.2005 u/s 395/397 IPC was registered by the GRP/Bakhtiyarpur. The dead criminal was identified as Vakil Rai, S/o Shri Lallu Singh @ Lalan Singh of Village – Mominpur, PS Fatuha, District Patna. As a result of the firing by these two RPF staff, there was a sudden check on the incidents of robberies and dacoities in the Section. Further investigation to unearth the entire criminal gang involved is going on.

In this encounter S/Shri Surya Nath Ram, Head Constable and Indrajeet Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st October, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 78–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Tripura Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Maniram Reang, (Posthumous)
Rifleman/ General Duty

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 21-8-04 a co-ordinated special operational plan was chalked out to conduct operation on southern side of Champak Nagar under Jirania Police station for one week on the basis of an information about presence of group (40/50) of ATTF extremists divided into 3/ 4 sub-groups. As many as 16 ops parties consisting of 7th, 1st, 2nd, 10th Bns TSR and 68 Bn CRPF including District Police were deployed in the southern side of Champak nagar under Jirania PS and bordering Takarajala PS areas namely Narayanbari, Champabari, Bardwal, Radha Charana, Kashidas, Garjan Khola, Karbong, Sovamani Para, Bharat Chand Para, Tuishakufur, Basuram Para, Jyotilal Para, Bikram Malsum, Tuimarang, Gungia Tuicha and Raiya Malsum. The ops parties took their respective post with effect from 21-8-04 from 0300 hrs. On 22.8.04 at about 1100 hrs, one of the operational parties located at Bikram Malsum received information that a group of ATTF extremists consisting of 25/ 30 armed with AK series weapon located in a jungle on a top tilla at a distance of 5 Km north east from Bikram Malsum. On receipt of this information, two platoons of TSR under command of Nb/Sub Tapan Chakraborty accompanied by Nb/Sub Bijan Paul and Manu Kumar Das left for the place to intercept the gang. The TSR troops reached nearby the target at about 1145 hrs. While they were advancing towards the hideout through jungle roads tactically, they observed some movement of ATTF group near a jhum hut. The TSR party divided in two groups moved towards the hideout very tactically. ATTF group had placed sentry nearby the jhum hut. As soon as the sentry of the extremist observed the TSR troops, they opened fire, aiming the TSR personnel to kill them and also to snatch away

the arms/ ammunitions. The guide of the ops party, Rifleman 01070902 Maniram Reang also fired in retaliation from his personal weapon without caring for his personal safety. He kept on marching forward bravely with the intention to engage the sentry to save the lives of the remaining members of the ops party and arms/ ammunitions. In the meantime a burst of fire hit Rifleman Maniram Reang due to which he fell on the spot but still he kept on firing from his personal weapon. By this time, the remaining members of the ops party had also started firing aiming the extremists. The firing continued for about 15 minutes. When firing ceased, the ops party conducted a thorough search of the jungle and recovered the bullet ridden dead body of Rifleman 01070902 Maniram Reang. One A.K. 56 Rifle with one magazine belonging to the extremists group was also recovered. Bloodstains indicating profuse bleeding of the extremists were also found on the spot. However, the extremists managed to flee away rescuing their colleague taking cover of the thick jungle, high hills and undulating ground.

In this encounter (Late) Shri Maniram Reang, Rifleman/General Duty, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd August, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 79–Pres/2006- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Union Territory Daman, Diu and Dadra Nagar Haveli Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri R.P. Upadhyaya,
Assistant Inspector General of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 28.8.2003, Daman Ganga Bridge on Daman Ganga river connecting Moti Daman and Nani Daman suddenly collapsed. In this tragic accident, 30 people including 28 school going children of the age group of 6-15 years died. People perceived collapse of the bridge and death of small children as a failure of Administration and were incited by some vested

interest. In the aftermath, on 29.8.2003 there had been large scale mob violence with considerable damage and destruction to Government property. It was a highly charged situation in the city, rampaging mobs set fire to government buildings and property, damaged dozens of official vehicles, entered the former residence of the Administrator and completely trashed and vandalized the place. In fact several mobs, left a trail of destruction in the town of which broken window-panes of several offices, burning and looting of liquor shops (run by Govt. Corporation) burning of vehicles were a few noteworthy aspects. The Government buildings were repeatedly attacked and pelted with stones by the mobs. Practically, the city had been taken over by angry mobs who were burning and looting property. To protect Government property, shops and establishments being further looted, burnt and damaged, the police force had to resort to lathi charge followed by tear gas and, finally, firing. One person was killed in the police firing. People gheroed the then Minister of State for Home, Govt. of India Sh. Harin Pathak who came to visit Daman and tried to attack him. His official vehicle was damaged. Mob attacked several Govt. establishments including officer vehicle and residence of senior officers. The residence to one of the senior IAS officer at Dholar, Moti Daman was also set on fire near Govt. officer colony. His official car parked in his garage was totally burnt, Firing had to be resorted to, in order to contain the rampaging mob in the aftermath of the bridge collapse as the large violent crowd was hell bent upon looting and burning of Govt, and private property. Two persons lost their life on 29.8.2003. One person was killed in Police firing and the second person was killed in stone pelting. In total 09 cases of rioting, arson, dacoity, attacking Govt. servant on duty etc. were registered on 29.08.2003. On 19 September, 2003, UT Administration ordered a magisterial inquiry to look into the incidents leading to police firing in Daman. The Inquiry Officer has concluded that the use of force was appropriate, timely and adequate and was according to the needs of the situation. The Inquiry officer categorically concluded that had the force not been used, the mob could have harmed and injured many more policemen, officials on duty and damaged more Government property. Even the then Minister of State for Home, Govt. of India could have been harmed. The Inquiry Officer has also held that the law and order machinery acted successfully and promptly and AIGP led police team with restraint. The AIGP himself was injured in stone pelting. A Writ Petition (PIL) was filed in Mumbai High Court seeking judicial enquiry into the incident of firing. On 30.3.2005, the Hon'ble High Court endorsed the conclusions of the Magisterial Inquiry and held that the UT Administration has done whatever was possible. The Hon'ble High Court dismissed the PIL and directed three of the petitioners to pay costs of Rs.25000/- to the Union of India within 6 weeks. It may be noted that small

Police force of Daman was seriously tested in extraordinary law and order situation suddenly on 29/8/2003. These were extraordinary circumstances, where a grave situation presented itself in the form of an emotionally charged violent mob and, to the credit of Daman Police force under the leadership of AIGP Sh. R.P. Upadhyaya, that they rose to the occasion and controlled large violent mobs who were attacking Govt. property setting them on fire. The small force component was able to disperse a large mob, which could have harmed the then MOS (H) also. They dealt with the situation firmly yet, with restraint. Mr. R.P. Upadhyaya led the force from front and suffered injuries in the process. It was a gallent act on his part which motivated the Police Force, otherwise the rampaging mobs could have attacked the Govt. residential colony at Dholar, Moti Daman where several families of Govt. Officers were residing. The officer did not hesitate in performing his duties under trying circumstances. Had he not acted from front, the loss of life and property could have been alarming and whole town would have been burnt.

In this encounter Shri R P Upadhyaya, Assistant Inspector General of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th August, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 80--Pres/2006- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Pramod Kumar,
Second-in-Command

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 17 Oct 2003, at about 1015 hrs a patrol party ex-43 Bn BSF intercepted two militants near J&K Chief Minister's residence on MA Road Srinagar. The patrol party chased the militants with restrained firing to avoid collateral civilian casualties, whereas militants opened heavy indiscriminate fire followed by

lobbing of grenades, as a consequence of which Constable Sri Gopal and Head Constable Rajinder Singh sustained bullet wounds and succumbed to their injuries. The patrol party retaliated the fire preventing the militants from entering CM's residence. Somehow, the militants managed to take position in Dr. Ali Jan Complex, a prime shopping arcade on MA Road. On getting information about incident, Shri Pramod Kumar, Offg Comdt 43 Bn BSF immediately rushed to the spot. After taking stock of the situation, he evacuated the deceased BSF personnel amidst heavy firing and lobbing of grenades by militants. In the process, he sustained splinter injuries but still did not leave the spot. Meanwhile, Shri V R Bahl, ADIG, CI OPS-II also reached the spot along with reinforcements. Subsequently all exit points of the building were covered to prevent escape of militants. Meanwhile, it was ascertained that there were civilians trapped on ground floor as well as third floor. Therefore, a strategy was planned to evacuate the trapped civilians. Accordingly, Shri V R Bahal, ADIG and Constable Ved Prakash, with utter disregard to their own safety, entered the third floor. Seeing this move, militants concentrated their fire on Shri V R Bahal and Constable Ved Prakash from their safe position. After a short while, Constable Ved Prakash could locate the exact position of the militants. In order to neutralize the militants by effective fire, he exposed himself and fired on the militants injuring one of them critically. However, one of the bullets fired by the militants hit the right thigh of Constable Ved Prakash, who fell down but he still continued to engage the militants. Sensing critical condition of Constable Ved Prakash, Shri V R Bahl, at risk of his own life, evacuated the injured Constable to safety amidst lobbing of grenades by the militants. In process, Shri Bahl also sustained splinter injuries. In spite of injuries, Shri Bahl kept on advancing and lobbed grenades forcing the militants to run towards second floor. Taking advantage of the opportunity, he evacuated the trapped civilians and injured troops to safety. On the following day it was decided to storm the building. As such, a storming party was formed. No.873322346 Head Constable Kuldeep Singh was one of the members of storming party. He advanced in a dare devil manner leading his party without cover, amidst heavy firing and lobbing of grenades by militants. While advancing, he was hit by a bullet fired by the militants. Undeterred and with utter disregard to his own safety, he brought heavy fire on the militants and shot dead one of them. Seeing his associate being shot dead, the second militant ran towards first floor and took position in a toilet from where he lobbed grenades on the troops. Finding it difficult to eliminate the militant, Shri Pramod Kumar, 2IC and Shri V K Langoo, Assistant Commandant, without caring for their lives, advanced towards the toilet amidst heavy volume of fire. When they reached close to the toilet, Shri V K Langoo, at great risk to his life, lobbed hand grenades in the toilet through the ventilator. As a consequence of the blast, the militant jumped out from the toilet and fired on Shri Langoo and Shri Pramod Kumar. Shri Langoo was hit by a bullet fired by the

militant. Undeterred by the firing and the injuries, both these officers, displaying raw courage, charged on the militant and shot him dead. On search of the area, dead bodies of the slain militants were recovered along with two AK Series rifles, eight grenades and ammunition. The killed militants were identified as Arshad-Udal-Said, resident of Chak-68 Khanabal and Mohd Naseer Khan resident of Malkhan Bir, both Pakistan nationals.

In this encounter Shri Pramod Kumar, Second-in-Command displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17th October, 2003.

BARUN MITRA
Director

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 27th June 2006

RESOLUTION

Subject: Constitution of Steel Consumers' Council — regarding.

No. 5(3)/2004-D-I (.) In continuation of Ministry of Steel's Resolution of even number dated 24th March, 2006 and 15th May, 2006, the undersigned is directed to state that it has also been decided to nominate the following persons as representatives of respective States/Union Territories and media/experts category on Steel Consumers' Council under Sl. No. 7 and 8 of Ministry of Steel's Resolution dated 24th March, 2006, respectively.

A.

Sl. No.	States/ U.Ts	Name & Address
1.	Arunachal Pradesh	1. Shri Tasso Gurro, C/o Shri S.K.Enterprises, O – Point Itanagar, Arunachal Pradesh 2. Shri Bidya Sankar Prasad, Vill.- Adinigro, P.O. Namsai, Distt. – Lohit, Arunachal Pradesh Phone: 03806 – 220 2219
2.	Assam	1. Shri Kanak Chowdhury, C/o Kanak Chowdhury and Associates, Simon House, Rahabari, Opposite Nepali Mandir, Guwahati – 781008 Phone : 09435044447 2. Shri Apurba Kumar Sarma, M.O., S/o Shri S.Sarma, Hattigor, Tea Estate, PIN – 784524 P.O. Hattigarh, Distt. Udalguri (Assam) Phone: 94351 – 48778

3.	Chandigarh	1 Shri Ashwani Kumar, House No. 2431, Sector 19, Chandigarh
4.	Dadra & Nagar Haveli	1 Shri Ranveer Singh, Behind Hotel Vardhan, Near Micro Tower, Naroli Road, Silvasa (Dadra & Nagar Haveli) 2 Shri Prabhu Bhai Patel, Vill. Masad, Padri Falia, Silvasa (Dadra & Nagar Haveli)
5.	Meghalya	1. Shri D.B.Wallang, Dong-Shaneng, Umpling, Shillong – 793 006 (0364) 2230192/ 09863097136 2. Shri Dennington Marbaniang, Jaiaw Langsning, Jaiaw, Shillong 793 002 (0364) 2223666/2223553/09436100639
6.	Mizoram	1. Shri Sawikhothang Sitkil, S/o Shri Bungkhothang, Luangmual (Mining Veng), C/o Rev. Lal Ramliana, Aizwal, (Mizoram)

B. <u>Under media/journalist/experts etc. category</u> **<u>Address</u>**

1. Sh. Rajiv Ranjan Nag, — Plot No. 8-D, DDA Flats, Ghazipur Crossing, New Delhi- 110096

2. Sh. Kunal — House No. 98B, Block A2B, Ekta Apartments, Paschim Vihar, New Delhi-110063 (Ph: 65497322 Mob: 981180040)

2. Under Sl. No. 2(22)2 of the Resolution dated 15th May, 2006 the name of Sh. Mamal Kanta Bhowmick may be read as Sh. Kamal Kanta Bhowmick.

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

AJOY KUMAR
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006